सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA

सत्यमेव जयते

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार

राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर

2022 की प्रतिवेदन संख्या 29

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर

2022 की प्रतिवेदन संख्या 29

___________को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखा गया

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	i
	मुख्य बातें	iii-ix
	अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन	**1-32**
i.	प्रत्यक्ष कर	1
ii.	संगठनात्मक ढांचा	1-2
iii.	संघ सरकार के संसाधन	3-4
iv.	प्रत्यक्ष कर- प्रवृति तथा संरचना	4-9
v.	प्रतिदाय की प्रवृत्ति	9-11
vi.	पैन के आवंटन की प्रवृत्ति, आयकर रिटर्न फाइल करना और करदाताओं की सकल कुल आय	11-21
vii.	प्रत्यक्ष कराधान प्राप्तियों का बजट कार्य	22
viii.	कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव	22-25
ix.	कर ऋण - असंग्रहीत मांग	25-26
x.	मुकदमेबाजी प्रबंधन	26-27
xi.	कर अपवंचन	27-28
xii.	आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता	28-29
xiii.	कर प्रशासन प्रक्रिया	29-32
	अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव	**33-54**
i.	प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार	33
ii.	प्राप्तियों की लेखापरीक्षा का व्यापक ढांचा	33-37
iii.	निगम कर और आयकर निर्धारण मामलों के सम्बन्ध में निरंतर और व्यापक अनियमितताएं	37-45
iv.	लेखापरीक्षा उत्पाद और लेखापरीक्षा को प्रतिक्रिया	45-48
v.	लेखापरीक्षा प्रभाव - लेखापरीक्षा के उदाहरण पर संशोधन	48-51
vi.	लेखापरीक्षा की सिफारिश पर वसूली	51-52
vii.	समय बाधित मामले	52-53
viii.	अभिलेखों को प्रस्तुत न करना	53-54
	अध्याय III: निगम कर	**55-101**
i.	परिचय	55
ii.	निर्धारणों की गुणवत्ता	55-70

iii.	कर रियायतों/छूटों /कटौतियों का प्रबंध	70-85
iv.	त्रुटियों के कारण मूल्यांकन से बचने वाली आय	85-99
v.	कर/ब्याज का अधिक प्रभार	99-101
vi.	सिफारिशें	101
	अध्याय IV: आयकर	**103-137**
i.	परिचय	103
ii.	निर्धारण की गुणवत्ता	103-121
iii.	कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	121-128
iv.	त्रुटियों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	128-135
v.	कर/ब्याज का अधिक प्रभार	135-136
vi.	सिफारिशें	136-137
	परिशिष्ट	**139-150**
	संकेताक्षर	**151-152**

प्राक्कथन

मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो 2020-21 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए थे और साथ ही वे मामले भी सम्मिलित हैं जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; जहां भी आवश्यक समझा गया, वहां 2020-21 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

मुख्य बातें

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संघ सरकार की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करते हैं। इस प्रतिवेदन में मुख्य रूप से प्रत्यक्ष करों के प्रशासन से संबंधित सभी पहलुओं पर यथा लागू आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और संबद्ध नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों आदि के अनुपालन की प्राथमिक रूप से चर्चा की गई है। इस प्रतिवेदन में चार अध्याय सम्मिलित हैं, जिनकी मुख्य बातों की चर्चा नीचे की गई है:

अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

वित्तीय वर्ष (वि.व) 2020-21 में संघ सरकार की प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 9,47,174 करोड़ थी जिसमें वि.व 2019-20 (₹ 10,50,686 करोड़) की तुलना में 9.9 *प्रतिशत* की कमी हुई। प्रत्यक्ष कर वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.8 *प्रतिशत* था। सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा वि.व. 2019-20 में 52.3 *प्रतिशत* से घटकर वि.व. 2020-21 में 46.7 *प्रतिशत* हो गया।

वि.व. 2020-21 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में कमी के बावजूद वि.व. 2020-21 के दौरान जारी किए गए प्रतिदायों में 41.6 *प्रतिशत* (₹ 2,59,715 करोड़) की वृद्धि हुई। इस अधिक प्रतिदाय का एक संभावित कारण पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान विभाग द्वारा अपने राजस्व संग्रहण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उठाई गई अतिरंजित मांगें हो सकती हैं। तथापि, लेखापरीक्षा इसे साबित नहीं कर सकी क्योंकि विभाग ने प्रतिदायों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी।

प्रत्यक्ष कर के दो प्रमुख घटकों में से, निगम कर से संग्रहण वि.व. 2019-20 में ₹ 5.56 लाख करोड़ से 17.8 *प्रतिशत* घटकर वि.व. 2020-21 में ₹ 4.58 लाख करोड़ हो गया। आयकर से संग्रहण वि.व. 2019-20 में ₹ 4.80 लाख करोड़ से 4.0 *प्रतिशत* घटकर वि.व. 2020-21 में ₹ 4.71 लाख करोड़ हो गया।

गैर-निगमित निर्धारितियों की संख्या 3.67 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज करते हुए वि.व. 2019-20 में 6.39 करोड़ से बढ़कर वि.व. 2020-21 में 6.63 करोड़ हो गई। निगमित निर्धारितियों की संख्या 9.9 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज करते हुए वि.व. 2019-20 में 8.38 लाख से बढ़कर वि.व. 2020-21 में 9.21 लाख हो गई।

बकाया मांग वि.व. 2019-20 में ₹ 16.19 लाख करोड़ से घटकर वि.व. 2020-21 में ₹ 15.12 लाख करोड़ हो गई। निवल संग्रहणीय मांग वि.व. 2020-21 में घटकर ₹ 26,473 करोड़ रह गई, जो वि.व. 2019-20 में ₹ 38,734 करोड़ थी। विभाग ने दर्शाया कि 98.3 *प्रतिशत* से अधिक की असंग्रहित मांग की वसूली करना मुश्किल होगा।

वि.व. 2018-19 से वि.व. 2020-21 तक करदाताओं की सभी श्रेणियों में पैन आवंटन की पूर्ण संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई। हालांकि, वि.व. 2018-19 से वि.व. 2020-21 के दौरान पैन आवंटन की *प्रतिशत* वृद्धि में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट देखी गई।

वि.व. 2017-18 से वि.व. 2020-21 तक आयकर रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी। हालांकि, वि.व. 2020-21 को छोड़कर संबंधित वित्तीय वर्षों के दौरान आयकर रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्तियों की संख्या में *प्रतिशत* वृद्धि में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट देखी गई।

सीआईटी (अपील) के पास लंबित अपीलों की संख्या वि.व. 2019-20 में 4.58 लाख से थोड़ा बढ़कर वि.व. 2020-21 में 4.59 लाख हो गई। हालांकि, इन मामलों में अवरूद्ध राशि वि.व. 2019-20 के ₹ 8.83 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 2020-21 में ₹ 24.65 लाख करोड़ हो गई।

सीबीडीटी ने विभाग द्वारा आईटीएटी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा को क्रमश: ₹ 20 लाख से ₹ 50 लाख, ₹ 50 लाख से ₹ एक करोड़ और ₹ एक करोड़ से ₹ दो करोड़ तक बढ़ा दिया। इसमें लंबित कुल मामले 17.9 *प्रतिशत* तक घट गए अर्थात वि.व. 2019-20 में 1.24 लाख मामलों से घटकर वित्त वर्ष 2020-21 में 1.02 लाख रह गए।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

वि.व. 2019-20 के दौरान, आयकर विभाग (आईटीडी) ने वि.व. 2020-21 की लेखापरीक्षा योजना के अनुसार लेखापरीक्षित इकाइयों में 1.55 लाख संवीक्षा निर्धारण पूरे किए थे, जिनमें से आयकर विभाग ने 1.48 लाख मामलों को प्रस्तुत किया था। इसके अलावा, आयकर विभाग ने वि.व. 2020-21 के दौरान पिछले वित्तीय वर्षों में पूरे किए गए संवीक्षा निर्धारण के 0.16 लाख मामलों को भी प्रस्तुत किया। वि.व. 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारणों में त्रुटियों के मामले 5.97 *प्रतिशत* (9,839 मामले) थे।

पिछले कुछ वर्षों में निगम कर और आयकर निर्धारण मामलों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा अनियमितताएं पाई गई हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार इंगित किए जाने के बावजूद और आईटीबीए के कार्यान्वयन के बाद भी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति होना इस बात का सूचक है कि ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रणालियों में उचित नियंत्रण स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। विभाग को प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है क्योंकि व्यवस्थित और संरचनात्मक कमियों को ठीक करने के लिए एक सुदृढ़ संस्थागत तंत्र के अभाव में राजस्व हानि का जोखिम काफी अधिक होता है।

हमने इस प्रतिवेदन के अध्याय III और IV में मंत्रालय को सूचित किए गए उच्च मूल्य के 467 मामलों को शामिल किया है। इनमें से हमें 31 जुलाई 2022 तक 315 मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त हुए, जिनमें से मंत्रालय/आयकर विभाग ने ₹ 6,440.9 करोड़ (98.22 *प्रतिशत*) के कर प्रभाव वाले 305 मामलों (96.82 *प्रतिशत*) को स्वीकार किया, जबकि ₹ 116.26 करोड़ के कर प्रभाव वाले 10 मामलों को स्वीकार नहीं किया। ₹ 1,855.94 करोड़ के कर प्रभाव वाले 152 मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2022)।

हमने लेखापरीक्षा के प्रभाव का विश्लेषण किया जिसके परिणामस्वरूप हमारी अभ्युक्तियों/सिफारिशों के आधार पर आयकर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन किए गए। वि.व. 2017-18, वि.व. 2019-20 और वि.व. 2020-21 के दौरान, निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अर्थात 2017

का प्रतिवेदन संख्या 27 - 'निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम / चिकित्सा क्लीनिक, मेडिकल कॉलेजों/ अनुसंधान संस्थानों, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजिकल लैब और अन्य चिकित्सा आपूर्ति एजेंसियों / भंडारों का निर्धारण', 2019 का प्रतिवेदन संख्या 1 - मनोरंजन क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा और 2020 का प्रतिवेदन संख्या 14- आयकर विभाग में तलाशी और जब्ती निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा को क्रमशः संसद में प्रस्तुत किया गया था।

2017 का प्रतिवेदन संख्या 27 - 'निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम/चिकित्सा क्लीनिक, मेडिकल कॉलेजों/अनुसंधान संस्थानों, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजिकल लैब और अन्य चिकित्सा आपूर्ति एजेंसियों/भंडारों का निर्धारण'।

किए गए संशोधन इस प्रकार थे:

- आयकर नियम, 1962, के नियम 18एबी को 2021 की अधिसूचना संख्या 19, दिनांक 26/03/2021 द्वारा अधिसूचित किया गया था।
- वित्त अधिनियम, 2020 के अंतर्गत धारा 80जी(2)(vii), 80जी(2)(ix) और धारा 35(1ए) में नए प्रावधान जोड़े गए, जिनको दिनांक 01/04/2021 से लागू किया गया,
- अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (7) के प्रथम और द्वितीय परंतुक को वित्त अधिनियम (सं.12), 2020 द्वारा जोड़ा गया, जिनको दिनांक 01/06/2020 से लागू किया गया।

2019 का प्रतिवेदन संख्या 1 - मनोरंजन क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा।

किए गए संशोधन इस प्रकार थे:

- मंत्रालय ने वित्त अधिनियम 2020 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9 में रॉयल्टी की परिभाषा को संशोधित किया ताकि सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन के प्रतिफल पर विचार किया जा सके। तदनुसार उपरोक्त भुगतानों के लिए धारा 194 जे के अंतर्गत कर की कटौती की जाएगी और विवरण फॉर्म 26एएस में परिलक्षित होगा।

2020 का प्रतिवेदन संख्या 14 - आयकर विभाग में तलाशी और जब्ती निर्धारणों पर निष्पादन लेखापरीक्षा।

किए गए संशोधन इस प्रकार थे:

- वित्त अधिनियम 2022 ने आयकर अधिनियम 1961 में एक नई धारा 79ए प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 01/04/2022 से लागू की गई।
- वित्त अधिनियम 2021 ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153ए/153सी में संशोधन किया।

पिछले तीन वर्षों में, आयकर विभाग ने निर्धारणों में हमारे द्वारा इंगित की गई त्रुटियों को परिशोधित करके उठाई गई मांगों से ₹ 415.37 करोड़ की वसूली की। लेखापरीक्षा में बताए गए ₹ 1.54 लाख करोड़ के राजस्व प्रभाव से जुड़े 62,709 मामले हैं, जो आयकर विभाग से उत्तर के अभाव में 31 मार्च 2021 तक अनिर्णीत रहे।

वि.व. 2020-21 के दौरान, ₹ 6,189.11 करोड़ के कर प्रभाव वाले 3,754 मामले किसी भी उपचारात्मक कार्रवाई को आरंभ करने के लिए समयबाधित हो गए।

आयकर विभाग ने वि.व. 2020-21 के दौरान हमारे द्वारा मांगे गए 1,80,627 अभिलेखों (6.61 *प्रतिशत*) में से 11,946 अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए, जिनमें से उन्हीं निर्धारितियों से संबंधित 6 अभिलेख लगातार तीन या अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

अध्याय III: निगम कर

हमने ₹ 7,788.98 करोड़ के कर प्रभाव के साथ निगम कर से संबंधित 319 उच्च मूल्य के मामलों को इंगित किया। हमने इन मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया था:

(क) निर्धारणों की गुणवत्ता (124 मामले);

(ख) कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन (126 मामले);

(ग) त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूट गई आय (51 मामले); और

(घ) कर/ब्याज का अधिप्रभार (18 मामले)।

उद्धृत 319 उच्च मूल्य के मामलों में से, हमने ₹ 6,304.56 करोड़ के कर प्रभाव वाले निगम कर निर्धारणों में महत्वपूर्ण त्रुटियों / अनियमितताओं के 57 दृष्टांतों को दर्शाया है। इस अध्याय में दर्शाई गई अनियमितताओं में शामिल हैं: ब्याज सहित ₹ 4,430.13 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 7,995.06 करोड़ के सही आंकड़ों के बजाय कर गणना रूप में ₹ 110.40 करोड़ के रूप में कर योग्य आय के आंकड़े को गलत तरीके से अपनाना; ₹ 79.58 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाले संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयरों के शोधन और अधिग्रहण के आधार पर ₹ 1,285.03 करोड़ की दीर्घकालिक पूंजीगत हानि के अग्रेषण की गलत अनुमति; धारा 32एसी के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति जिसमें ₹ 180.22 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है; एमएटी क्रेडिट की गलत अनुमति जबकि आईटीबीए प्रणाली ने एमएटी क्रेडिट को 'शून्य' के रूप में प्रदर्शित किया, जिसमें ब्याज सहित ₹ 34.90 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था; एक अनिश्चित देयता होने के नाते, संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों और निगमित ऋण पुनर्गठन प्रतिपूर्ति के प्रावधानों के लिए व्यावसायिक व्यय की गलत अनुमति, जिसमें ₹ 118.57 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है; बेची गई भूमि या भवन के वास्तविक मूल्य और जिस मूल्य के लिए स्टांप ड्यूटी का भुगतान किया गया था, के बीच के अंतर का संज्ञान नहीं लेना जिसमें ₹ 34.69 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था; और ₹ 22.67 करोड़ के कर प्रभाव वाले पूरे पूर्वोक्त असुरक्षित ऋण के बजाय असुरक्षित ऋण की पुष्टि प्रस्तुत करने में विफलता के कारण असुरक्षित ऋण का केवल 15 *प्रतिशत* वापस जोड़ना।

अध्याय IV: आयकर

हमने ₹ 624.12 करोड़ के कर प्रभाव वाले आयकर के 148 उच्च मूल्य के मामलों की ओर इंगित किया। हमने इन मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया था:

(क) निर्धारणों की गुणवत्ता (108 मामले);

(ख) कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन (17 मामले);

(ग) त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूट गई आय (18 मामले); और

(घ) कर/ब्याज का अधिप्रभार (पांच मामले)।

उद्धृत 148 उच्च मूल्य के मामलों में से, हमने ₹ 505.68 करोड़ के कर प्रभाव वाले आयकर निर्धारण में महत्वपूर्ण त्रुटियों/ अनियमितताओं के 47 दृष्टांतों को दर्शाया है। इस अध्याय में वर्णित अनियमितताओं में निम्नलिखित शामिल हैं: ₹ 122.05 करोड़ की सही आय के बजाय ₹ 79.29 करोड़ पर निर्धारित आय को गलत तरीके से अपनाने के कारण मांग की गलत गणना जिसमें ₹ 32.45 करोड़ के कर का परिणामी कम उद्ग्रहण शामिल है; और धारा 234ए के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करने में विलंब के लिए 79 महीने के लिए ₹ 37.09 करोड़ की बजाय केवल एक महीने के लिए ₹ 0.47 करोड़ पर ₹ 36.62 करोड़ के कर प्रभाव सहित ब्याज का गलत उद्ग्रहण।

अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

इस अध्याय में आयकर विभाग (आईटीडी) में प्रत्यक्ष कर प्रशासन, प्रत्यक्ष कर संग्रहण में राजस्व प्रवृत्तियाँ तथा कर प्रशासन प्रक्रिया का एक अवलोकन दिया गया है।

1.1 प्रत्यक्ष कर

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष करों के उदग्रहण तथा संग्रहण शामिल है। इस प्रतिवेदन में शामिल प्रत्यक्ष करों पर नीचे चर्चा की गई है:

क) **निगम कर (सीटी):** निगम कर उद्यमियों द्वारा अपने कारोबार से अर्जित निवल आय या लाभ पर लगाया गया एक प्रत्यक्ष कर है। कम्पनी अधिनियम 1956/2013 के अन्तर्गत भारत में पंजीकृत सार्वजनिक तथा निजी दोनों कंपनियां निगम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट दरों पर उद्ग्रहीत किया जाता है।

ख) **आयकर (आईटी):** आयकर कम्पनियों के अलावा व्यक्तियों पर उनकी आय या लाभ से अर्जित निवल आय या लाभ पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट दरों पर लगाया गया एक प्रत्यक्ष कर है।

ग) **अन्य प्रत्यक्ष कर (ओडीटी):** निगम कर तथा आयकर के अलावा प्रत्यक्ष कर, उदाहरणत: प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी)[1], धन कर[2], इत्यादि।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है तथा सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों को केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत गठित दो सांविधिक बोर्डों नामत: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

---

1 भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी गई और बेची गई कर योग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर।

2 निवल धन पर प्रभार्य कर में धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 2(ईए) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुछ परिसम्पत्तियां शामिल है।

(सीबीडीटी) तथा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के माध्यम से समन्वय करता है। सीबीडीटी प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित मामलों को देखता है।

1 सितंबर 2021 तक, आयकर विभाग (आईटीडी) की समस्त स्टाफ संख्या तथा कार्यरत संख्या क्रमश: 76,246[3] तथा 45,810 थी। अधिकारियों[4] की संस्वीकृत तथा कार्यरत संख्या क्रमश: 10,863 तथा 9,393 थी। वर्ष 2020-21 के लिए आयकर विभाग का राजस्व व्यय ₹ 7,319 करोड़[5] था।

सीबीडीटी का संगठनात्मक ढांचा नीचे चार्ट 1.1 में दिया गया हैं:

चार्ट 1.1: सीबीडीटी की क्षेत्रीय संरचना का संगठनात्मक ढ़ाचा

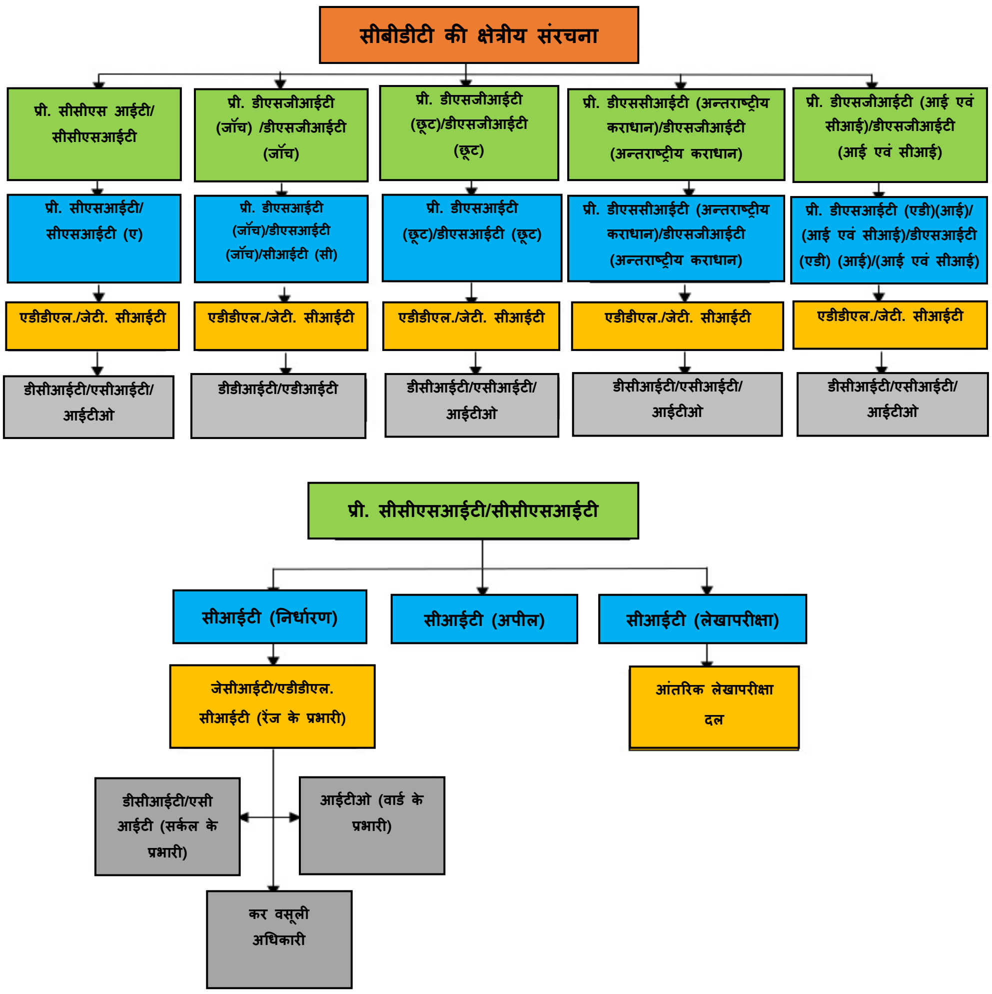

3 आंकड़ों में (i) ईडीपी, (ii) ओएल (राजभाषा) डिवीजन, (iii) रिजर्व, (iv) अन्य पद तथा (v) सेन्ट्रल पूल (दिल्ली सीसीए के अंतर्गत) के अंतर्गत आवंटित पदों की स्वीकृत संख्या शामिल नहीं है।

4 प्र.सीसीआईटी/ प्र.डीजीआईटी, सीसीआईटी/डीजीआईटी, प्र . सीआईटी/ प्र .डीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, अपर सीआईटी/ अपर डीआईटी/जेसीआईटी/जेडीआईटी/डीसीआईटी/ डीडीआईटी, एसीआईटी/एडीआईटी तथा आईटीओ

5 वि.व. 2020-21 के संघ वित्त लेखे।

1.3 संघ सरकार के संसाधन

1.3.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके उद्भूत सभी ऋण, आंतरिक व बाह्य ऋण तथा ऋणों की अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं। नीचे तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि.व) 2020-21 तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संघ सरकार के संसाधनों के ब्यौरे को दर्शाती है।

तालिका 1.1 संघ सरकार के संसाधन		**(₹ करोड़ में)**
	वि.व. 2020-21	**वि.व. 2019-20**
क. कुल राजस्व प्राप्तियां #	24,59,509	25,98,761
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	9,47,174	10,50,686
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां[6]	10,28,929	9,59,374
iii. गैर-कर प्राप्तियाँ	4,30,654	5,88,328
iv. सहायता अनुदान और अंशदान	1,752	373
ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियां [7]	37,897	50,349
ग. ऋणों और अग्रिमों की वसूली [8]	29,923	18,647
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां [9]	81,62,910	73,01,387
भारत सरकार की प्राप्तियां (क + ख + ग + घ)	**1,06,90,239**	**99,69,144**

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे

टिप्पणी: अन्य करों सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों तथा अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की सगंणना संघ वित्त लेखे से की गई है।

कुल राजस्व प्राप्तियों में वि.व. 2020-21 में ₹ 5,94,997 करोड़ और वि.व. 2019-20 में ₹ 6,50,677 करोड़ शामिल हैं जिन्हे सीधे राज्यों को सौंपा गया था।

वि.व. 2020-21 में, भारत सरकार की प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई। वि.व. 2020-21 में कुल राजस्व प्राप्तियों में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी 38.5 *प्रतिशत* रही, जो पिछले वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में 1.9 *प्रतिशत* कम है।

6 वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया गया अप्रत्यक्ष कर जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केद्रीय वस्तु और सेवा कर, एकीकृत वस्तु और सेवा कर आदि;

7 इसमे बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल हैं;

8 संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली;

9 भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ साथ बाह्य उधार;

1.3.2 निम्न तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन का एक आशुचित्र उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन

वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर संग्रहण (₹ करोड़ में)				प्रतिदाय (₹ करोड़ में)		निम्न द्वारा फाइल की गई वास्तविक रिटर्न (संख्या लाख में)		राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)
	निगम कर	आयकर	अन्य प्रत्यक्ष कर	कुल	निगम कर	आयकर	गैर-निगमित निर्धारिती	निगमित निर्धारिती	
2016-17	4,84,924	3,40,592	24,285	8,49,801	1,20,681	41,901	436.9	7.1	5,623
2017-18	5,71,202	4,08,202	23,334	10,02,738	1,09,138	42,697	537.9	8.0	6,172
2018-19	6,63,571	4,61,652	12,495	11,37,718	1,05,828	55,209	619.8	8.5	7,168
2019-20	5,56,876	4,80,348	13,462	10,50,686	1,21,542	61,889	639.4	8.4	7,052
2020-21	4,57,719	4,70,633	18,822	9,47,174	1,73,402	86,122	662.8	9.2	7,319

स्रोत: संघ वित्त लेखा और प्र. सीसीए; सीबीडीटी

वि.व. 2019-20 की तुलना में वि.व. 2020-21 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 9.9 *प्रतिशत* की कमी के बावजूद, वि.व. 2019-20 की तुलना में वि.व. 2020-21 के दौरान जारी किए गए प्रतिदाय में 41.6 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

1.4 प्रत्यक्ष कर- प्रवृत्ति तथा संरचना

1.4.1 निम्न तालिका 1.3 वि.व. 2016-17 से वि.व. 2020-21 के दौरान सकल कर राजस्व[10] (जीटीआर) तथा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संदर्भ में प्रत्यक्ष करों (डीटी) की संबंधित वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.3 प्रत्यक्ष करों की वृद्धि

वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	जीटीआर	जीडीपी	जीटीआर के *प्रतिशत* के रूप में डीटी	जीडीपी के *प्रतिशत* के रूप में डीटी
					(₹ करोड़ में)
2016-17	8,49,801	17,15,968	1,51,83,709	49.5	5.6
2017-18	10,02,738	19,19,183	1,67,73,145	52.2	6.0
2018-19	11,37,718	20,80,465	1,90,10,164	54.7	6.0
2019-20	10,50,686	20,10,060	2,03,39,849	52.3	5.2
2020-21	9,47,174	20,27,104	1,97,45,670	46.7	4.8

स्रोत :डीटी तथा जीटीआर-संघ वित्त लेखा, जीडीपी- केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी- 31 मई 2021 को सीएसओ द्वारा जारी प्रेस नोट

10 इसमें सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर शामिल है।

1.4.2 हालांकि प्रत्यक्ष कर में वि.व. 2019-20 की तुलना में वि.व. 2020-21 में 9.9 *प्रतिशत* तक कमी हुई, सकल कर राजस्व (जीटीआर) में प्रत्यक्ष करों के हिस्से में वि.व. 2019-20 की तुलना में वि.व. 2020-21 में कमी (5.6 प्रतिशत) हुई। प्रत्यक्ष कर वि.व. 2019-20 में 5.2 *प्रतिशत* की तुलना में वि.व. 2020-21 के दौरान जीडीपी का 4.8 *प्रतिशत* था।

1.4.3 निम्न तालिका 1.4 वि.व. 2016-17 से वि.व. 2020-21 के दौरान प्रत्यक्ष करों तथा इसके प्रमुख घटकों जैसे निगम कर (सीटी) तथा आयकर (आईटी) में वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.4 प्रत्यक्ष करों और इसके प्रमुख घटकों की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	पिछले वर्ष की तुलना में *प्रतिशत* वृद्धि	निगम कर	पिछले वर्ष की तुलना में *प्रतिशत* वृद्धि	आयकर	पिछले वर्ष की तुलना में *प्रतिशत* वृद्धि	जीडीपी	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत की वृद्धि
2016-17	8,49,801	14.5	4,84,924	7.0	3,40,592	21.5	1,51,83,709	11.8
2017-18	10,02,738	18.0	5,71,202	17.8	4,08,202	19.9	1,67,73,145	10.5
2018-19	11,37,718	13.5	6,63,572	16.2	4,61,652	13.1	1,90,10,164	13.3
2019-20	10,50,686	(-) 7.6	5,56,876	(-) 16.1	4,80,348	4.0	2,03,39,849	7.0
2020-21	9,47,174	(-) 9.9	4,57,719	(-) 17.8	4,70,633	(-) 2.0	1,97,45,670	(-) 2.9

स्रोत: संघ वित्त लेखे

1.4.4 निगम कर में वि.व. 2019-20 में 16.1 *प्रतिशत* की कमी हुई थी, जबकि वि.व. 2020-21 में 17.8 *प्रतिशत* की कमी हुई थी। इसके अतिरिक्त, वि.व. 2019-20 में आयकर में 4.0 *प्रतिशत* की वृद्धि की तुलना में वि.व 2020-21 में आयकर में 2.0 *प्रतिशत* की कमी हुई थी। वि.व. 2020-21 में जीडीपी में 2.9 *प्रतिशत* की कमी हुई जबकि वि.व. 2019-20 में जीडीपी में 7.0 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी।

1.4.5 निगम तथा आयकर दोनों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष कर संग्रहण के विभिन्न स्तर हैं जैसे स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्वनिर्धारण कर (एसएटी) और नियमित निर्धारण कर। टीडीएस, अग्रिम कर तथा स्व-निर्धारण कर के माध्यम से पूर्व निर्धारण-संग्रहण, प्रणाली में

स्वैच्छिक अनुपालन का सूचक है। नियमित निर्धारण स्तर के माध्यम से किया गया कर संग्रहण पश्च निर्धारण होता है।

1.4.6 निम्न तालिका 1.5 वि.व. 2016-17 से वि.व. 2020-21 के दौरान विभिन्न चरणों के अंतर्गत निगम तथा कर के संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.5: निगम कर का संग्रहण

वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	पूर्व निर्धारण संग्रहण (स्तंभ 2+3+4)	कुल पूर्व-निर्धारण संग्रहण की प्रतिशतता	नियमित निर्धारण कर	नियमित निर्धारण संग्रहण की प्रतिशतता	अन्य प्राप्तियां	कुल संग्रहण (स्तंभ 5 + 7 + 9)
									(₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016-17	1,05,077	3,33,660	26,981	4,65,718	83.2	59,709	10.7	34,108	5,59,535
2017-18	1,14,037	3,74,245	30,892	5,19,174	82.6	76,077	8.1	85,089	6,80,340
2018-19	1,40,784	4,17,365	29,168	5,87,317	76.3	82,140	10.7	99,943	7,69,400
2019-20	1,43,589	3,59,915	30,935	5,34,439	78.8	49,946	7.4	94,032	6,78,417
2020-21	1,39,273	3,94,611	21,536	5,55,420	87.7	29,995	4.7	47,705	6,33,120

स्रोत: प्र सीसीए, सीबीडीटी

टिप्पणी:- अन्य प्राप्तियों में अधिभार तथा उपकर शामिल हैं। संग्रहण के आंकड़ों में प्रतिदाय भी शामिल है।

1.4.7 उपर्युक्त तालिका 1.5 से पता चलता है कि निर्धारितियों द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन (पूर्व निर्धारण चरण) के माध्यम से निगम कर के संग्रहण में वर्ष-दर-वर्ष *प्रतिशत* में वृद्धि हुई थी, जबकि नियमित निर्धारण (पश्च निर्धारण) के माध्यम से संग्रहण में समान प्रक्षेपवक्र नहीं पाया गया था।

1.4.8 निम्न तालिका 1.6 में वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न चरणों के अंतर्गत आयकर का संग्रहण दर्शाया गया है:-

तालिका 1.6: आयकर का संग्रहण

वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	पूर्व निर्धारण संग्रहण (स्तंभ 2+3+4)	कुल पूर्व-निर्धारण संग्रहण की प्रतिशतता	नियमित निर्धारण कर	नियमित निर्धारण संग्रहण की प्रतिशतता	अन्य प्राप्तियां	कुल संग्रहण (स्तंभ 5 + 7 + 9)
									(₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016-17	2,38,067	73,110	41,179	3,52,356	92.1	14,429	3.8	15,709	3,82,494
2017-18	2,66,604	95,997	52,327	4,14,928	92.0	15,967	3.5	20,004	4,50,899
2018-19	3,09,985	1,10,164	55,005	4,75,154	91.9	16,892	3.3	24,815	5,16,860
2019-20	3,36,794	1,07,401	54,163	4,98,358	91.9	17,673	3.3	26,201	5,42,232
2020-21	3,31,002	1,23,158	63,198	5,17,358	92.9	12,301	2.2	27,096	5,56,755

स्रोत: प्र सीसीए, सीबीडीटी.

टिप्पणी:- अन्य प्राप्तियों में अधिभार तथा उपकर शामिल हैं। संग्रहण के आंकड़ों में प्रतिदाय भी शामिल है।

1.4.9 उपर्युक्त तालिका 1.6 दर्शाती है कि निर्धारितियों द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन (पूर्व निर्धारण चरण) के माध्यम से आयकर के संग्रहण के *प्रतिशत* में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी, जबकि नियमित निर्धारण (पश्च निर्धारण) के माध्यम से संग्रहण में ऐसा प्रक्षेपवक्र नहीं पाया गया था।

1.4.10 निम्न तालिका 1.7 में आय की विभिन्न श्रेणियों में गैर-निगमित निर्धारितियों का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: गैर-निगमित निर्धारिती

वित्तीय वर्ष	क[11]	$ख_1$[12]	$ख_2$[13]	ग[14]	घ[15]	कुल
						(आंकड़े लाख में)
2016-17	54.17	290.16	61.85	30.69	0.02	436.89
2017-18	61.16	360.63	79.04	37.05	0.02	537.90
2018-19	68.08	403.35	103.36	44.96	0.03	619.78
2019-20	75.05	409.15	104.53	50.63	0.01	639.37
2020-21	72.32	423.42	109.94	57.15	0.00[#]	662.83

स्रोत :सीबीडीटी; यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान फाइल की गई वास्तविक रिटर्न पर आधारित हैं। # 241 निर्धारिती

गैर-निगमित निर्धारितियों की संख्या में वि.व. 2019-20 में 3.2 *प्रतिशत* की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2020-21 में 3.7 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई थी। जैसा कि उपरोक्त तालिका 1.7 तथा चार्ट 1.2 से देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में वि.व. 2020-21 के दौरान श्रेणी 'ग' तथा श्रेणी 'ख2' में क्रमश: 12.9 *प्रतिशत* और 5.2 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई जबकि वि.व. 2019-20 के दौरान यह वृद्धि 12.6 *प्रतिशत* तथा 1.1 *प्रतिशत* थी। वि.व 2016-17 से वि.व 2020-21 के दौरान गैर-निगमित करदाताओं में 51.7 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी जबकि इसी अवधि के दौरान गैर-निगमित करदाताओं से कर संग्रहण में 38.2 *प्रतिशत (तालिका 1.4 का संदर्भ लें)* की वृद्धि हुई। इस प्रकार, गैर-निगमित करदाताओं में *प्रतिशत* वृद्धि इस पर संग्रहीत कर में हुई *प्रतिशत* वृद्धि से अधिक थी।

11 श्रेणी 'क' निर्धारिती - ₹ दो लाख से कम आय /हानि वाले निर्धारण;

12 श्रेणी 'ख1' निर्धारिती (निम्न आय समूह) - ₹ दो लाख और उससे अधिक; परंतु ₹ पांच लाख से कम की आय/हानि वाले निर्धारण

13 श्रेणी 'ख2' निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ पांच लाख और उससे अधिक परंतु ₹ 10 लाख से कम की आय/हानि वाले निर्धारण;

14 श्रेणी 'ग' निर्धारिती - ₹ 10 लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले निर्धारण;

15 श्रेणी 'घ' निर्धारिती - तलाशी और जब्ती वाले निर्धारण

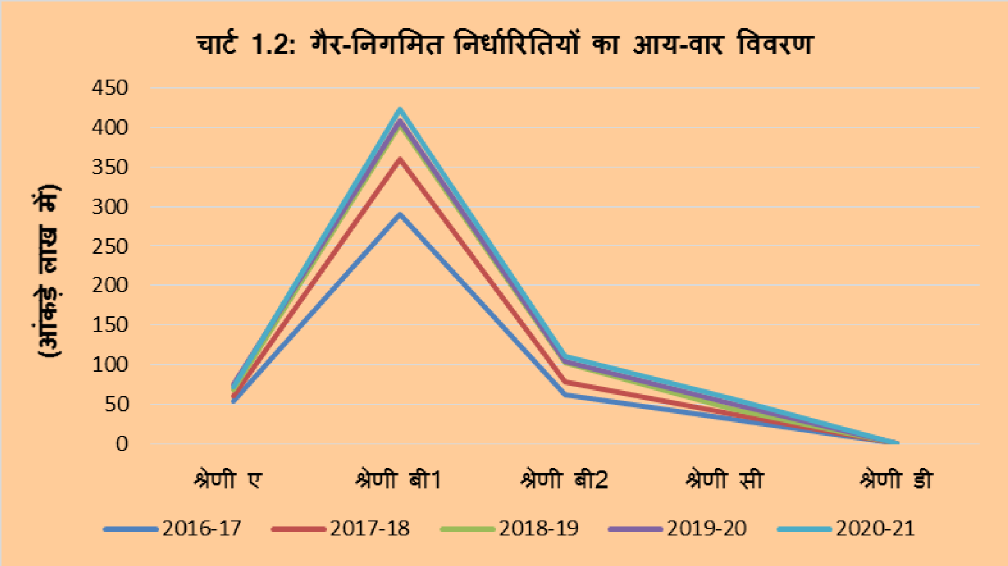

1.4.11 निम्न तालिका 1.8 में आय की विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्धित निगमित निर्धारितियों के विवरण दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.8 निगमित निर्धारिती:

वित्तीय वर्ष	क[16]	ख$_1$[17]	ख$_2$[18]	ग[19]	घ[20]	कुल	₹ 25 लाख से अधिक की आय वाले निर्धारिती
							(आंकड़े लाख में)
2016-17	3.14	1.65	0.53	1.81	0.00#	7.13	1.44
2017-18	3.57	1.85	0.58	1.99	0.00$	7.99	1.31
2018-19	3.66	2.00	0.61	2.19	0.00@	8.46	1.45
2019-20	3.48	2.00	0.63	2.27	0.00*	8.38	1.52
2020-21	3.91	2.21	0.68	2.42	0.00^	9.21	1.61

स्रोत :सीबीडीटी; यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान फाइल की गई वास्तविक रिटर्न के आधार पर हैं।

^ 337 निर्धारिती, # 134 निर्धारिती, $ 195 निर्धारिती, @ 146 निर्धारिती, *223 निर्धारिती, ^ 60 निर्धारिती

निगमित निर्धारितियों की संख्या में वि.व. 2019-20 में 0.9 *प्रतिशत* की कमी की तुलना में वि.व. 2020-21 में 12.4 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई। वि.व. 2016-17 से वि.व. 2020-21 के दौरान निगमित करदाताओं में 29.2 *प्रतिशत*

16 श्रेणी 'क' निर्धारिती - ₹ 50,000 से कम आय/हानि वाले निर्धारण;

17 श्रेणी 'ख'1 निर्धारिती (निम्न आय समूह) - ₹ 50,000 और उससे अधिक परंतु ₹ पांच लाख से कम की आय/हानि वाले निर्धारण;

18 श्रेणी 'ख'2 निर्धारिती (उच्च आय वर्ग) - ₹ पांच लाख और उससे अधिक; परंतु ₹ 10 लाख से कम की आय/हानि वाले निर्धारण;

19 श्रेणी 'ग' निर्धारिती - ₹ 10 लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले निर्धारण;

20 श्रेणी 'घ' निर्धारिती - तलाशी और जब्ती वाले निर्धारण;

की वृद्धि थी जबकि इसी अवधि के दौरान निगमित करदाताओं से कर संग्रहण में 5.6 *प्रतिशत (तालिका 1.4 का संदर्भ लें)* की कमी थी।

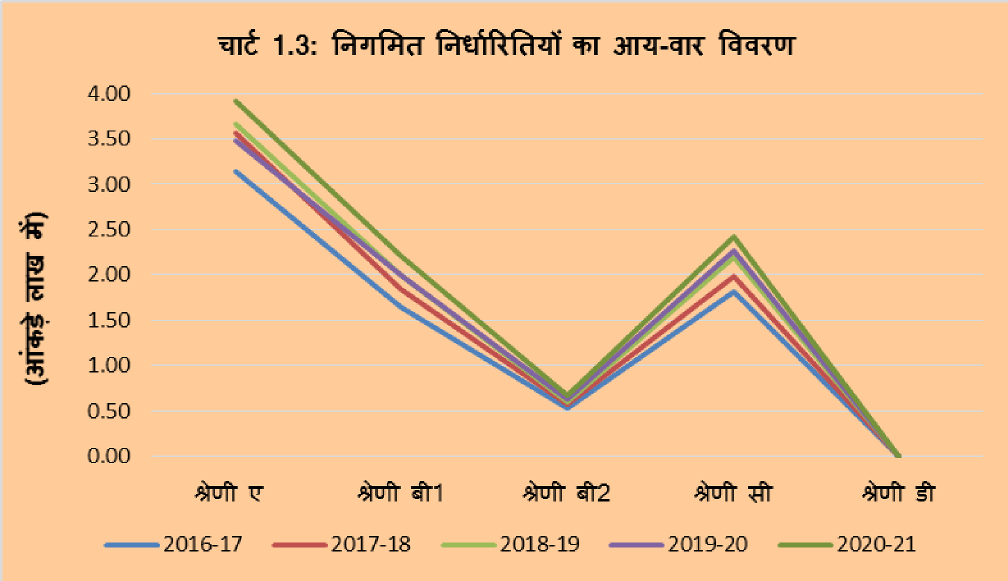

1.5 प्रतिदायों की प्रवृत्ति

जब भुगतान किए गए कर की राशि देय कर की राशि से अधिक हो जाती है, तो निर्धारिती अतिरिक्त राशि के प्रतिदाय का हकदार होता हैं। यदि करदाता को दिया जाने वाला प्रतिदाय स्रोत पर कटौती/ संग्रह किए गए किसी भी कर या अग्रिम कर के माध्यम से भुगतान किए गए कर से अन्य है, तो करदाता निर्धारण वर्ष के एक अप्रैल से लेकर उस तारीख तक, जिस तारीख को प्रतिदाय दिया जाता है, हर महीने या एक महीने के भाग के लिए डेढ़ *प्रतिशत* की दर से गणना किए गए ब्याज का हकदार होगा, यदि आयकर रिटर्न धारा 139(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख को या उससे पहले फाइल किया जाता है। स्व-निर्धारित कर के माध्यम से भुगतान किए गए अतिरिक्त कर के कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय पर ब्याज की गणना आय का रिटर्न फाइल करने या कर के भुगतान की तारीख से की जाएगी, जो भी बाद में हो। हालांकि, यदि प्रतिदाय की राशि धारा 143(1) के अंतर्गत निर्धारित कर के 10 *प्रतिशत* से कम है या नियमित निर्धारण के अंतर्गत निर्धारित कर है, तो कोई ब्याज देय नहीं होगा।

1.5.1 प्रतिदाय मामलों का निपटान

निम्न तालिका 1.9 में वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिदाय के मामलों के निपटान और लंबित मामलों की प्रवृत्ति दी गई है।

तालिका 1.9: प्रतिदाय मामलों का निपटान **(संख्या लाख में)**

वित्तीय वर्ष	निपटान के लिए लंबित प्रतिदाय मामलें	निपटान किए गए प्रतिदाय मामलें	लंबित प्रतिदाय मामलें	लंबन *प्रतिशत* में
2018-19	274.4	261.7	12.7	4.63
2019-20	264.3	248.9	15.4	5.83
2020-21	272.6	236.5	36.1	13.24

स्रोत: सीबीडीटी

वि.व. 2020-21 के दौरान प्रतिदाय मामलों के लंबित मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

1.5.2 प्रतिदाय की त्रैमासिक प्रवृति

निम्न तालिका 1.10 वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निगम कर और आयकर के सम्बन्ध में किए गए प्रतिदाय और राजस्व संग्रह की त्रैमासिक प्रवृत्ति को दर्शाती है!

तालिका 1.10: प्रतिदाय की त्रैमासिक प्रवृत्ति **(₹ करोड़ में)**

वि.वर्ष	तिमाही की समाप्ति	निगम कर			आयकर		
		सकल संग्रहण	प्रतिदाय	संग्रहण के संदर्भ में प्रतिदाय का *प्रतिशत*	सकल संग्रहण	प्रतिदाय	संग्रहण के संदर्भ में प्रतिदाय का *प्रतिशत*
2018-19	जून 2018	1,27,468	61,078	47.9	98,049	12,834	13.1
	सितंबर 2018	1,90,200	12,848	6.8	1,27,210	16,823	13.2
	दिसंबर 2018	1,94,177	10,468	5.4	1,21,069	16,503	13.6
	मार्च 2019	2,57,554	21,434	8.3	1,70,533	9,049	5.3
	कुल	**7,69,399**	**1,05,828**	**13.8**	**5,16,861**	**55,209**	**10.7**
2019-20	जून 2019	70,435	64,894	92.1	92,449	11,209	12.1
	सितंबर 2019	1,78,463	17,404	9.8	1,11,951	17,481	15.6
	दिसंबर 2019	1,20,124	28,009	23.3	98,494	30,792	31.3
	मार्च 2020	1,87,853	11,235	6.0	1,77,449	2,407	1.4
	कुल	**5,56,876**	**1,21,542**	**21.8**	**4,80,343**	**61,889**	**12.9**

तालिका 1.10: प्रतिदाय की त्रैमासिक प्रवृत्ति								**(₹ करोड़ में)**
वि.वर्ष	**तिमाही की समाप्ति**	**निगम कर**			**आयकर**			
		सकल संग्रहण	**प्रतिदाय**	**संग्रहण के संदर्भ में प्रतिदाय का *प्रतिशत***	**सकल संग्रहण**	**प्रतिदाय**	**संग्रहण के संदर्भ में प्रतिदाय का *प्रतिशत***	
2020-21	जून 2020	54,217	40,208	74.2	62,162	23,808	38.3	
	सितंबर 2020	96,247	48,155	50.0	1,04,327	7,414	7.1	
	दिसंबर 2020	1,61,996	20,888	12.9	1,28,943	19,061	14.8	
	मार्च 2021	1,45,269	64,151	44.2	1,75,201	35,839	20.6	
	कुल	**4,57,719**	**1,73,402**	**37.9**	**4,70,633**	**86,122**	**18.3**	

स्रोत: प्रधान सीसीए, सीबीडीटी

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका 1.10 से देखा जा सकता है, वित्त वर्ष 2018-19, वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाहियों के दौरान निगम कर के सकल संग्रहण का क्रमशः 47.9 *प्रतिशत*, 92.1 *प्रतिशत* और 74.2 *प्रतिशत* इसी तिमाही के दौरान वापस कर दिया गया था। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2018-19, वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाहियों के दौरान पिछले वर्ष के संग्रह से संबंधित निगम कर की कुल प्रतिदाय राशि का क्रमशः 57.7 *प्रतिशत*, 53.4 *प्रतिशत* और 23.2 *प्रतिशत* वापस किया गया था। यह भी देखा गया है कि सकल संग्रहण की प्रतिशतता के रूप में प्रतिदाय आयकर की तुलना में निगम कर के मामले में अधिक है।

1.6 पैन के आवंटन की प्रवृत्ति, आयकर रिटर्न फाइल करना और करदाताओं की सकल कुल आय

1.6.1 करदाताओं को श्रेणी-वार पैन आवंटन

करदाताओं के पंजीकरण और पहचान के लिए पैन एक आवश्यक साधन है। आयकर विभाग करदाताओं/गैर-करदाताओं के मौद्रिक लेनदेन के आधार पर पैन की जांच और निगरानी करता है और तदनुसार आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू करता है।

नीचे दी गई तालिका 1.11 में प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर करदाता की स्थिति-वार पैन आवंटन की संचयी संख्या का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.11: करदाता की स्थिति-वार पैन आवंटन					(लाख में संख्या)
क्र.सं.	करदाताओं की स्थिति	मार्च 2018 तक	मार्च 2019 तक	मार्च 2020 तक	मार्च 2021 तक
1	वैयक्तिक	3,694.7	4,352.5	4,923.9	5,415.4
2	कंपनी	16.1	17.4	18.7	20.3
3	फर्म	41.1	44.3	47.4	50.7
4	एचयूएफ	19.5	20.2	20.8	21.4
5	अन्य*	19.4	22.7	26.1	29.1
	कुल	**3,790.8**	**4,457.1**	**5,036.9**	**5,536.9**

* अन्य में एओपी, बीओआई, सरकार, एजेपी, स्थानीय प्राधिकरण, न्यास शामिल हैं

उपरोक्त तालिका 1.11 और निम्न चार्ट 1.4 और चार्ट 1.5 से, यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21 तक करदाताओं की सभी श्रेणियों में पैन आवंटन की पूर्ण संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी। हालांकि वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पैन आवंटन में *प्रतिशत* वृद्धि में सालाना गिरावट देखी गई।

चार्ट 1.4: व्यक्ति को वर्ष-वार संचयी पैन आवंटन

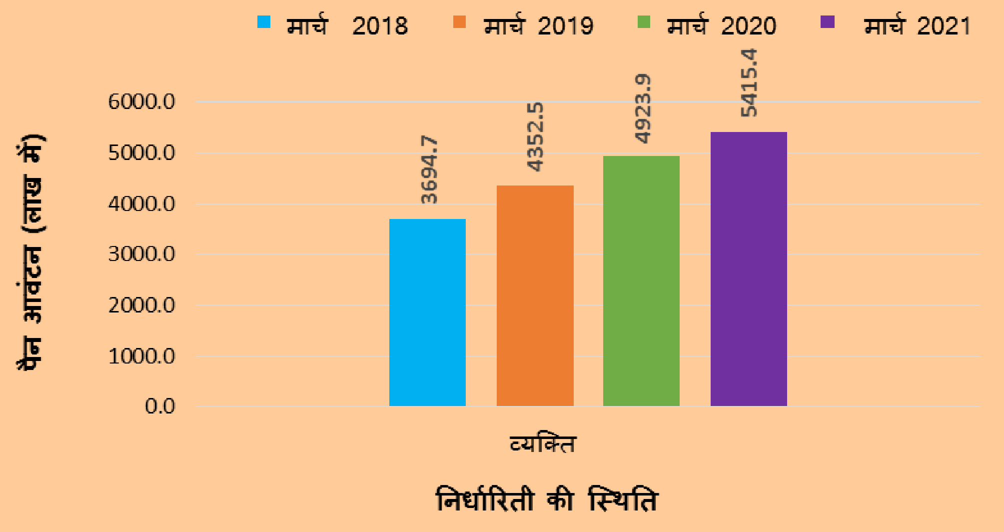

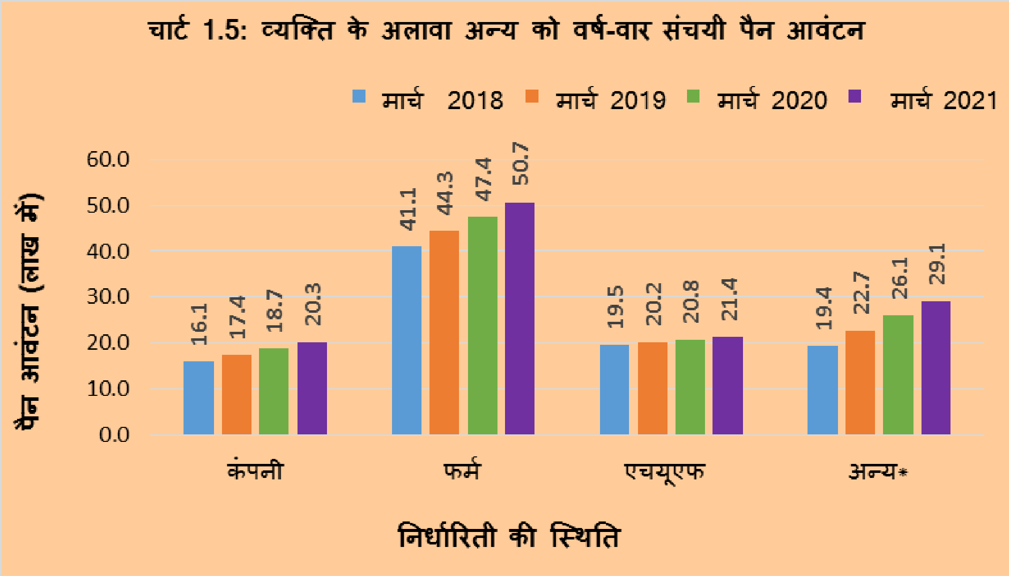

1.6.2 आयकर रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्तियों की वित्तीय वर्ष-वार संख्या

अधिनियम की धारा 139 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, एक कंपनी या फर्म होने के नाते; या एक कंपनी या फर्म के अलावा एक अन्य व्यक्ति होने के नाते, पिछले वर्ष के दौरान यदि इस अधिनियम के अंतर्गत उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय जिसके सम्बन्ध में वह निर्धारण योग्य है, जो अधिकतम राशि से अधिक है जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है, तो वह नियत तारीख को या उससे पहले, पिछले वर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा।

निम्न तालिका 1.12 में आयकर रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्तियों की वित्तीय वर्ष और पैन श्रेणी-वार संख्या का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.12 : आयकर रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्तियों की वित्तीय वर्ष-वार संख्या (संख्या लाख में)

पैन श्रेणी	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	आईटीआर की संख्या	कुल आईटीआर का *प्रतिशत*	आईटीआर की संख्या	कुल आईटीआर का *प्रतिशत*	आईटीआर की संख्या	कुल आईटीआर का *प्रतिशत*	आईटीआर की संख्या	कुल आईटीआर का *प्रतिशत*	आईटीआर की संख्या	कुल आईटीआर का *प्रतिशत*
व्यक्ति	415.9	93.0	509.9	93.5	595.4	94.0	611.3	94.2	631.7	94.0
कंपनी	7.2	1.6	8.0	1.5	8.5	1.3	8.4	1.3	9.2	1.4
फर्म	10.6	2.4	12.1	2.2	13.2	2.1	13	2.0	14.1	2.1
एचयूएफ	10.1	2.3	11.1	2.0	11.7	1.8	11.6	1.8	12	1.8
अन्य	3.3	0.7	4.0	0.7	4.4	0.7	4.4	0.7	5.0	0.7
कुल	**447.1**	**100.0**	**545.1**	**100.0**	**633.2**	**100.0**	**648.7**	**100.0**	**672.1**	**100.0**

* अन्य में एओपी, बीओआई, सरकार, एजेपी, स्थानीय प्राधिकरण और ट्रस्ट शामिल हैं

उपरोक्त तालिका 1.12, नीचे चार्ट 1.6 और चार्ट 1.7 से, यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2020-21 तक आयकर रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्तियों की पूर्ण संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी। हालांकि, वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर संबंधित वित्तीय वर्षों के दौरान आयकर रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्तियों की संख्या में *प्रतिशत* वृद्धि में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट देखी गई।

चार्ट 1.6: आईटीआर फाइल करने वाले व्यक्तियों की वित्तीय वर्ष-वार संख्या

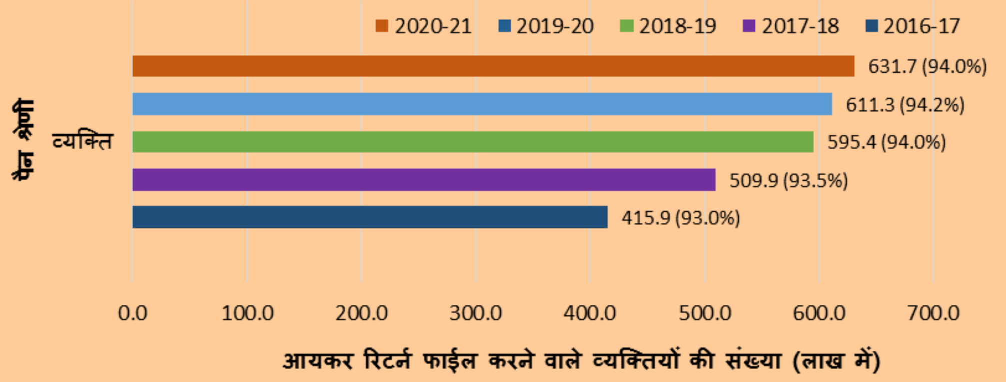

वित्त वर्ष 2017-18 के अलावा वैयक्तिक मामले में वित्त वर्ष 2018-19 में फाइल करने वालों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।

चार्ट 1.7: वयक्तिक रूप से आईटीआर फाइल करने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों की वि.व.-वार संख्या

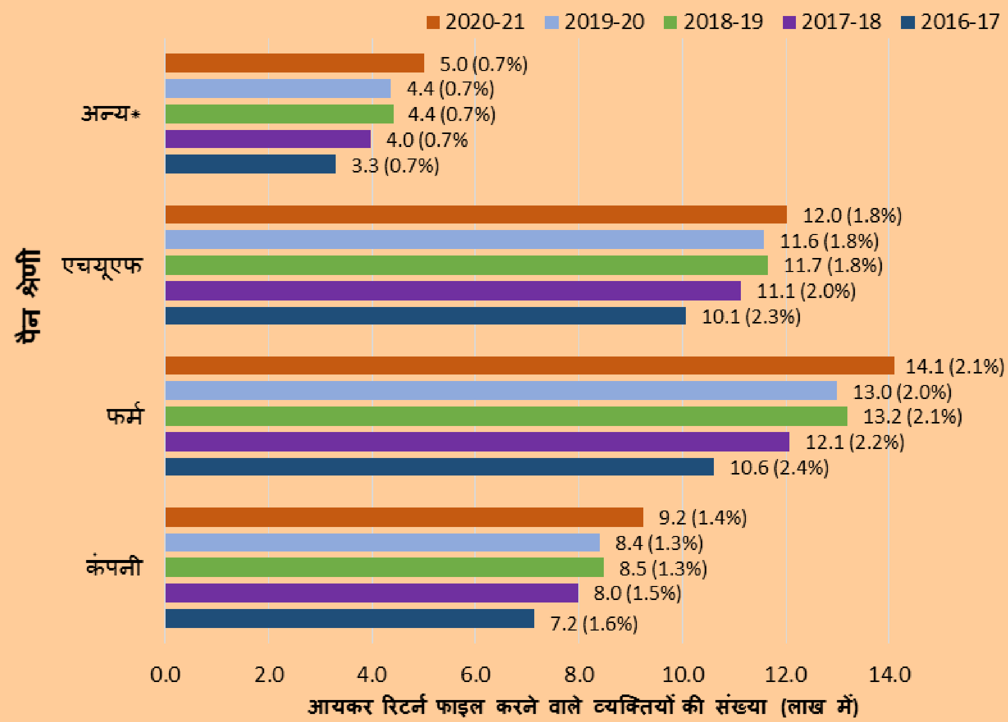

* अन्य में एओपी, बीओआई, सरकार, एजेपी, स्थानीय प्राधिकरण और न्यास शामिल हैं

1.6.3 करदाताओं द्वारा फाइल आयकर रिटर्न (आईटीआर) की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार संख्या

निम्न तालिका 1.13 में करदाताओं द्वारा फाइल आईटीआर की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार संख्या और तत्काल पिछले निर्धारण वर्ष की तुलना में आईटीआर की संख्या में *प्रतिशत* वृद्धि का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.13 : सभी करदाताओं द्वारा फाइल आईटीआर की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार संख्या

आय श्रेणी*	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	आईटीआर की सं. (हजार में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	आईटीआर की सं. (हजार में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	आईटीआर की सं. (हजार में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	आईटीआर की सं. (हजार में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	आईटीआर की सं. (हजार में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव
ए 1	35,504.1	10.84	33,136.2	-6.67	37,723.2	13.84	43,344.0	14.90	38,060.2	-12.19
ए 2	9,835.7	17.77	11,876.3	20.75	15,059.7	26.80	17,312.9	14.96	18,952.4	9.47
ए 3	4,027.7	29.65	4,715.8	17.08	5,763.7	22.22	7,297.4	26.61	6,770.0	-7.23
ए 4	117.5	10.89	137.3	16.76	163.4	19.08	230.3	40.93	162.0	-29.65
ए 5	2.6	9.80	2.9	13.03	3.4	18.63	5.8	68.94	5.8	0.19
कुल	**49,487.6**	**13.51**	**49,868.4**	**0.77**	**58,713.4**	**17.74**	**68,190.4**	**16.14**	**63,950.4**	**-6.22**

*ए1: सकल आय ₹ 5 लाख और उससे कम; ए2: सकल आय ₹5 लाख से ऊपर लेकिन ₹ 10 लाख और उससे कम; ए3: सकल आय ₹ 10 लाख से ऊपर लेकिन ₹ 1 करोड़ और उससे कम; ए4: सकल आय ₹ 1 करोड़ से ऊपर लेकिन ₹ 50 करोड़ और उससे कम; ए5: ₹ 50 करोड़ से ऊपर की सकल आय

उपरोक्त तालिका 1.13 और नीचे दिए गए चार्ट 1.8 से यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर सभी निर्धारितियों के सम्बन्ध में ₹ 5 लाख और उससे कम की सकल आय वाले निर्धारितियों को छोड़कर सभी निर्धारितियों के सम्बन्ध में आईटीआर की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, पिछले वर्षों की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में सभी निर्धारितियों (₹ 5 लाख से अधिक लेकिन ₹ 10 लाख से कम सकल आय वाले निर्धारितियों और ₹ 50 करोड़ से अधिक सकल आय वाले निर्धारितियों को छोड़कर) के सम्बन्ध में आईटीआर की संख्या में कमी आई थी।

चार्ट 1.8: सभी करदाताओं के आईटीआर की संख्या की नि.व.-वार प्रवृति

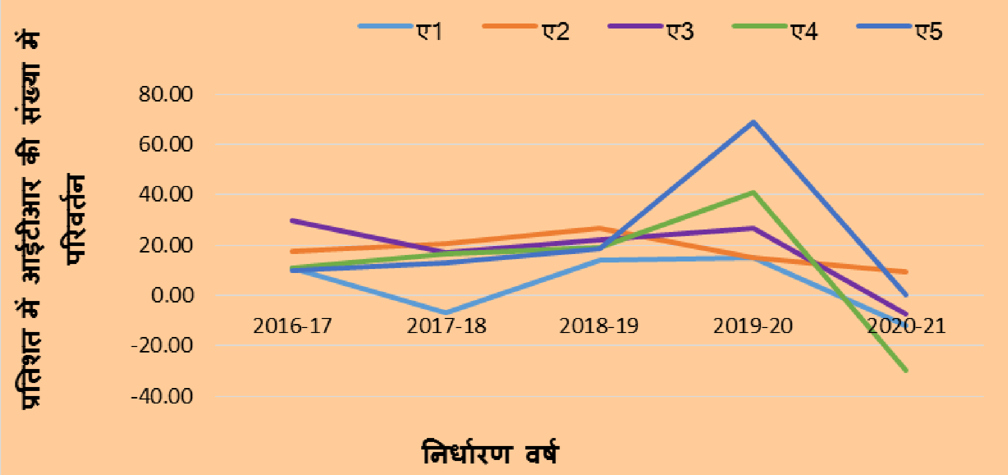

1.6.4 आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार करदाता की सकल कुल आय

नीचे दी गई तालिका 1.14 में करदाताओं की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार सकल कुल आय और तत्काल पिछले निर्धारण वर्ष की तुलना में करदाताओं की सकल कुल आय में *प्रतिशत* वृद्धि का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.14: करदाता की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार सकल कुल आय

आय श्रेणी*	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	सकल कुल आय (₹ करोड़ में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	सकल कुल आय (₹ करोड़ में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	सकल कुल आय (₹ करोड़ में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	सकल कुल आय (₹ करोड़ में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	सकल कुल आय (₹ करोड़ में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव
ए1	10,19,058	13.09	10,02,568	-1.62	11,44,466	14.15	12,96,722	13.30	11,99,384	-7.51
ए2	6,64,283	18.23	8,05,967	21.33	10,23,588	27.00	11,78,693	15.15	12,73,081	8.01
ए3	7,78,948	26.10	9,19,599	18.06	11,22,811	22.10	14,43,273	28.54	12,70,434	-11.98
ए4	4,32,539	9.25	4,97,814	15.09	5,98,674	20.26	8,83,176	47.52	6,62,438	-24.99
ए5	13,88,107	8.33	15,70,130	13.11	18,42,217	17.33	32,07,210	74.10	32,18,829	0.36
कुल	**38,50,396**	**14.53**	**42,98,264**	**11.63**	**51,33,084**	**19.42**	**71,25,898**	**38.82**	**69,61,727**	**-2.30**

*ए1: सकल आय ₹ 5 लाख और उससे कम; ए2: सकल आय ₹ 5 लाख से ऊपर लेकिन ₹ 10 लाख और उससे कम; ए3: सकल आय ₹ 10 लाख से ऊपर लेकिन ₹ 1 करोड़ और उससे कम; ए4: सकल आय ₹ 1 करोड़ से ऊपर लेकिन ₹ 50 करोड़ और उससे कम; ए5: ₹ 50 करोड़ से ऊपर की सकल आय

उपरोक्त तालिका 1.14 और नीचे दिए गए चार्ट 1.9 से यह देखा जा सकता है कि सभी श्रेणियों के निर्धारितियों (सकल आय ₹ 5 लाख और उससे कम अर्थात् ए1 श्रेणी वाले निर्धारितियों को छोड़कर) के सम्बन्ध में वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर कुल सकल कुल आय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी।

इसके अलावा, पिछले वर्षों की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में सभी निर्धारितियों (ए2 और ए5 श्रेणियों को छोड़कर) के सम्बन्ध में कुल सकल कुल आय में कमी आई थी।

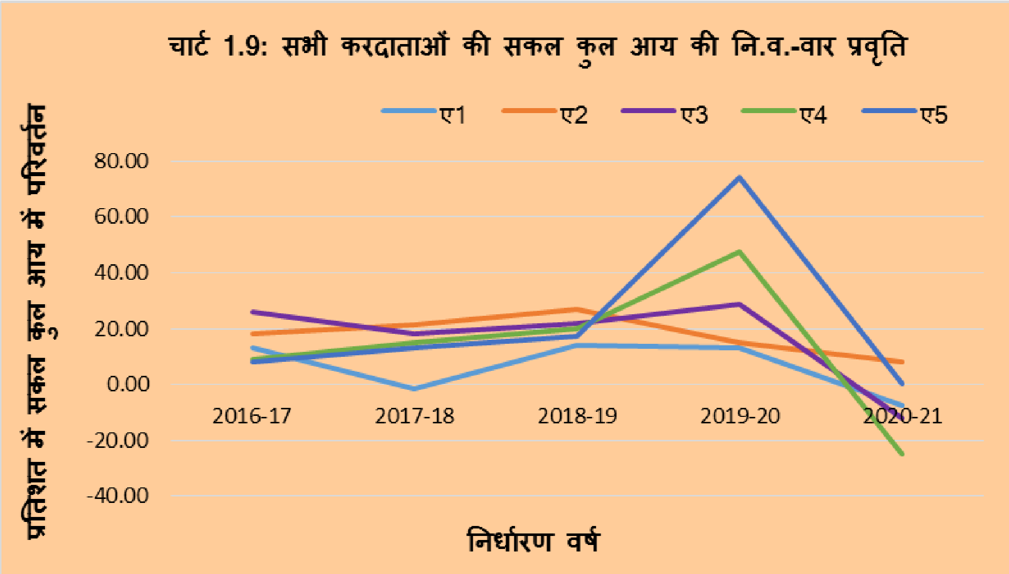

1.6.5 कंपनियों द्वारा फाइल आयकर रिटर्न (आईटीआर) की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार संख्या

नीचे दी गई तालिका 1.15 में कंपनियों द्वारा फाइल आईटीआर की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार संख्या और तत्काल पिछले निर्धारण वर्षों की तुलना में आईटीआर की संख्या में *प्रतिशत* वृद्धि का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.15: कंपनियों द्वारा फाइल रिटर्न की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार संख्या

आय श्रेणी*	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	आईटीआर की सं. (हजार में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	आईटीआर की सं. (हजार में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	आईटीआर की सं. (हजार में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	आईटीआर की सं. (हजार में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव
बी1	600.1	1.38	644.0	7.32	657.5	2.10	693.0	5.40
बी2	86.0	5.80	89.9	4.54	95.0	5.62	102.8	8.21
बी3	31.7	17.65	34.0	7.17	37.3	9.83	43.3	16.03
बी4	0.9	37.44	1.0	4.97	1.1	15.45	1.2	10.26
बी5	1.1	44.00	1.2	14.35	1.3	6.88	1.6	22.27
कुल	**719.8**	**2.60**	**770.1**	**6.99**	**792.3**	**2.88**	**841.9**	**6.27**

*बी 1: सकल आय शून्य और ऊपर लेकिन ₹ 10 लाख और उससे नीचे; बी 2: ₹ 10 लाख से ऊपर लेकिन ₹ 1 करोड़ और उससे नीचे की सकल आय; बी 3: ₹ 1 करोड़ से ऊपर लेकिन ₹ 50 करोड़ और उससे नीचे की सकल आय; बी 4: सकल आय ₹ 50 करोड़ से ऊपर लेकिन ₹ 100 करोड़ और उससे कम; B5: ₹ 100 करोड़ से ऊपर की सकल आय

टिप्पणी: निर्धारण वर्ष 2019-20 और निर्धारण वर्ष 2020-21 के सम्बन्ध में डेटा आईटीडी द्वारा प्रदान नहीं किया गया था।

उपरोक्त तालिका 1.15 और नीचे दिए गए चार्ट 1.10 से यह देखा जा सकता है कि तत्काल पिछले निर्धारण वर्ष की तुलना में निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान कंपनियों द्वारा फाइल आईटीआर की संख्या में वृद्धि हुई थी। हालांकि, ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक की सकल कुल आय वाली कंपनियों के सम्बन्ध में *प्रतिशत* में वृद्धि अधिक थी।

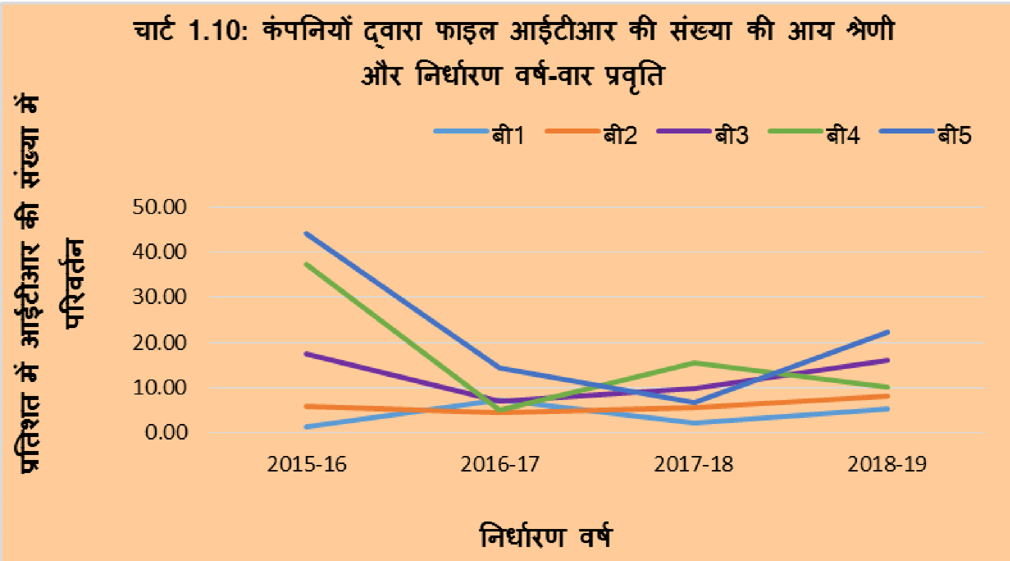

1.6.6 कंपनियों की सकल कुल आय की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार प्रवृति

नीचे दी गई तालिका 1.16 में कंपनियों की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार कुल सकल कुल आय और तत्काल पिछले निर्धारण वर्ष की तुलना में कंपनियों की सकल कुल आय में *प्रतिशत* परिवर्तन का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.16 : कंपनियों की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार कुल सकल कुल आय

आय श्रेणी*	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	सकल कुल आय (₹ करोड़ में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	सकल कुल आय (₹ करोड़ में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	सकल कुल आय (₹ करोड़ में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	सकल कुल आय (₹ करोड़ में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव
बी1	4,663	-7.85	4,853	4.07	4,981	2.64	5,051	1.41
बी2	29,304	7.01	30,985	5.74	33,061	6.70	36,146	9.33
बी3	1,90,149	24.95	2,05,695	8.18	2,25,017	9.39	2,63,045	16.90
बी4	64,518	37.44	68,134	5.60	78,578	15.33	86,989	10.70
बी5	7,83,130	56.35	8,45,494	7.96	9,40,466	11.23	10,82,240	15.07
Total	**10,71,764**	**46.33**	**11,55,161**	**7.78**	**12,82,103**	**10.99**	**14,73,472**	**14.93**

*बी1: सकल आय शून्य और ऊपर लेकिन ₹ 10 लाख और उससे नीचे; बी2: ₹ 10 लाख से ऊपर लेकिन ₹ 1 करोड़ और उससे नीचे की सकल आय; बी3: ₹1 करोड़ से ऊपर लेकिन ₹ 50 करोड़ और उससे नीचे की सकल आय; बी4: सकल आय ₹ 50 करोड़ से ऊपर लेकिन ₹ 100 करोड़ और उससे कम; B5: ₹ 100 करोड़ से ऊपर की सकल आय

टिप्पणी: निर्धारण वर्ष 2019-20 और निर्धारण वर्ष 2020-21 के सम्बन्ध में डेटा आईटीडी द्वारा प्रदान नहीं किया गया था।

उपरोक्त तालिका 1.16 और चार्ट 1.11 से यह देखा जा सकता है कि सभी श्रेणियों में कंपनियों की कुल सकल कुल आय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी। हालांकि सभी श्रेणियों में कंपनियों की कुल सकल कुल आय में *प्रतिशत* के संदर्भ में लगातार वृद्धि नहीं हुई थी। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2015-16 की तुलना में वित्त वर्ष 2016-17 में ₹ 1 करोड़ से अधिक की सकल कुल आय वाली कंपनियों की समस्त सकल कुल आय के *प्रतिशत* में तीव्र गिरावट आई थी।

चार्ट 1.11: कंपनियों की सकल कुल आय की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार प्रवृति

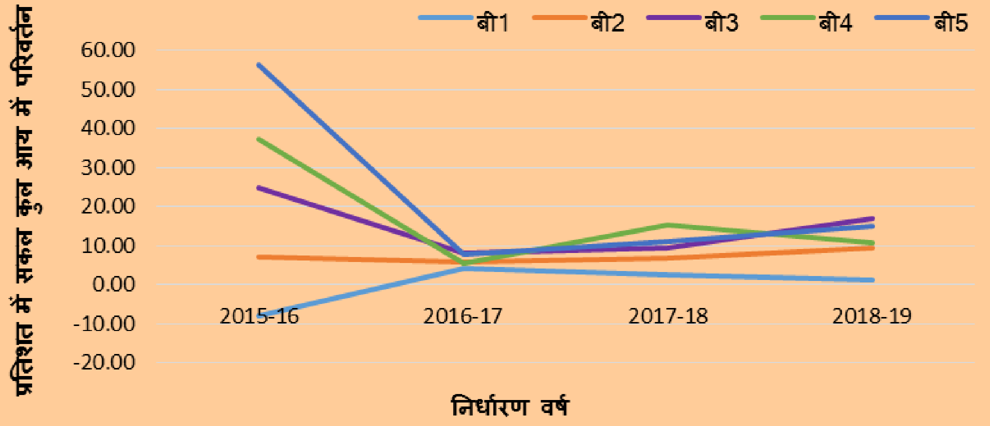

1.6.7 वैयक्तिकों द्वारा फाइल आयकर रिटर्न (आईटीआर) की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार संख्या

नीचे दी गई तालिका 1.17 में वैयक्तिकों द्वारा फाइल आईटीआर की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार संख्या और तत्काल पिछले निर्धारण वर्षों की तुलना में आईटीआर की संख्या में *प्रतिशत* वृद्धि का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.17: वैयक्तिकों द्वारा फाइल आईटीआर की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार संख्या

आय श्रेणी*	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	आईटीआर की सं. (हजार में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	आईटीआर की सं. (हजार में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	आईटीआर की सं. (हजार में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	आईटीआर की सं. (हजार में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव
सी1	29,658.6	7.60	32,933.4	11.04	30,548.7	-7.24	34,954.2	14.42
सी2	8,130.6	24.90	9,589.9	17.95	11,602.1	20.98	14,754.2	27.17
सी3	2,773.9	20.94	3,648.0	31.51	4,271.9	17.10	5,244.8	22.78
सी4	172.2	19.74	203.6	18.21	246.1	20.87	299.1	21.56
सी5	4.5	32.75	5.0	11.67	6.4	26.61	7.9	24.13
कुल	40,739.8	11.58	46,379.9	13.84	46,675.1	0.64	52,260.2	11.97

*सी1: सकल आय ₹ 5 लाख और उससे कम; सी2: ₹ 5 लाख से ऊपर लेकिन ₹ 10 लाख और उससे कम की सकल आय; सी3: ₹ 10 लाख से ऊपर लेकिन ₹ 50 लाख और उससे नीचे की सकल आय; सी4: ₹ 50 लाख से ऊपर लेकिन ₹ 5 करोड़ और उससे नीचे की सकल आय; सी5: ₹ 5 करोड़ से ऊपर की सकल आय

टिप्पणी: निर्धारण वर्ष 2019-20 और निर्धारण वर्ष 2020-21 के सम्बन्ध में डेटा आईटीडी द्वारा प्रदान नहीं किया गया था।

उपरोक्त तालिका 1.17 और नीचे दिए गए चार्ट 1.12 से यह देखा जा सकता है कि ₹ 5 लाख और उससे कम की सकल आय वाले निर्धारितियों को छोड़कर सभी वैयक्तिक निर्धारिती श्रेणियों के सम्बन्ध में आईटीआर की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी। हालांकि, फाइल आईटीआर की कुल संख्या में वृद्धि वित्त वर्ष 2016-17 में 13.84 *प्रतिशत* से घटकर वित्त वर्ष 2017-18 में 0.64 *प्रतिशत* हो गई थी, जिसका कारण फिर से सी1 श्रेणी में फाइल आईटीआर की संख्या में 7.24 *प्रतिशत* की गिरावट को बताया गया।

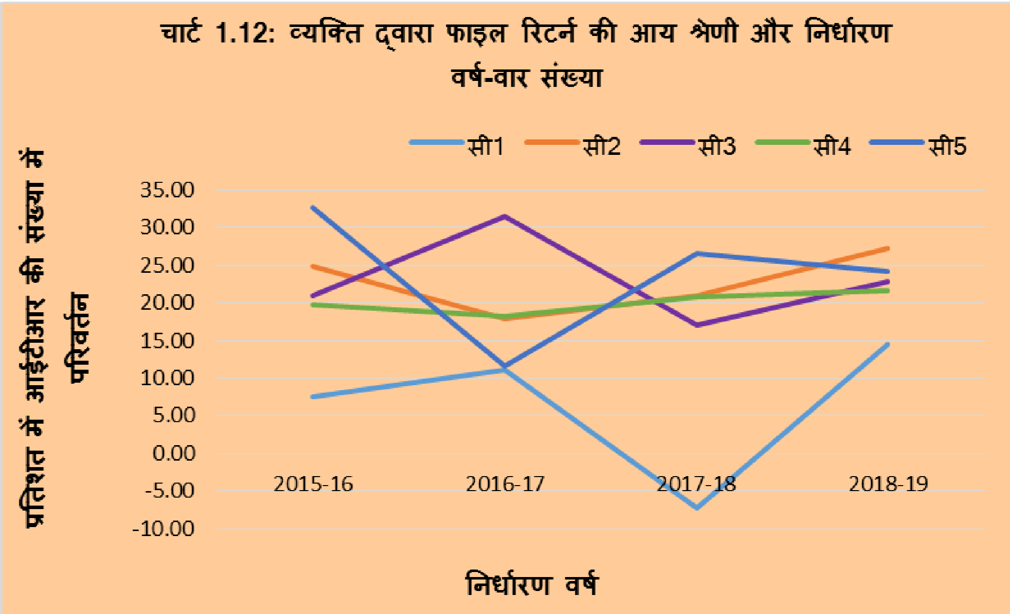

1.6.8 वैयक्तिकों की सकल कुल आय की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार प्रवृति

नीचे दी गई तालिका 1.18 में वैयक्तिकों की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार कुल सकल कुल आय और तत्काल पिछले निर्धारण वर्ष की तुलना में वैयक्तिकों की सकल कुल आय में *प्रतिशत* परिवर्तन का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.18: वैयक्तिकों की सकल कुल आय की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार प्रवृति

आय श्रेणी*	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	सकल कुल आय (₹ करोड़ में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	सकल कुल आय (₹ करोड़ में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	सकल कुल आय (₹ करोड़ में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव	सकल कुल आय (₹ करोड़ में)	*प्रतिशत* में हुआ बदलाव
सी1	8,72,466	18.20	9,88,604	13.31	9,70,840	-1.80	11,11,819	14.52
सी2	5,46,488	25.38	6,47,409	18.47	7,86,892	21.54	10,02,382	27.38
सी3	4,74,806	19.97	6,13,017	29.11	7,23,377	18.00	8,91,399	23.23
सी4	1,80,171	21.67	2,09,492	16.27	2,51,876	20.23	3,02,846	20.24
सी5	54,068	-17.73	66,056	22.17	83,800	26.86	1,06,737	27.37
कुल	**21,27,999**	**19.31**	**25,24,577**	**18.64**	**28,16,786**	**11.57**	**34,15,183**	**21.24**

*सी1: सकल आय ₹ 5 लाख और उससे कम; सी2: ₹ 5 लाख से ऊपर लेकिन ₹ 10 लाख और उससे कम की सकल आय; सी3: ₹ 10 लाख से ऊपर लेकिन ₹ 50 लाख और उससे नीचे की सकल आय; सी4: ₹ 50 लाख से ऊपर लेकिन ₹ 5 करोड़ और उससे नीचे की सकल आय; सी5: ₹ 5 करोड़ से ऊपर की सकल आय

टिप्पणी: निर्धारण वर्ष 2019-20 और निर्धारण वर्ष 2020-21 के सम्बन्ध में डेटा आईटीडी द्वारा प्रदान नहीं किया गया था।

उपरोक्त तालिका 1.18 और नीचे दिए गए चार्ट 1.13 से यह देखा जा सकता है कि वैयक्तिक निर्धारितियों की सभी श्रेणियों (सकल आय ₹ 5 लाख और उससे कम वाले निर्धारितियों को छोड़कर) के सम्बन्ध में कुल सकल कुल आय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2018-19 को छोड़कर कुल सकल कुल आय के कुल *प्रतिशत* में वर्ष-दर-वर्ष कमी आई, जिसने वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में *प्रतिशत* के संदर्भ में भारी वृद्धि दिखाई।

चार्ट 1.13: व्यक्ति की सकल कुल आय की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार प्रवृति

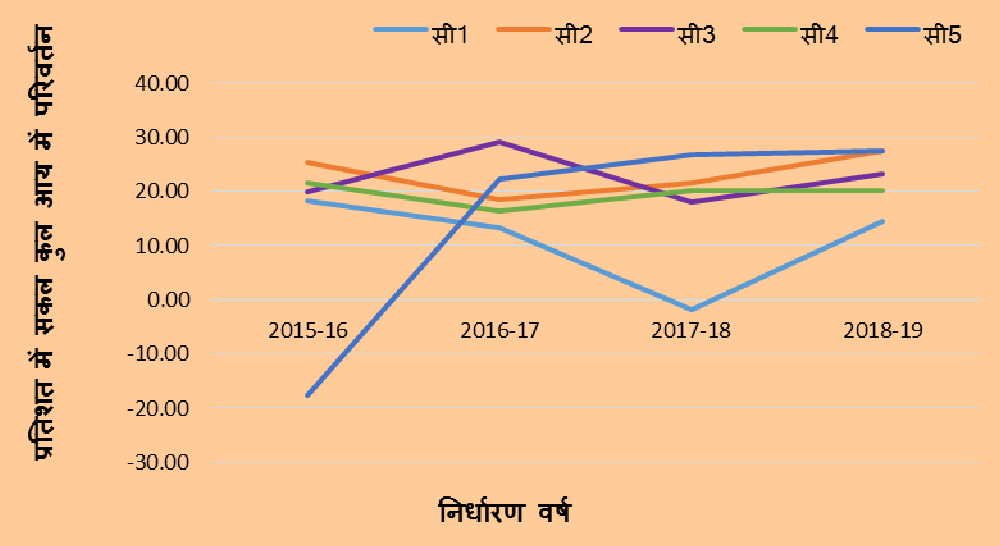

1.7 प्रत्यक्ष कराधान प्राप्तियों का बजट कार्य

1.7.1 बजट सरकार की दृष्टि एवं उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर राजस्व और अन्य राजस्व) शामिल होती हैं। बजट अनुमानों की तदनुरूपी वास्तविक राशि से तुलना राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविकता अप्रत्याशित और यादृच्छिक रूप से बाह्रय घटनाओं या प्रणालीगत अपर्याप्तताओं या महत्वपूर्ण मापदण्डों के बारे में अवास्तविक धारणाओं के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकती है।

1.7.2 निम्न तालिका 1.19 वि.व. 2016-17 से वि.व. 2020-21 के दौरान प्रत्यक्ष करों के बजट अनुमानों (बीई), संशोधित अनुमानों (आरई) तथा वास्तविक संग्रहण के ब्यौरे दर्शाती है।

तालिका 1.19: प्रत्यक्ष करों के वास्तविक संग्रहण की तुलना में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वास्तविक में से बजट अनुमान घटाकर	वास्तविक में से संशोधित अनुमान घटाकर	बजट अनुमान के *प्रतिशत* के रूप में अंतर	संशोधित अनुमान के *प्रतिशत* के रूप में अंतर
							(₹ करोड़ में)
2016-17	8,47,097	8,47,097	8,49,801	2,704	2,704	0.3	0.3
2017-18	9,80,000	10,05,000	10,02,738	22,738	(-) 2,262	2.3	(-) 0.2
2018-19	11,50,000	12,00,000	11,37,718	(-) 12,282	(-) 62,282	(-) 1.1	(-) 5.2
2019-20	13,35,000	11,70,000	10,50,686	(-) 2,84,314	(-) 1,19,314	(-) 21.3	(-) 10.2
2020-21	13,19,000	9,05,000	9,47,174	(-) 3,71,826	42,174	(-) 28.2	4.7

स्रोत: बीई और आरई आंकड़े संबंधित प्राप्ति बजट के अनुसार हैं और वास्तविक संबंधित वित्त लेखाओ के अनुसार हैं

1.7.3 वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान संशोधित अनुमान और वास्तविक संग्रह के बीच अंतर (-)10.2 *प्रतिशत* से 4.7 *प्रतिशत* के बीच था। वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान संशोधित अनुमान और वास्तविक के बीच की तुलना में बजट अनुमान और वास्तविक के बीच अंतर अधिक था।

1.8 कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

1.8.1 किसी भी कर कानून और उसके प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी व्यय के वित्तपोषण के उद्देश्य से राजस्व को बढ़ाना है। जुटाया गया राजस्व

मुख्य रूप से कर आधार और प्रभावी कर दर पर निर्भर करता है। इन दो कारकों के कई निर्धारक उपाय हैं जिनमें विशेष कर की दरें, छूट, कटौती, रियायत, स्थगन और क्रेडिट शामिल हैं। इन उपायों को सामूहिक रूप से "कर प्रोत्साहन या कर प्राथमिकता" के रूप में जाना जाता है। इन्हें कर व्यय के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

1.8.2 आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) में अन्य विषयों के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने, संतुलित क्षेत्रीय विकास, संरचनात्मक सुविधाओं के सृजन, रोजगार, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास, सहकारी क्षेत्र में वृद्धि के लिए कर प्रोत्साहन का प्रावधान है और वैयक्तिकों द्वारा बचत और धर्मार्थ के दान को प्रोत्साहित करता है। इनमें से ज्यादातर कर लाभ, कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट करदाता दोनों उठा सकते हैं।

1.8.3 संघ प्राप्ति बजट में इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई विवरणी के आधार पर कॉर्पोरेट करदाताओं और गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण दर्शाया जाता है। नीचे दी गई तालिका 1.20 वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाती है।

तालिका 1.20: कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

वित्तीय वर्ष	**कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव**	**राजस्व पर *प्रतिशत* के रूप में प्रभाव**		
		जीडीपी	**प्रत्यक्ष कर**	**सकल कर प्राप्तियां**
				(₹ करोड़ में)
2016-17	1,55,840	1.0	18.3	9.1
2017-18	1,83,580	1.1	18.3	9.6
2018-19	2,06,113	1.1	18.1	9.9
2019-20	2,57,582	1.3	24.5	12.8
2020-21	2,82,697	1.4	29.9	14.0

स्रोत: संबंधित प्राप्ति बजट और वित्त वर्ष **2019-20** के लिए संशोधित आंकड़े को प्राप्ति बजट **2022-23** के अनुसार अपनाया गया है।

टिप्पणी: कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के आंकड़े वित्त वर्ष 2020-21 (अनुमानित) को छोड़कर वास्तविक हैं। इनमें धर्मार्थ संस्था शामिल नहीं हैं। हालांकि, धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा 31 मई 2021 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए 2,24,839 रिटर्न के सम्बन्ध में ₹ 7,86,379 करोड़ का आवेदन किया गया था।

जैसा कि वित्त वर्ष 2022-23 के प्राप्ति बजट में बताया गया लाभ की सूचना देने वाली कंपनियों के पूरे आधार की प्रभावी कर की दर[21] वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 22.54 *प्रतिशत*[22] थी, जबकि ₹ एक करोड़ तक की आय वाली कंपनियों के मामले में वैधानिक कर की दर 31.20 *प्रतिशत*, ₹ 10 करोड़ तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 *प्रतिशत* और ₹ 10 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 *प्रतिशत* थी। इसके अलावा, मौजूदा कंपनियों के लिए जिन्होंने नई रियायती कर व्यवस्था[23] का विकल्प चुना है, वैधानिक कर की दर 25.17 *प्रतिशत* थी। इसके अलावा, जैसा कि प्राप्ति बजट में बताया गया है, प्रभावी कर की दर में उल्लेखनीय कमी मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि उच्च लाभ वाली कंपनियों की एक बड़ी संख्या धारा 115 बीएए के अंतर्गत मौजूदा कंपनियों के लिए प्रदान की गई नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित हो गई है।

1.8.4 वित्त वर्ष 2020-21 में कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों को दिए गए प्रमुख कर प्रोत्साहनों में धारा 80सी के अंतर्गत कुछ निवेश और भुगतान (₹ 88,301 करोड़), धारा 32 के अंतर्गत त्वरित मूल्यह्रास (₹ 39,593 करोड़), धारा 87 ए के अंतर्गत छूट (₹ 29,204 करोड़), धारा 10एए के अंतर्गत एसइज़ेड इकाइयों को निर्यात लाभ में कटौती (₹ 24,928 करोड़) और धारा 80आईए के अंतर्गत बिजली के उत्पादन/संचरण एवं वितरण में उपक्रमों में कटौती (₹ 17,559 करोड़) और वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए धारा 35(1)(2एए) तथा 35(1)(2एबी) के अंतर्गत कटौती (₹ 6,992 करोड़) शामिल हैं।

1.8.5 कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव वित्त वर्ष 2016-17 के ₹ 1,55,840 करोड़ से 81.4 *प्रतिशत* बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 2,82,697 करोड़ हो गया है। हालांकि वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में कर प्रोत्साहन में 9.8 प्रतिशत की निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है, लेकिन प्रत्यक्ष कर और सकल कर राजस्व में कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव की हिस्सेदारी

---

21 कंपनियों के मामले में प्रभावी कर दर कुल करों (अधिभार और शिक्षा उपकर सहित लेकिन लाभांश वितरण कर को छोड़कर) का करों से पहले कुल लाभ (पीबीटी) से अनुपात है और *प्रतिशत* के रूप में व्यक्त किया जाता है।

22 जो वित्त वर्ष 2018-19 में प्रभावी कर दर 27.81 *प्रतिशत* से कम है।

23 आयकर अधिनियम की धारा 115 बीएए के तहत कटौती और छूट के बिना कम कर दर।

में क्रमशः 5.4 प्रतिशत और 1.2 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2019-20 में 1.3 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव जीडीपी का 1.4 प्रतिशत था।

1.9 कर ऋण - असंग्रहीत मांग

1.9.1 नीचे दी गई तालिका 1.21 में वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान लंबित मांग के बकाया की प्रवृत्ति दर्शाई गई है।

तालिका 1.21: माँग का बकाया

वित्तीय वर्ष	पिछले वर्ष की बकाया मांग	चालू वर्ष की बकाया मांग	कुल बकाया मांग	वसूली हेतु दुष्कर मांग#	वसूली हेतु दुष्कर मांग (*प्रतिशत में*)	निवल संग्रहणीय मांग
						(₹ करोड़ में)
2016-17	7,33,229	3,11,459	10,44,688	10,29,725	98.57	14,963
2017-18	7,36,975	3,77,207	11,14,182	10,94,023	98.19	20,159
2018-19	9,46,190	2,87,888	12,34,078	12,19,485	98.82	14,593
2019-20	11,25,314	4,93,640	16,18,954	15,80,220	97.61	38,734
2020-21	14,80,304	31,314	15,11,618*	14,85,289	98.26	26,473

स्रोत: संबंधित वित्त वर्ष के मार्च महीने के लिए आयकर निदेशालय (संगठन और प्रबंधन सेवाएं), मांग और संग्रह रिपोर्ट (सीएपी -1)। #इसमें चालू वर्ष की मांग भी शामिल है। *जैसा कि मार्च 2021 के लिए सीएपी-I में बताया गया है, ₹ 15, 11,618 करोड़ की कुल बकाया मांग के आंकड़े और वसूली हेतु मुश्किल मांग की कुल बकाया राशि ₹ 14,85,289 करोड़ और शुद्ध संग्रहणीय मांग ₹26,473 करोड़ में ₹144 करोड़ का अंतर है।

1.9.2 यद्यपि वित्त वर्ष 2020-21 में मांग का कुल बकाया ₹ 15,11,618 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2019-20 (₹ 16,18,954 करोड़) की तुलना में 6.63 प्रतिशत कम है, तथापि, 'वसूली हेतु दुष्कर' के रूप में वर्गीकृत मांग निवल संग्रहणीय मांग में कमी के कारण वित्त वर्ष 2019-20 में 97.61 *प्रतिशत* की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में मांग के कुल बकाया मामूली रूप से बढ़कर 98.26 प्रतिशत हो गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि संबंधित वित्त वर्ष के मार्च महीने के लिए आयकर विभाग द्वारा तैयार की गई मांग एवं संग्रहण रिपोर्ट में विभिन्न कारकों जैसे वसूली हेतु कोई परिसम्पत्ति/अपर्याप्त परिसंपत्तियां नहीं, परिसमापन/बीआईएफआर के अंतर्गत मामले, निर्धारिती का पता न लगना, न्यायालयों/आईटीएटी/आईटी प्राधिकरणों द्वारा स्थगित मांग,

टीडीएस/पूर्व-प्रदत्त करों में अंतर आदि का विश्लेषण किया गया है जिससे वसूली हेतु दुष्कर मांग का अनुमान लगाया गया है।

1.10 मुकदमेबाजी प्रबंधन

1.10.1 निम्न तालिका 1.22 में वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील के मामलों के निपटान और लंबन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.22: सीआईटी (ए) द्वारा अपील के मामलों का निपटान

वित्तीय वर्ष	निपटान के लिए उपलब्ध अपील मामले	निपटाए गए अपील मामले	लंबित अपील मामले	लंबन प्रतिशतता	अपील मामलों में अवरुद्ध राशि
		(संख्या लाख में)			(₹ करोड़ में)
2016-17	4.08	1.18	2.90	71.1	6,11,227
2017-18	4.25	1.21	3.04	71.7	5,18,647
2018-19	4.62	1.23	3.39	73.4	5,62,806
2019-20	5.57	0.99	4.58	82.2	8,83,331
2020-21	4.85	0.26	4.59	94.6	24,64,610

स्रोत: सीबीडीटी

1.10.2 वित्त वर्ष 2020-21 में सीआईटी (अपील) के पास अपील मामलों में अवरूद्ध राशि भारत सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक है।

1.10.3 निम्न तालिका 1.23 में वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों (आईटीएटी)/उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपील मामलों की स्थिति दी गई है।

तालिका 1.23: आईटीएटी/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपील

वित्तीय वर्ष	आईटीएटी		उच्च न्यायालय		सर्वोच्च न्यायालय		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
								(₹ करोड़ में)
2016-17	37,968	1,43,771	38,481	2,87,818	6,375	8,048	82,806	4,39,637
2017-18	37,353	2,34,999	39,066	1,96,053	6,224	11,773	82,643	4,42,825
2018-19	92,205	अनुपलब्ध@	38,539	1,36,465	4,425	74,368#	1,35,169	2,10,833
2019-20	88,016	अनुपलब्ध@	31,822	3,09,238	3,294	1,15,584	1,24,287	3,09,237
2020-21	66,562	अनुपलब्ध@	31,971	2,75,329	3,492	1,27,675	1,02,025	4,03,004

स्रोत: सीबीडीटी;

टिप्पणी: वित्त वर्ष 2019-20 के आंकड़े पत्र एफ.सं. 240/06/2021-एएंडपीएसी-I-506 दिनांक 14.07.2022 के द्वारा प्रदान किया गया हैं;

@ विभाग द्वारा आईटीएटी में फाइल अपीलों के सम्बन्ध में राशि के साथ-साथ निर्धारिती भी उपलब्ध नहीं हैं।

निर्धारितियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में फाइल अपीलों के सम्बन्ध में राशि उपलब्ध नहीं है।

1.10.4 लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि आईटीएटी स्तर पर लंबित अपीलों की संख्या सीबीडीटी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई थी, परंतु इन अपीलों में अवरुद्ध राशि पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

1.10.5 सीबीडीटी ने 2019 के अपने परिपत्र संख्या 17 दिनांक 8 अगस्त 2019 के माध्यम से विभाग द्वारा आईटीएटी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा को क्रमशः ₹ 20 लाख से बढ़ाकर ₹ 50 लाख, ₹ 50 लाख से ₹ एक करोड़ और ₹एक करोड़ से ₹ दो करोड़ कर दिया; लंबित मामलों की संख्या वित्त वर्ष 2019-20 में 1.24 लाख मामलों से 17.9 *प्रतिशत* घटकर वित्त वर्ष 2020-21 में 1.02 लाख हो गई।

1.11 कर अपवंचन

1.11.1 तलाशी एवं जब्ती[24] तथा सर्वेक्षण[25] उन मुख्य साक्ष्य संग्रहण तंत्रों में से हैं जिनका उपयोग उन मामलों में किया जाता है जहां कर अपवंचन के बारे में विश्वसनीय सूचना आयकर विभाग के पास होती है। निम्न तालिका 1.24 वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए तलाशी एवं जब्ती अभियानों और सर्वेक्षणों और स्वीकृत की गई/पता लगाई गई अघोषित आय का विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.24: तलाशी और जब्ती तथा सर्वेक्षण मामलों की स्थिति

वित्तीय वर्ष	तलाशी किए गए समूहों की संख्या	स्वीकृत अघोषित आय (तलाशी और जब्ती में)	किए गए सर्वेक्षणों की संख्या	पता लगाई गई अघोषित आय (सर्वेक्षणों में)
				(₹ करोड़ में)
2016-17	1,152	15,497	12,526	13,716
2017-18	577	15,913	13,487	9,634
2018-19	983	18,594	15,401	16,126
2019-20	984	10,370	12,720	22,244
2020-21	569	4,145	426	5,111

स्रोत: इन्वेस्टिगेशन विंग, सीबीडीटी;

24 किसी भी अघोषित आय या कीमती सामान का पता लगाने के लिए अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी और जब्ती की जाती है।

25 अधिनियम की धारा 133ए और 133बी के तहत सर्वेक्षण किसी भी जानकारी को एकत्र करने के लिए किया जाता है, जो कर अपवंचन को रोकने में आईटीडी के लिए उपयोगी हो सकता है।

1.11.2 वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, तलाशी और जब्ती के दौरान स्वीकार की गई अघोषित आय में 60.0 *प्रतिशत* की कमी आई और सर्वेक्षण के दौरान पता लगाई गई अघोषित आय में वित्त वर्ष 2019-20 के संबंधित आंकड़ों की तुलना में 77.0 *प्रतिशत* की कमी आई।

1.12 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

1.12.1 आंतरिक लेखापरीक्षा, विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आश्वासन प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के सही अनुप्रयोग द्वारा मांगों/प्रतिदाय को सटीक रूप से संसाधित किया जाता है। आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा में वित्त वर्ष 2020-21 में 1,22,179 मामलों की लेखापरीक्षा को पूरा किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में 1,62,509 मामलों की लेखापरीक्षा को पूरा किया गया था।

1.12.2 निम्न तालिका 1.25 वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2020-21 तक पांच वर्षों की अवधि निपटाई गई और लंबित आंतरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.25: आंतरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण

वित्तीय वर्ष	अथशेष ^		वृद्धि		निपटाए गए		लंबित	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
								(₹ करोड़ में)
2016-17	19,405	12,283	12,972	2,451	11,256	3,352	21,121	11,382
2017-18	21,129	11,295	13,297	2,562	9,062	1,283	25,364	12,575
2018-19	25,408	12,602	16,975	3,147	11,847	4,334	30,536	11,415
2019-20	31,024	11,388	14,887	4,088	10,084	1,206	35,827	14,270
2020-21	36,054	14,038	11,173	7,262	8,957	2,946	38,270	18,354

स्रोत: आयकर निदेशालय (आयकर और लेखापरीक्षा);

^मार्च में समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने के बाद संबंधित सीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा सत्यापन के बाद संशोधित आंकड़े

1.12.3 आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए 10,700 प्रमुख निष्कर्ष मामलों[26] में से, निर्धारण अधिकारियों (नि.अ.) ने वित्त वर्ष 2019-20 में 9,164 मामलों में से 1,469 मामलों (16.0 *प्रतिशत*) की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में केवल 1,618 मामलों (15.1 *प्रतिशत*) पर कार्रवाई की। इसके

26 प्रमुख आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की मौद्रिक सीमा 2017 के निर्देश संख्या 6 दिनांक 21.7.2017 के अनुसार दो लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।

अलावा, आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा जुटाई गई ₹ 18,354 की राशि वाले 38,270 मामले वित्त वर्ष 2019-20 में लंबित मामलों की तुलना में 28.6 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2020-21 में लंबित थे। निर्धारण अधिकारी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती कार्रवाई को मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि कुल लंबित मामलों की संख्या और इसमें शामिल राशि लगातार बढ़ रही है।

1.13 कर प्रशासन प्रक्रिया

1.13.1 आयकर विभाग में कर प्रशासन प्रक्रिया में स्थायी खाता संख्या (पैन); आयकर रिटर्न (आईटीआर), फाइल करना आईटीआर की प्रसंस्करण, आईटीआर की संवीक्षा, त्रुटियों का परिशोधन, निर्धारण से छूट गई आय, निर्धारण आदेशों का संशोधन, अपील प्रक्रिया, प्रतिदाय का निर्धारण, मांग उठाना, कर संग्रहण, शास्ति तथा अभियोजन इत्यादि शामिल है। निम्न तालिका 1.26 आयकर विभाग में शामिल प्रक्रियाओं का विवरण प्रदान करती है। परिशिष्ट 1.2 में प्रवाह चार्ट इन प्रक्रियाओं को दर्शाता है।

तालिका 1.26 : कर प्रशासन प्रक्रिया	
स्थायी खाता संख्या (पैन)	प्रत्येक व्यक्ति[27] जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139क के प्रावधानों के अंतर्गत आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना आवश्यक है, और उसे स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की गई है ऐसे समय के भीतर जैसाकि निर्धारित किया जाए, तो वह पैन के आवंटन के लिए आयकर विभाग में आवेदन करेगा।
आय की रिटर्न	अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत व्यक्ति एक कंपनी या एक फर्म होने के नाते; या एक कंपनी या फर्म के अलावा एक व्यक्ति होने के नाते यदि उसकी कुल आय, या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय जिसके सम्बन्ध में वह पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारणीय है, अधिकतम राशि से अधिक है जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है, तो वह नियत तारीख को या उससे पहले, निर्धारित फार्म में पिछले वर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय की रिटर्न प्रस्तुत करेगा। सीबीडीटी ने विभिन्न श्रेणियों के निर्धारितियों के लिए आईटीआर के विभिन्न फॉर्मो को निर्धारित किया है। निर्धारितियों को इलैक्ट्रोनिक रूप से आय के रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता है {आयकर नियमावली 1962 का नियम 12(3)}।

27 कंपनी, फर्म, वैयक्तिक, एचयूएफ, न्यास, व्यक्तियों की एसोसिएशन, व्यक्तियों का निकाय, सहकारी समितियां, स्थानीय प्राधिकरण, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, सरकारी एजेंसी।

तालिका 1.26 : कर प्रशासन प्रक्रिया (निरंतर)	
संक्षिप्त निर्धारण {धारा 143(1), 143(1ए), 143(1बी)}	संक्षिप्त निर्धारण के अंतर्गत, आईटीआर की अंकगणितीय परिशुद्धता, आंतरिक अनुरूपता इत्यादि के लिए जांच की जाती है। इसके अलावा, फार्म 26 एएस या फार्म 16ए या फार्म 16 में दर्शाई गई आय को भी जोड़ा जाता है, जिसे रिटर्न में कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है। संक्षिप्त निर्धारण, आईटीआर में उपलब्ध डेटा के साथ तथा निर्धारिती से रिकार्ड और जानकारी मांगे बिना किया जाता है। इस प्रकार, संक्षिप्त निर्धारण स्वरूप से गैर-अंतर्वेधी है। संसाधन के पश्चात, यदि निर्धारिती से कोई मांग देय है, तो उसे मांग नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता हैं। कर के अधिक भुगतान के मामले में, कुछ अपवादात्मक मामलों के अलावा, जहां प्रतिदाय की अनुमति मैनुअल मोड में दी जाती है, प्रतिदाय बैंकर योजना के माध्यम से प्रतिदाय जारी किया जाता है।
संवीक्षा निर्धारण	निर्धारिती द्वारा फाइल किए गए आय कर रिटर्न को कम्प्यूटर समर्थित संवीक्षा चयन (सीएएसएस) द्वारा विस्तृत संवीक्षा के लिए चयनित किया जाता है और कुछ मामलों का चयन सीबीडीटी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा मैनुअली किया जाता है। अधिनियम में दो प्रकार के नियमित संवीक्षा निर्धारणों का प्रावधान है: (क) धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण जिसे निर्धारिती को अवसर प्रदान करने तथा रिकॉर्ड में निर्धारिती के सभी सुसंगत तथ्य तथा उत्तर लेने के बाद किया जाता है। (ख) धारा 144 (सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण) के अंतर्गत निर्धारण किया जाता है, जब, नोटिस दिए जाने के बावजूद, निर्धारिती उत्तर नहीं देता है अथवा उत्तर फाइल नहीं करता है। उपरोक्त के साथ-साथ, ब्लॉक निर्धारणों की संवीक्षा तालाशी के मामलों में (धारा 153ए/153सी) की जाती है। संवीक्षा निर्धारण में, निर्धारण अधिकारी (नि.अ.) आयकर विभाग के पास उपलब्ध निर्धारितियों से संबंधित सभी रिकार्ड तथा जानकारी प्राप्त करता है तथा इसके साथ स्वयं की संतुष्टि के लिए निर्धारिती से रिकॉर्ड तथा जानकारी मंगवाता हैं कि कोई आय बेहिसाबी नहीं है तथा कर की ठीक प्रकार से गणना की गई है।
त्रुटियों का परिशोधन	अधिनियम में स्वत: संज्ञान लेते हुए या निर्धारिती के अनुरोध पर निर्धारण आदेशों में बाद में सुधार का भी प्रावधान है (धारा 154)।
निर्धारण से छूट गयी आय	यदि नि.अ. के पास विश्वास के लिए कारण है कि कोई कर को प्रभार्य आय किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गई है, तो वह ऐसी आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है तथा कोई अन्य कर को प्रभार्य आय जो अधिनियम के प्रावधानों (धारा 147) के अधीन पुनर्निर्धारण के दौरान बाद में उसकी जानकारी में आता है।

तालिका 1.26 : कर प्रशासन प्रक्रिया (निरंतर)	
आदेशों का संशोधन	प्रधान आयकर आयुक्त धारा 263/264 के अंतर्गत एक निर्धारण आदेश में संशोधन कर सकता है यदि उसका यह मानना है कि नि.अ. द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन दिया गया कोई आदेश गलत है।
कर कटौती तथा संग्रहण खाता संख्या (टीएएन)	टीएएन या कर कटौती तथा संग्रहण लेखा संख्या एक 10 अंको की अक्षारांकीय संख्या है जिसे सभी व्यक्तियों, जो कर कटौती या संग्रहण के लिए उत्तरदायी है, के द्वारा अधिनियम की धारा 203(ए) के अंतर्गत प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
पूर्व-निर्धारण संग्रहण	प्रत्येक निर्धारिती से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी कर देयता के निर्धारण तथा अग्रिम कर (धारा 207) तथा स्वयं-निर्धारण कर (धारा 140ए) के भुगतान की कानूनी रूप से अपेक्षा की जाती है। अधिनियम में कुछ भुगतान करने वाले प्राधिकरणों को व्यक्तियों या कॉर्पोरेट आदि को किए गए भुगतान का एक निश्चित प्रतिशत काटने और सरकार के खाते में जमा करने की भी आवश्यकता होती है। स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) करने वाले प्राधिकारी नामक नामित प्राधिकारी के माध्यम से कर एकत्र करने का एक अन्य तरीका है जो सार्वजनिक प्राधिकरणों से कुछ संविदा/पट्टा लेने वाले कुछ व्यक्तियों/निगमों से कर इकट्ठा करते है। इन चार तंत्रों - अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, टीडीएस तथा टीसीएस के माध्यम से आय कर का संग्रहण कर सग्रहणों का पूर्व-निर्धारण माध्यम कहा जाता है।
अपील प्रक्रिया	एक व्यथित निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयकर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकता है। इसके अलावा, अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध आय कर अपीलीय अधिकरण को तथ्य तथा कानून के प्रश्न पर अपील की भी अनुमति है। धारा 260ए के अंतर्गत उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि अपीलीय अधिकरण द्वारा किसी मामले पर विचार नहीं किया गया है या गलत विचार किया गया है तथा किसी ऐसे मामले में धारा 261 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को भी भेजा जा सकता है जिसे उच्च न्यायालय अपील के लिए सही मामला प्रमाणित करता है।
प्रतिदाय	जहां कर की भुगतान की गई राशि देय कर की राशि से अधिक है, वहां निर्धारिती अधिक राशि के प्रतिदाय के लिए हकदार है। ऐसे प्रतिदाय की राशि पर निर्धारित दर पर साधारण ब्याज देय है।
बकाया कर की वसूली	नि.अ. से मांग की प्राप्ति पर, निर्धारिती को 30 दिनों या निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित किसी अन्य समय सीमा में भुगतान करना आवश्यक है। यदि मांग के उठाए जाने के एक वर्ष के अन्दर वसूली नहीं की जाती है, तो निर्धारण अधिकारी को मांग की वसूली के लिए उठाए गए

तालिका 1.26 : कर प्रशासन प्रक्रिया (निरंतर)	
	सभी संभव उपाय सुनिश्चित करने के पश्चात कर वसूली प्रमाण पत्र (टीआरसी) को बनाने के लिए कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) को बकाया मामलों के विवरण भेजना आवश्यक है।
शास्ति तथा अभियोजन	अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा उल्लंघन के लिए निवारक प्रभाव के सम्बन्ध में, अधिनियम में शास्ति लगाने तथा अभियोजन शुरू करने के लिए व्यापक प्रक्रिया का प्रावधान है। कई शास्तिक प्रावधानों में उद्ग्रहण विवेकाधीन स्वरूप वाला है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे छोड़ा जा सकता है।

1.13.2 पहचानविहीन निर्धारण योजना

कर अधिकारियों की ओर से कुछ अवांछनीय पद्धतियों के कारण करदाता और विभाग के बीच व्यक्तिगत बातचीत से बचाव के लिए 2019 में चरणबद्ध तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक मोड में पहचानविहीन निर्धारण की एक योजना शुरू की गई है, जिसमें कोई मानवीय इंटरफेस नहीं है। इस योजना के अनुसार, निर्धारण इकाइयों को यादृच्छिक तरीके से संवीक्षा आवंटित की जाती है और निर्धारण अधिकारी के नाम, पदनाम या स्थान का खुलासा किए बिना केंद्रीय प्रकोष्ठ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस जारी किए जाते हैं। केंद्रीय प्रकोष्ठ करदाता और विभाग के बीच संपर्क का एकल बिंदु है।

"पहचानविहीन निर्धारण योजना, 2019" के अंतर्गत सीबीडीटी द्वारा अपनाए गए "पहचानविहीन निर्धारण" की शुरुआत के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2020-21 में आईटीडी के निर्धारण प्रभारों शुल्क और अन्य कार्यात्मक स्कंधों का पुनर्गठन किया गया था। अधिक जानकारी **परिशिष्ट-1.1** में उल्लिखित है।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) संसद द्वारा बनाये गये या निर्धारित किसी भी कानून के अंतर्गत संघ और राज्य और किसी भी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा। संसद ने 1971 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का डीपीसी अधिनियम (सीएजी का डीपीसी अधिनियम) पारित किया। सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 16, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य की सरकारों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों (राजस्व और पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा करने और स्वयं की संतुष्टि के लिए कि नियमों और क्रियाविधियों को राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया है और उनका विधिवत पालन किया जा रहा है, का प्राधिकार प्रदान करती है। लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम (संशोधन), 2020 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए व्यापक ढांचा निर्धारित करते हैं।

2.2 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा का व्यापक ढांचा

2.2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में प्रणालियों, नियमों और प्रक्रियाओं की जांच और निम्नलिखित के सम्बन्ध में उनकी प्रभावकारिता शामिल है:

क. कर विभाग द्वारा राजस्व का निर्धारण, संग्रह और आवंटन

ख. संभावित कर निर्धारितियों की पहचान, कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ कर अपवंचन का पता लगाना और रोकथाम करना;

ग. दंड लगाने और अभियोजन शुरू करने सहित उचित तरीके से विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग;

घ. विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई;

ङ. राजस्व प्रशासन को मजबूत करने या सुधारने के लिए शुरू किए गए कोई भी उपाय;

च. बकाया राशि, बकाया के रिकॉर्ड का रखरखाव, और बकाया की वसूली के लिए की गई कार्रवाई;

छ. उचित परिश्रम के साथ दावों का पालन करना और यह सुनिश्चित करना कि पर्याप्त औचित्य और उचित प्राधिकार के अलावा इन्हें छोड़ा या कम नहीं किया गया है

2.2.2 उपरोक्त को प्राप्त करने के लिए, हमने वित्त वर्ष 2019-20 में आयकर विभाग द्वारा पूरे किए गए निर्धारणों की जांच की। इसके अलावा, पहले के वर्षों में पूरे किए गए कुछ निर्धारणों को भी लेखापरीक्षा जांच के लिए लिया गया था।

2.2.3 आयकर विभाग आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारिती द्वारा फाइल की गई रिटर्न के नमूने के सम्बन्ध में संवीक्षा निर्धारण करता है। कम्प्यूटर एडेड स्क्रूटनी सेलेक्शन (सीएएसएस) के माध्यम से आयकर विभाग द्वारा पहचाने गए और पूर्व-परिभाषित मापदंडों के आधार पर आयकर रिटर्न का संवीक्षा के लिए चयन किया जाता है। इसके बाद कटौती, हानि, छूट आदि के दावों के सम्बन्ध में इन मामलों की बारीकी से जांच की जाती है ताकि सही निर्धारण पर पहुंचा जा सके जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि करों का कोई अपवंचन नहीं हुआ हैं।

सीबीडीटी ने पहचान विहीन निर्धारण योजना[28] 2019 के अंतर्गत पूर्व निर्धारित भूमिका (पहचान विहीन निर्धारण (पहला संशोधन) योजना, 2021 के रूप में संशोधित) वाली विभिन्न इकाइयां जैसे राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र (एनईएसी), क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र (आरईएसी), निर्धारण इकाइयां (एयू), सत्यापन इकाइयां (वीयू), तकनीकी इकाइयां (टीयू) और समीक्षा इकाइयां (आरयू) अगस्त 2020 से स्थापित की हैं। पहचान विहीन निर्धारण योजना का विवरण परिशिष्ट 1 में दिया गया है।

---

28 "केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 12 सितंबर, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से पहले से ही प्रकाशित ई-निर्धारण योजना, 2019 में संशोधन करके 13 अगस्त, 2020 को "फेसलेस निर्धारण योजना, 2019" के तहत सीबीडीटी द्वारा ''फेसलेस निर्धारण'' को अपनाया गया।

आयकर कारोबार अनुप्रयोग (आईटीबीए) के कार्यान्वयन के बाद, आयकर विभाग प्रणाली अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर की गणना, ब्याज की गणना, समय-बाधित चेक आदि का कार्य करती है। संवीक्षा निर्धारण, परिशोधन, अपील प्रभाव आदेशों, आंकड़े के मामले में पहचान विहीन निर्धारण लागू होने के बाद भी आदेशों के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रणाली में आंकड़ों को भरा जाता है। टीडीएस/टीसीएस और अग्रिम कर आदि के सम्बन्ध में एक निर्धारिती द्वारा किए गए भुगतान क्रमशः फॉर्म 26 एएस एप्लिकेशन और ओल्टास एप्लिकेशन से स्वतः भरे हुए हैं।

पहचान विहीन निर्धारण के अंतर्गत, निर्धारिती को दावे (ओं) को साबित करने का अवसर दिया जाता है, यदि कोई साक्ष्य हो, जिसमें विफल रहने पर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र (एनईएसी) वही निर्धारण करता है जिसे वह उचित समझता है। संवीक्षा मामलों के सम्बन्ध में निर्धारण आदेश के प्रसंस्करण, पूर्णता और परिशोधन का कार्य आईटीबीए में एनईएसी द्वारा किया जाता है।

संवीक्षा निर्धारण मामलों की जांच के आधार पर लेखापरीक्षा ने पाया कि पूर्व की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में कतिपय प्रकार की अनियमितताओं को बार-बार इंगित किए जाने के बावजूद निर्धारण अधिकारी द्वारा पूरे किए गए संवीक्षा निर्धारण के दौरान कर कानूनों और सीबीडीटी के अनुदेशों और निर्देशों का पालन करने में ये अनियमितताएं लगातार हो रही हैं, जिससे आईटीबीए के कार्यान्वयन के बावजूद कर प्रशासन की दक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। इनमें से कुछ मामलों की चर्चा बाद के अनुच्छेदों में की गई है।

2.2.4 वित्त वर्ष 2019-20[29] के दौरान कुल 545.89 लाख रिटर्न फाइल किए गए थे। इसी वित्त वर्ष में, आयकर विभाग ने उन इकाइयों में 1,54,546 संवीक्षा निर्धारण पूरे किए, जिनकी लेखापरीक्षा वित्त वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा योजना के दौरान की गई थी। 1,54,546 संवीक्षा निर्धारणों में से आयकर विभाग ने 1,48,256 निर्धारण मामले प्रस्तुत किए। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, आयकर विभाग ने 2019-20 से पहले के वित्तीय वर्षों में पूरे किए गए संवीक्षा निर्धारण के 37,516 मामलों में से 16,554 मामलों को प्रस्तुत किया। 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा किए गए संवीक्षा निर्धारणों

---

29 वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान फाइल की गई रिटर्न की कुल संख्या 444.0 लाख थी।

में 9,839 आदेशों में 10,592 त्रुटियां पाई गईं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारणों में 5.97 प्रतिशत त्रुटियां हुई थी। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित संवीक्षा निर्धारण के मामलों में से, आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा में 11,194 मामलों की जांच की गई थी। जैसा कि हमने अपने नमूने के अनुसार केवल सीमित संख्या में निर्धारण मामलों/अभिलेखों को देखा है, मंत्रालय को न केवल नमूने के मामलों में बल्कि इसे पूर्ण रूप से सत्यापित करने की आवश्यकता है।

2.2.5 निर्धारणों में त्रुटियों की राज्य-वार घटनाएं *परिशिष्ट 2.1* में दी गई हैं। नीचे दी गई तालिका 2.1 में, 4 राज्यों: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की लेखापरीक्षा में पाई गई त्रुटियों के साथ निर्धारणों के सर्वोच्च प्रतिशत का विवरण दर्शाया गया है जहां वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा में 10,000 से अधिक निर्धारणों की जांच की गई थी।

तालिका 2.1: सर्वोच्च प्रकरण वाले 04 राज्यों का विवरण या त्रुटियों के साथ निर्धारण जहां 10,000 से अधिक निर्धारणों की जांच की गई थी

राज्य	निर्धारण (संख्या में)			लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का कुल राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)	त्रुटियों के साथ निर्धारणों का प्रतिशत
	2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों में पूरा हुआ	2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच की गई	त्रुटियों के साथ		
क. तमिलनाडु	18,096	14,861	1,687	4,059.02	11.35
ख. आंध्र प्रदेश	16,415	15,918	1,281	3,957.37	8.05
ग. पश्चिम बंगाल	21,274	20,245	1,024	2,618.88	5.06
घ. दिल्ली	47,791	46,933	1,752	5,164.16	3.73

तमिलनाडु (11.35 *प्रतिशत*) में त्रुटियों के साथ निर्धारणों का सर्वोच्च प्रतिशत है, इसके बाद आंध्र प्रदेश (8.05 *प्रतिशत*) का स्थान है। आयकर विभाग को निर्धारणों में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई त्रुटियों के सम्बन्ध में सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

2.2.6 तालिका 2.2 वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा में देखी गई अभ्युक्तियों का सारांश प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.2: निर्धारणों में अभ्युक्तियों का कर-वार विवरण		**(₹ करोड़ में)**
श्रेणी	**अभ्युक्तियों की संख्या**	**कर प्रभाव**
क. निगम कर (सीटी)	5,280	22,287.45[30]
ख. आयकर (आईटी)	5,291	5,602.35[31]
ग. अन्य प्रत्यक्ष कर (ओडीटी) अर्थात् संपत्ति कर	21	0.43
कुल	**10,592**	**27,890.23**
टिप्पणी: उपरोक्त निष्कर्ष और बाद के सभी निष्कर्ष विशेष रूप से चयनित निर्धारणों की लेखापरीक्षा पर आधारित हैं।		

2.2.7 नीचे दी गई तालिका 2.3 में निगम कर और आयकर के सम्बन्ध में कम निर्धारण से संबंधित अभ्युक्तियों का श्रेणी-वार विवरण दर्शाया गया है। परिशिष्ट-2.2 इन श्रेणियों के अंतर्गत उप-श्रेणियों से संबंधित विवरण दर्शाता है।

तालिका 2.3: कम-निर्धारण से संबंधित अभ्युक्तियों का श्रेणी-वार विवरण		
श्रेणी	**अभ्युक्तियों की संख्या**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	4,614	6,928.65
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	2,140	8,677.79
ग. त्रुटियों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	889	2,363.29
घ. अन्य	2,540	8,331.64
कुल	**10,183**	**26,301.37**

2.3 निगम कर और आयकर निर्धारण मामलों के सम्बन्ध में निरंतर और व्यापक अनियमितताएं

आयकर विभाग द्वारा पूरे किए गए निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा जांच के दौरान अननुपालन और अनियमितताओं के उदाहरण हमारी अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट - राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर में प्रत्येक वर्ष दर्शाए जाते हैं। किसी अनियमितता को निरंतर माना जा सकता है यदि वह वर्ष दर वर्ष होती है। यह व्यापक हो जाता है, जब यह पूरी प्रणाली को प्रभावित करता है और कई निर्धारण अधिकार-क्षेत्रों में वितरित किया जाता है। हम वर्ष दर वर्ष अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निगम के निर्धारण और आयकर मामलों के

30 इसमें ₹1,353.37 करोड़ के कर प्रभाव के साथ अधिक निर्धारण के 194 मामले शामिल हैं।

31 इसमें ₹266.22 करोड़ के कर प्रभाव के साथ अधिक निर्धारण के 249 मामले शामिल हैं

सम्बन्ध में विभिन्न अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते रहे हैं, और इनमें से कुछ अनियमितताएं लगातार और व्यापक दोनों तरह की प्रतीत होती हैं, जो सम्बन्धित हैं:

(i) मूल्यह्रास/कारोबार हानि/पूंजीगत हानि आदि की अनुमति देने में अनियमितताएं,

(ii) कारोबार व्यय की गलत अनुमति,

(iii) प्रतिदाय पर अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/ब्याज और

(iv) एमएटी/एएमटी/टनभार-कर आदि वाले विशेष प्रावधानों के अंतर्गत त्रुटियां।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार इंगित किए जाने के बावजूद और आईटीबीए के कार्यान्वयन के बाद भी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न केवल विशेष रूप से आईटीबीए के कार्यान्वयन के बाद ऐसी दोहराई जाने वाली गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रणालियों में उपयुक्त नियंत्रण स्थापित करने में विभाग की ओर से गंभीरता की कमी का संकेत है। बल्कि यह प्रभावी निगरानी की कमी और राजस्व की हानि के कारण व्यवस्थित और संरचनात्मक कमजोरियों का उत्तर देने के लिए एक प्रभावी संस्थागत तंत्र की अनुपस्थिति की ओर भी इशारा करता है। वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन[32] में शामिल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के साथ-साथ 2021-22 के दौरान मंत्रालय को जारी मसौदा पैरा का विश्लेषण गलतियों की दृढ़ता और व्यापकता की जांच करने के लिए किया गया था। यद्यपि विभिन्न राज्यों में देखी गई अनियमितताओं ने राज्यों के बीच घटनाओं का कोई विशिष्ट पैटर्न नहीं दिखाया, लेकिन वे दूसरों की तुलना में कुछ राज्यों में अधिक बार हो रहे थे। निगम कर के सम्बन्ध में, दिल्ली में उनकी घटना और कर प्रभाव लगातार उच्च स्तर पर देखा गया, जिसमें ₹ 7,788.98 करोड़ के कुल कर प्रभाव में से ₹ 5,041.71 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 79 अभ्युक्तियां देखी गईं और आयकर के सम्बन्ध में, दिल्ली में 31 अभ्युक्तियों के साथ उनकी घटना लगातार अधिक देखी गई, जबकि

32 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (केंद्र सरकार - राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर) 2019 की 9 (मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए), 2020 की 11 (मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए) और 2021 की 8 (मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए)।

महाराष्ट्र में ₹ 109.75 करोड़ के कर प्रभाव के साथ कर प्रभाव अधिक देखा गया, जैसा कि नीचे तालिका 2.4 में दर्शाया गया है:-

तालिका 2.4: कर प्रभाव के साथ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की कुल संख्या

श्रेणी	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की कुल संख्या	कुल कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
निगम कर	319	7,788.98
आयकर	148	624.12
कुल	467	8,413.10

उपर्युक्त श्रेणियों में प्रतिवेदन की गई ऐसी अनियमितताओं की एक प्रोफ़ाइल नीचे चर्चा की गई है।

2.3.1 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन - मूल्यह्रास/व्यावसायिक हानि/पूंजीगत हानि आदि की अनुमति देने में अनियमितताएं।

हमने गलत अनुमति और व्यवसाय हानि के समंजन, पूंजीगत हानि और अवशोषित मूल्यह्रास, मूल्यह्रास की गलत अनुमति आदि से संबंधित अनियमितताओं को देखा। ऐसी गलतियों की प्रकृति शामिल है:

(i) अग्रेषित व्यावसायिक घाटे के समंजन की गलत अनुमति और अवशोषित मूल्यह्रास जहां पहले के निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में कोई हानि उपलब्ध नहीं थी,

(ii) गलत आंकड़ों को अपनाना अर्थात पिछले वर्षों के व्यावसायिक हानि को चालू निर्धारण वर्ष में रिटर्न हानि के रूप में लिया गया,

(iii) व्यापार हानि को आगे बढ़ाने की गलत अनुमति हालांकि उक्त निर्धारण वर्ष के लिए आयकर रिटर्न को रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि के बाद दाखिल किया गया था,

(iv) मूल्यह्रास आदि के कारण दोहरी कटौती।

ऐसी अनियमितताएं निर्धारण अभिलेख के सहसम्बन्ध न होने के कारण हुईं जो पर्याप्त श्रम न करने और कानून का पालन करने में निर्धारण अधिकारियों की विफलता को इंगित करती हैं। वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान मूल्यह्रास/व्यावसायिक हानि/पूंजीगत हानि आदि की अनुमति में देखी गई गलतियों, जैसा कि पिछले तीन वर्षों की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में

बताया गया है और चालू वर्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2020-21) के निष्कर्षों को नीचे तालिका 2.5 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.5: मूल्यह्रास/व्यावसायिक हानि/पूंजीगत हानि इत्यादि की अनुमति देने में पाई गई गलतियाँ

(₹ करोड़ में)

निर्धारण	समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2018		मार्च 2019		मार्च 2020		मार्च 2021	
	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव
सीटी	66[33]	1796.86	75[34]	2655.15	87[35]	1017.28	54	392.05
आईटी	7[36]	9.19	14[37]	21.30	11[38]	27.83	3	2.32

वर्ष 2017-18 के दौरान इस लेखा पर अननुपालन, जैसे मूल्यह्रास/व्यापार हानि/पूंजीगत हानि के अशुद्ध अनुमति से संबंधित निगम कर पर मंत्रालय को जारी लेखापरीक्षा पैराग्राफ में कुल कर प्रभाव महाराष्ट्र में सबसे अधिक 58 *प्रतिशत* पाया गया। 2018-19 के दौरान, यह बिहार (38.6 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक पाया गया, इसके बाद महाराष्ट्र में (34 *प्रतिशत*) था। 2019-20 के दौरान, इस कारण से अनियमितताएं कर्नाटक (30.3 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक पाई गईं, इसके बाद मुंबई (26.19 *प्रतिशत*) और 2020-21 के दौरान, ये अनियमितताएं महाराष्ट्र (28.8 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक थीं, इसके बाद दिल्ली में (25.3 *प्रतिशत*) थी।

आयकर के संबंध में, 2017-18 के दौरान मूल्यह्रास/व्यापार हानि/पूंजीगत हानि आदि के अशुद्ध अनुमति से संबंधित मंत्रालय को जारी लेखापरीक्षा पैराग्राफ में कुल कर प्रभाव 67 प्रतिशत था जिसमें महाराष्ट्र में ऐसी अनियमितताएं सबसे अधिक पाई गईं थी। 2018-19 के दौरान, इस लेखा में कर प्रभाव बिहार (30 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक पाया गया, जबकि 2019-20 के दौरान यह

33 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, असम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

34 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

35 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

36 बिहार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल।

37 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और पश्चिम बंगाल।

38 दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा और तमिलनाडु

कर्नाटक (44.25 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक था। 2020-21 के दौरान, ये अनियमितताएं गुजरात में सबसे अधिक (94.12 *प्रतिशत*) थी।

2.3.2 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन - व्यावसायिक व्यय की गलत अनुमति

हमने व्यावसायिक व्यय के अपात्र दावों के गलत अनुमति से संबंधित अनियमितताओं जैसे पूंजीगत व्यय, अवैतनिक दावे और असुरक्षित देयता के रूप में समझे जाने वाले प्रावधान आदि, को पाया। वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान व्यय की गलत अनुमति में देखी गई गलतियों, जैसा कि पिछले तीन वर्षों की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताया गया है और चालू वर्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2020-21) के निष्कर्षों को नीचे तालिका 2.6 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.6: व्यावसायिक व्यय की अनुमति में देखी गई गलतियां (₹ करोड़ में)

निर्धारण	समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2018		मार्च 2019		मार्च 2020		मार्च 2021	
	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव
सीटी	48[39]	875.47	49[40]	764.39	40[41]	187.75	49	617.86
आईटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	7	9.33

2017-18 के दौरान, इस तरह की अनियमितताएं महाराष्ट्र में सबसे अधिक 60 *प्रतिशत* थीं, इसके बाद तमिलनाडु में व्यापार व्यय के अशुद्ध अनुमति से संबंधित निगम कर पर मंत्रालय को जारी लेखापरीक्षा पैराग्राफ में कुल कर प्रभाव 28 *प्रतिशत* था। 2018-19 के दौरान, इस लेखा पर अननुपालन महाराष्ट्र (47 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक पाया गया; जबकि 2019-20 में इस तरह के अननुपालन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (32.3 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक थे, इसके बाद दिल्ली (20.3 *प्रतिशत*) में थे। 2020-21 के दौरान, इस कारण से अनियमितताएं महाराष्ट्र (41.1 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक थीं, इसके बाद पश्चिम बंगाल (28.2 *प्रतिशत*) में थीं।

---

39 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

40 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

41 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

2020-21 के दौरान, आयकर के संबंध में, ऐसी अनियमितताएं महाराष्ट्र (65.3 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक पाई गईं, इसके बाद पंजाब (17.2 *प्रतिशत*) का स्थान रहा।

2.3.3 निर्धारण की गुणवत्ता - प्रतिदाय पर अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/ब्याज

हमने गणनात्मक त्रुटियों के कारण प्रतिदाय पर अधिक या अनियमित प्रतिदाय या ब्याज से उत्पन्न अनियमितताओं को देखा, पहले से जारी किए गए/समायोजित प्रतिदाय पर विचार नहीं किया, प्रतिदाय पर ब्याज की अतिरिक्त गणना आदि। वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान इस श्रेणी में देखी गई गलतियों, जैसा कि पिछले तीन वर्षों की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताया गया है और चालू वर्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2020-21) के निष्कर्षों को नीचे तालिका 2.7 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 2.7: प्रतिदाय पर अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/ब्याज (₹ करोड़ में)

निर्धारण	समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2018		मार्च 2019		मार्च 2020		मार्च 2021	
	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव
सीटी	4[42]	30.98	5[43]	1,114.29	6[44]	24.08	1	7.36
आईटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	5.28

2017-18 के दौरान, अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज से संबंधित निगम कर पर मंत्रालय को जारी लेखापरीक्षा पैराग्राफ के संबंध में ऐसी अनियमितताएं[45] केवल महाराष्ट्र में पाई गईं, जबकि 2018-19 में यह कर्नाटक (99.6 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक पाई गई थी। 2019-20 के दौरान, यह कर्नाटक (56 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक पाई गई, इसके बाद महाराष्ट्र (32.3 *प्रतिशत*) में पाई गई थी। 2020-21 के दौरान, यह अनियमितता केवल दिल्ली में पाई गई थी।

---

42 महाराष्ट्र

43 कर्नाटक और महाराष्ट्र.

44 महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल।

45 जहां भी महत्व का उल्लेख किया गया है, यह केवल कुल कर प्रभाव के संदर्भ में है, न कि मामलों की संख्या के संबंध में.

2020-21 के दौरान, आयकर के संबंध में, ऐसी अनियमितताएं दिल्ली में सबसे अधिक (87.3 *प्रतिशत*) पाई गईं।

2.3.4 चूक के कारण निर्धारण से बची हुई आय - एमएटी/एएमटी/[46] टन भार कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के अंतर्गत गलतियां।

हमने अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर लगाने में गलतियों से संबंधित अनियमितताओं को देखा:

(i) बहीखाता लाभ की गणना में गलतियाँ,

(ii) बहीखाता लाभ की गणना के लिए सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत अस्वीकृत व्यय पर विचार नहीं करना,

(iii) बहीखाता लाभ की गणना के लिए निर्दिष्ट व्यय पर विचार नहीं करना,

(iv) विशेष प्रावधानों आदि के प्रति सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत लगाया जाने वाला कर।

2017-18 से 2019-20 के दौरान अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत देखी गई गलतियों, जैसा कि पिछले तीन वर्षों की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बताया गया है और वर्तमान वर्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2020-21) के निष्कर्षों को नीचे तालिका 2.8 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 2.8: एमएटी/एएमटी/टनभार कर इत्यादि सहित विशेष प्रावधानों के अंतर्गत गलतियां
(₹ करोड़ में)

निर्धारण	समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2018		मार्च 2019		मार्च 2020		मार्च 2021	
	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव
सीटी	28[47]	100.43	22[48]	447.85	8[49]	234.18	10	70.18
आईटी	1[50]	0.22	2[51]	1.26	0	0	2	5.36

46 एमएटी का अर्थ है न्यूनतम वैकल्पिक कर और एएमटी का अर्थ है वैकल्पिक न्यूनतम कर है। एमएटी कंपनियों के लिए लागू है जबकि एएमटी अन्य सभी करदाताओं पर लागू है।

47 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल।

48 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

49 दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिल नाडु

50 जम्मू-कश्मीर

51 असम और तमिलनाडु

वर्ष 2017-18 के दौरान, निगम कर और आयकर पर मंत्रालय को जारी किए गए विशेष प्रावधानों के अंतर्गत देखी गई गलतियों से संबंधित लेखापरीक्षा पैराग्राफ के कुल कर प्रभाव में से महाराष्ट्र में निगम कर के संबंध में 48 *प्रतिशत*[52] और कर्नाटक में आयकर के संबंध में 13 *प्रतिशत* पर इस संबंध में सर्वाधिक अननुपालन पाया गया। 2018-19 और 2019-20 में, अननुपालन निगम कर के संबंध में दिल्ली में क्रमशः 68.8 *प्रतिशत* और 92.4 *प्रतिशत* पर सबसे अधिक था। 2020-21 के दौरान, ये अनियमितताएं निगम कर के संबंध में महाराष्ट्र (54.50 *प्रतिशत*) और आयकर के संबंध में कर्नाटक (100 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक थीं।

निष्कर्ष और सिफारिश:

कर कानूनों और सीबीडीटी के अनुदेशों और निर्देशों का अनुपालन न करना कर प्रशासन की दक्षता को प्रभावित करने वाले प्रमुख जोखिम क्षेत्रों में से एक है। इसमें सुधार के लिए, निर्धारण के सभी चरणों में कुशल प्रसंस्करण और बेहतर अनुपालन के लिए वर्षों से विभागीय प्रणालियों और प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। आयकर विभाग, निर्धारण अधिकारी द्वारा की जाने वाली विस्तृत जांच के लिए पूर्व-निर्धारित मापदंडों के आधार पर कंप्यूटर सहायित संवीक्षा चयन (सीएएसएस) के माध्यम से मामलों का चयन करता है। हालांकि, जैसा कि उपरोक्त विश्लेषण से देखा गया है, अननुपालन का जोखिम अभी भी उपरोक्त क्षेत्रों में मौजूद है, जैसा कि समय के साथ इसी प्रकार की अनियमितताओं की निरंतर घटना से संकेत मिलता है, बावजूद इसके कि इन्हें वर्ष-दर-वर्ष लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया जा रहा है।

i) सीबीडीटी समान या समान त्रुटियों की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए आयकर विभाग प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए लागू किए गए हालिया परिवर्तनों की प्रभावशीलता का निर्धारण करने की आवश्यकता की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है।

52 जहां कहीं भी महत्व का उल्लेख किया गया है, यह केवल कुल कर प्रभाव के संदर्भ में है, न कि मामलों की संख्या के संदर्भ में।

ii) सीबीडीटी व्यवस्थित और संरचनात्मक कमजोरियों और राजस्व हानि के जोखिम, यदि कोई हो, की पहचान करने के लिए मौजूदा संस्थागत तंत्र की निगरानी पर विचार कर सकता है।

iii) सीबीडीटी विशेष रूप से आईटीबीए के कार्यान्वयन के बाद ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रणाली में उचित नियंत्रण स्थापित करने पर विचार कर सकता है।

2.4 लेखापरीक्षा उत्पाद और लेखापरीक्षा को प्रतिक्रिया

2.4.1 हम लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों में लेखापरीक्षित सत्वों से प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। लेखापरीक्षा की समाप्ति पर विनियम 136[53] के प्रावधान के अनुसार, हम अभ्युक्तियों के लिए आयकर विभाग को स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एलएआर) जारी करते हैं।

2.4.2 नीचे दी गई तालिका 2.9 में वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जारी एलएआर में शामिल अभ्युक्तियों की संख्या और उस पर प्राप्त उत्तरों और स्वीकृत अभ्युक्तियों (संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक) की स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: स्थानीय लेखापरीक्षा को प्राप्त उत्तर

वित्तीय वर्ष	उठाई गई अभ्युक्तियाँ	प्राप्त उत्तर		उत्तर प्राप्त नहीं हुआ	स्वीकृत अभ्युक्तियों का प्रतिशत	प्राप्त नहीं हुए उत्तर का प्रतिशत
		स्वीकार की गई अभ्युक्तियाँ	स्वीकार न की गई अभ्युक्तियाँ			
2018-19	21,533	3,357	2,743	15,433	55.02	71.67
2019-20	16,330	2,412	3,252	10,666	42.58	65.32
2020-21	11,066	1,931[54]	1,659	7,423	55.60	67.08

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि प्राप्त नहीं होने वाले उत्तरों का *प्रतिशत* 2018-19 में 71.67 *प्रतिशत* से घटकर 2020-21 में 67.08 प्रतिशत हो गया जो 2019-20 में देखे गए 65.32 *प्रतिशत* से मामूली वृद्धि थी।

53 लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007 की पूर्ववर्ती 193

54 787 अभ्युक्तियों को स्वीकार किया गया और उपचारात्मक कार्रवाई की गई; 1,144 अभ्युक्तियाँ स्वीकार की गई लेकिन उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई

2.4.3 नीचे दी गई तालिका 2.10 लंबित अभ्युक्तियों की स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 2.10: बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण								**(₹ करोड़ में)**
अवधि	**सीटी**		**आईटी**		**ओडीटी**		**कुल**	
	सं.	**कर प्रभाव**	**सं.**	**कर प्रभाव**	**सं.**	**कर प्रभाव**	**सं.**	**कर प्रभाव**
मार्च 2019	23,517	95,564.05	21,459	19,676.08	1,420	1,080.19	46,396	1,16,320.32
मार्च 2020	5,358	28,747.38	7,920	3,002.77	226	13.38	13,504	31,763.53
मार्च 2021	1,513[55]	4,821.29	1,288	925.03	8	0.00	2,809	5,746.33
कुल	**30,388**	**1,29,132.72**	**30,667**	**23,603.88**	**1,654**	**1,093.57**	**62,709**	**1,53,830.18**

प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तरों में लंबित मामलों में वृद्धि के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 तक ₹ 1,53,830.18 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 62,709 मामले जमा हुए हैं।

लेखापरीक्षा और लेखा (संशोधन), 2020 पर विनियमों के अध्याय 12[56] में लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और लेखापरीक्षा द्वारा सूचित सिफारिशों पर पर्याप्त, रचनात्मक और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली और प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए व्यापक रूपरेखा निर्धारित की गई है और लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की निगरानी और अनुपालन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा समितियों की स्थापना की गई है। लेखापरीक्षा के उत्तर निर्धारित अवधि में भेजे जाने को सुनिश्चित करने के लिए विभाग के प्रयास संतोषजनक नहीं रहे हैं। सीबीडीटी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर समय पर कार्रवाई की जाए और लेखापरीक्षा को उत्तर दिया जाए ताकि इन मामलों में राजस्व के हितों की रक्षा के लिए

55 अभ्युक्तियों के जारी होने के छह महीने बाद अभ्युक्तियाँ लंबित हो जाती हैं

56 विनियम 141 - लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा योग्य इकाई द्वारा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और सिफारिशों के रिकॉर्ड का रखरखाव और सरकार द्वारा पर्याप्त निरीक्षण
विनियम 143 - लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रणालीगत दोषों या उच्च जोखिमों पर अनुवर्ती कार्रवाई
विनियम 144 - विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना
विनियम 145 - लेखापरीक्षा समितियों की स्थापना और उनका गठन
विनियम 149 - पीएसी को प्रस्तुत करने के लिए की गई कार्रवाई टिप्पणियों तैयार करना
विनियम 150 - महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा पीएसी/सीओपीयू की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं की जांच
विनियम 151 - समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं के लिए सरकार का कर्तव्य

उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए मामलों के समयबद्ध होने के जोखिम से बचा जा सके।

2.4.4 हम विनियम 137 से 139[57] के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले अभ्युक्तियों के लिए मंत्रालय को लेखापरीक्षा में देखे गए महत्वपूर्ण और उच्च मूल्य के मामलों को जारी करते हैं। हम मंत्रालय को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले उन्हें जारी किए गए मामलों पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए छह सप्ताह का समय देते हैं। हमने इस प्रतिवेदन के अध्याय III और IV में 467 उच्च मूल्य के मामलों को आच्छादित किया है, जिनमें से 31 जुलाई 2022 तक 315 मामलों के लिए उत्तर प्राप्त हुए थे, जिनमें से मंत्रालय/आयकर विभाग ने ₹ 6,440.9 करोड़ (98.22 *प्रतिशत*) के कर प्रभाव वाले 305 मामलों[58] (96.82 *प्रतिशत*) को स्वीकार किया जबकि उसने ₹ 116.26 करोड़ के कर प्रभाव वाले 10 मामलों[59] को स्वीकार नहीं किया। ₹ 1,855.94 करोड़ के कर प्रभाव वाले शेष 152 मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2022)। तालिका 2.11 में इन मामलों[60] का श्रेणी-वार विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 2.11 उच्च मूल्य के मामलों की त्रुटियों का श्रेणी-वार विवरण **(₹ करोड़ में)**

श्रेणी	**सीटी**		**आईटी**		**कुल**	
	सं.	**कर प्रभाव**	**सं.**	**कर प्रभाव**	**सं.**	**कर प्रभाव**
क. निर्धारण की गुणवत्ता	124	5,261.29	108	437.8	232	5,699.09
ख. कर रियायतों/ छूटों/ कटौतियों का प्रशासन	126	1,611.75	17	27.71	143	1,639.46
ग. त्रुटियों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	51	571.62	18	48.48	69	620.10
घ. कर/ब्याज का अधिक प्रभार	18	344.32	5	110.13	23	454.45
कुल	**319**	**7,788.98**	**148**	**624.12**	**467**	**8,413.10**

57 पहले के विनियम 205 से 209, अब
विनियम 137 - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/मसौदा पैराग्राफ का सरकार को पत्रादि और उस पर चर्चा।
विनियम 138 - सरकार द्वारा मसौदा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/मसौदा पैराग्राफ का उत्तर।
विनियम 139 - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए अंतिम पैराग्राफ का संचार

58 मंत्रालय -70 मामले; आयकर विभाग -235 मामले

59 आयकर विभाग - 10 मामले

60 उप-श्रेणियों-वार विवरण परिशिष्ट-2.3 में दिए गए हैं

2.4.5 अध्याय III और IV में क्रमश: निगम कर और आयकर के सम्बन्ध में निर्धारण में त्रुटियों का ब्यौरा दिया गया है।

2.5 लेखापरीक्षा प्रभाव - लेखापरीक्षा के उदाहरण पर संशोधन

हम अपनी अभ्युक्तियों/सिफारिशों के आधार पर आयकर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। वित्त वर्ष 2017-18, वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अर्थात 2017 की प्रतिवेदन संख्या 27 - 'निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम/मेडिकल क्लीनिक, मेडिकल कॉलेजों/अनुसंधान संस्थानों, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजिकल लैब और अन्य चिकित्सा आपूर्ति एजेंसियों/स्टोरों का निर्धारण', 2019 की प्रतिवेदन संख्या 1 - मनोरंजन क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण पर पीए और 2020 की प्रतिवेदन संख्या-14 । निम्नलिखित पैराग्राफ 2.5.2 से 2.5.12 लेखापरीक्षा के प्रभाव का वर्णन करते हैं।

2.5.1 2017 की प्रतिवेदन संख्या 27 - 'निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम/मेडिकल क्लीनिक, मेडिकल कॉलेज/अनुसंधान संस्थानों, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं और अन्य चिकित्सा आपूर्ति एजेंसियों/स्टोरों का निर्धारण'- महाराष्ट्र में स्टैंड-अलोन अस्पतालों के नमूने की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 80जी प्रमाण पत्र केवल 10 *प्रतिशत* मामलों में उपलब्ध थे। धारा 80जी प्रमाणपत्रों के अभाव में यह स्पष्ट नहीं था कि निर्धारण अधिकारियों ने दावों की तुलना में दान प्राप्तियों को कैसे प्रति-सत्यापित किया। आयकर विभाग मॉड्यूल में निर्धारण अधिकारियों द्वारा धारा 80जी प्रमाणपत्रों के सत्यापन को सक्षम करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था, जैसा कि ट्रेसेस के अंतर्गत टीडीएस प्रमाणपत्रों के मामले में किया जाता है। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि सीबीडीटी एक निश्चित सीमा से ऊपर 80जी प्रमाणपत्रों के स्वचालित उत्पादन की संभावना पर विचार कर सकता है।

2.5.2 इस मुद्दे को संबोधित करते हुए, आयकर नियम, 1962 के नियम 18एबी को दिनांक 26.03.2021 की अधिसूचना संख्या 19 द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि अधिनियम की धारा 80जी की उप-धारा(5) के अंतर्गत अनुमोदित फॉर्म

10बीडी में दान का विवरण दाखिल करना आवश्यक है और दान का प्रमाण पत्र फॉर्म 10बीई में दानकर्ता को प्रदान किया जाना आवश्यक है।

2.5.3 इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2020 के अंतर्गत धारा 80जी (2)(vii), 80जी(2)(ix) और धारा35(1ए) में डाले गए नए प्रावधान, 01/04/2021 से प्रभावी होंगे, जिसमें, दाता को धारा 80जी/35 के अंतर्गत कटौती की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब दानकर्ता द्वारा एक बयान प्रस्तुत किया जाता है जिसे प्राप्त दान के सम्बन्ध में और विफलता की स्थिति में एक बयान प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी शुल्क और जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, धारा 12एए के अंतर्गत पंजीकृत या धारा 10 के खंड (23सी) के अंतर्गत निर्दिष्ट संस्थाएं जो अधिनियम की धारा 80जी की उप-धारा(5) के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र दान प्राप्त करती हैं, उन्हें भी फॉर्म 10बीडी प्रस्तुत करना होगा और फॉर्म 10बीई में दानकर्ता को दान का प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।

2.5.4 आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी) और धारा 11 की अतिव्यापी प्रकृति - लेखापरीक्षा ने ऐसे उदाहरणों पर ध्यान दिया, जहां निर्धारण अधिकारियों ने एक धारा के अंतर्गत छूट की अनुमति दी, जबकि दूसरे के अंतर्गत लाभ उद्देश्य के अस्तित्व के आधार पर छूट की अनुमति नहीं दी।

2.5.5 इस मुद्दे को हल करने के लिए, अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (7) के पहले और दूसरे परंतुक को वित्त अधिनियम (संख्या 12), 2020 द्वारा 01/06/2020 से जोड़ा गया था। पहले परंतुक में, यह प्रावधान किया गया है कि धारा 11 के अंतर्गत छूट का लाभ उठाने के प्रयोजनों के लिए पंजीकरण उस तिथि से निष्क्रिय हो जाएगा जिस पर ट्रस्ट या संस्था को धारा 10 के खंड (23सी) के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है या उक्त धारा के खंड (46) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, जैसा भी मामला हो, या जिस तिथि को परंतुक लागू हुआ है, जो भी बाद में हो। दूसरे परंतुक में, यह प्रावधान किया गया है कि ट्रस्ट या संस्था, जिसका पंजीकरण पहले परंतुक के अंतर्गत निष्क्रिय हो गया है, इस शर्त के अधीन अपना पंजीकरण संचालित करने के लिए आवेदन कर सकता है कि ऐसा करने पर, धारा 10 के खंड (23सी) के अंतर्गत अनुमोदन या उक्त धारा के खंड (46) के अंतर्गत

अधिसूचना का उस तिथि से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिस पर धारा 11 के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए पंजीकरण सक्रिय हो जाता है। इसके बाद, यह अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) या खंड (46) के अंतर्गत छूट का अधिकारी नहीं होगा।

2.5.6 2019 की प्रतिवेदन संख्या 1 - मनोरंजन क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण पर पीए - लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती को निर्माणाधीन फिल्मों के प्रति अग्रिम राशि मिली थी, लेकिन उत्पादनाधीन फिल्मों के वितरण अधिकारों की खरीद पर टीडीएस का प्रावधान नहीं होने के कारण भुगतानकर्ता द्वारा स्रोत पर कर नहीं काटा गया था। करदाता ने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था और निर्धारण सर्वोत्तम निर्णय तरीके से पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने कराधान के लिए उन प्राप्तियों पर विचार किया जो फॉर्म 26एएस में परिलक्षित हुई थीं। इसलिए उक्त रसीद पर कर नहीं लगाया गया क्योंकि यह निर्धारिती के 26एएस में परिलक्षित नहीं होता था। लेखापरीक्षा में कहा गया है कि धारा 194सी के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती के उद्देश्य से फिल्म के वितरण/निर्माण को कार्य के दायरे में शामिल नहीं किया गया था।

2.5.7 इस मुद्दे को हल करने के लिए, मंत्रालय ने वित्त अधिनियम 2020 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9 में रॉयल्टी की परिभाषा को संशोधित किया ताकि सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन पर विचार किया जा सके। तदनुसार, उपरोक्त भुगतान के लिए धारा 194जे के अंतर्गत कर काटा जाएगा और विवरण फॉर्म 26एएस में परिलक्षित होगा।

2.5.8 2020 की प्रतिवेदन संख्या 14 - आयकर विभाग में तलाशी और जब्ती निर्धारण पर पीए - नमूना मामलों की लेखापरीक्षा से पता चला है कि अधिनियम की संशोधित धारा 153ए/153सी में अघोषित आय के प्रति नियमित निर्धारण की हानि के सेट ऑफ को रोकने के लिए विशिष्ट प्रावधान के अभाव में निर्धारण अधिकारी ने तलाशी के दौरान पता लगाई गई अघोषित आय के प्रति नियमित निर्धारण के हानि के समंजन/समायोजन की अनुमति दी। लेखापरीक्षा में सिफारिश की गई है कि सीबीडीटी तलाशी और जब्ती के दौरान पता लगाई गई अघोषित आय के प्रति नियमित निर्धारण में निर्धारण

किए गए पिछले वर्षों/पहले के वर्षों की हानि की भरपाई की अनुमति नहीं देने के लिए उपयुक्त प्रावधान पेश कर सकता है।

2.5.9 इस मुद्दे को हल करने के लिए, वित्त अधिनियम 2022 ने 01.04.2022 से आयकर अधिनियम 1961 में एक नई धारा 79ए पेश की है। धारा 79ए के अनुसार तलाशी और सर्वेक्षण के दौरान पता लगाई गई अघोषित आय के मुकाबले पिछले वर्षों की हानि की भरपाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.5.10 नमूना मामलों की लेखापरीक्षा से पता चला कि निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 153ए/153सी के अंतर्गत निर्धारिती को पिछले वर्ष के अंत से पांच महीने से 21 महीने तक की अवधि के बाद नोटिस जारी किए, जिसमें तलाशी ली गई थी। इसके अलावा, कुछ मामलों में, अधिनियम की धारा 153सी के अंतर्गत नोटिस निर्धारण पूरा होने की तिथि से चार दिन पहले जारी किया गया था। इस प्रकार, नोटिस जारी करने में काफी विलम्ब हुआ। परिणामस्वरूप, निर्धारण पूरा करने के लिए बचा समय खोज अभियानों के दौरान इंगित किए गए सभी मुद्दों की गहन जांच के लिए पर्याप्त नहीं था और मानवीय त्रुटि का जोखिम भी था, जो अंततः खोज निर्धारण की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता था। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि सीबीडीटी अधिनियम की संशोधित धारा 153ए/153सी के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए एक समय सीमा शुरू कर सकता है।

2.5.11 इस मुद्दे को हल करने के लिए, वित्त अधिनियम 2021 ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153ए/153सी में संशोधन किया है। संशोधन के बाद, धारा 153ए/153सी उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां धारा 132 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद तलाशी शुरू की गई है या धारा 132ए के अंतर्गत उसकी मांग की गई है।

2.6. लेखापरीक्षा की सिफारिश पर वसूली

आयकर विभाग ने पिछले तीन वर्षों में निर्धारण में त्रुटियों को सुधारने के लिए उठाई गई मांगों से ₹ 415.37 करोड़ (चार्ट 2.1) की वसूली की है। इसमें वित्त

वर्ष 2020-21 में वसूले गए ₹ 72.69 करोड़ शामिल हैं, जो पिछले दो वर्षों की तुलना में काफी कम हो गए हैं।

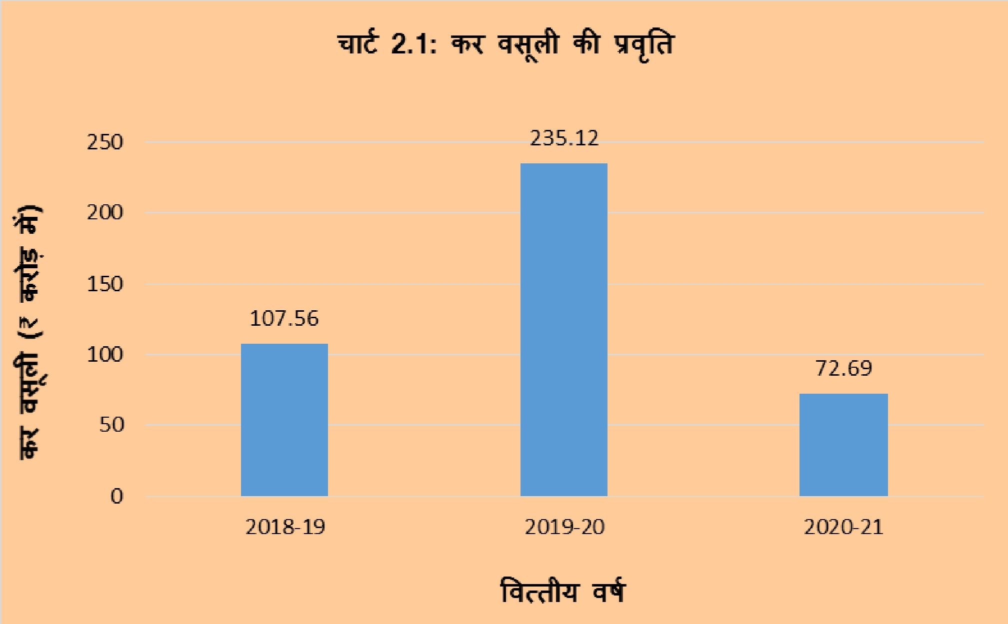

2.7 समय बाधित मामले

2.7.1 आयकर अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत संशोधित प्रावधान के अनुसार, निर्धारण को संबंधित निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष तक फिर से खोला जा सकता है, जिसे आगे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, यदि निर्धारण अधिकारी के पास लेखा पुस्तिका या अन्य दस्तावेज या सबूत हैं जो बताते हैं कि कर के लिए प्रभार्य आय, परिसंपत्तियों के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया है, जो उस वर्ष के लिए पचास लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के निर्धारण राशि से बच गया है या होने की संभावना है।

2.7.2 नीचे दी गई तालिका 2.12 में वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान समय बाधित मामलों[61] का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: समय-बाधित मामलों का विवरण		
प्रतिवेदन का वर्ष	**मामले**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**
2018-19	1,961	2,237.05
2019-20	1,304	917.37
2020-21	3,754	6,189.11

61 वित्त अधिनियम, 2021 के तहत धारा 148/149 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार।

2.7.3 वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 6,189.11 करोड़ के कर प्रभाव वाले 3,754 मामले उपचारात्मक कार्रवाई के लिए समय बाधित हो गए, जिनमें से अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस कर प्रभाव का 36.59 *प्रतिशत* हिस्सा है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में 27.95 *प्रतिशत* है। परिशिष्ट-2.4 वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ऐसे मामलों का राज्य-वार विवरण इंगित करता है।

निष्कर्ष और सिफारिश:

समय पर उपचारात्मक कार्रवाई करने में विलंब राजकोष को भारी राजस्व हानि का संकेत देता है क्योंकि बकाया मांग की वसूली की संभावना बहुत कम होगी।

विभाग इन मामलों का निर्धारण/समीक्षा कर सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है कि उपचारात्मक कार्रवाई समय पर की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

2.8 अभिलेखों को प्रस्तुत न करना

2.8.1 हम नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत करों के निर्धारण और संग्रह पर प्रभावी जांच सुनिश्चित करने और विनियमों और प्रक्रियाओं का विधिवत पालन किए जाने की जांच करने की दृष्टि से निर्धारण अभिलेख की जांच करते हैं। यह आयकर विभाग पर भी निर्भर करता है कि वह शीघ्रता से अभिलेख प्रस्तुत करे और लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करे।

2.8.2 आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 (6.61 *प्रतिशत*) के दौरान मांगे गए 1,80,627[62] अभिलेखों में से 11,946 अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया, जो वित्त वर्ष 2019-20 (6.92 *प्रतिशत*) की तुलना में मामूली सुधार है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान महाराष्ट्र (3.79 प्रतिशत से 18.33 *प्रतिशत*) और झारखंड में अभिलेख का प्रस्तुत न किया जाना पिछले वर्ष की तुलना में काफी बढ़ गया है (0.85 *प्रतिशत* से 8.27 *प्रतिशत* तक)। परिशिष्ट 2.5,

62 इसमें 10,135 अभिलेख शामिल हैं जो पहले के वर्षों में उत्पादित नहीं किए गए थे और वर्तमान लेखापरीक्षा चक्र के दौरान फिर से मांगे गए थे

वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अभिलेख के प्रस्तुत न किए जाने के विवरण को दर्शाता है।

तालिका 2.13 वित्त वर्ष 2020-21 में समाप्त होने वाले लगातार तीन या अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में एक ही निर्धारितियों से संबंधित लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेख का विवरण दिखाती है।

तालिका 2.13: तीन या अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेख

	राज्य	**प्रस्तुत न किए गए अभिलेख**
क.	ओडिशा	6

अध्याय III: निगम कर

3.1 परिचय

3.1.1 इस अध्याय में 319 उच्च मूल्य के निगम मामलों (पैरा 2.3 देखें) पर चर्चा की गई है, जिसमें 316 निर्धारण और ₹ 7,788.98 करोड़[63] के कुल कर प्रभाव शामिल हैं, जिन्हें सितंबर 2021 से जुलाई 2022 के दौरान मंत्रालय को भेजा गया था। मंत्रालय/आयकर विभाग ने ₹ 5,845.39 करोड़ के कर प्रभाव वाले 165 मामलों को स्वीकार किया और ₹ 114.73 करोड़ के कर प्रभाव वाले आठ मामलों को स्वीकार नहीं किया। तथापि, 319 मामलों में से आयकर विभाग ने ₹ 6,506.10 करोड़ के कर प्रभाव वाले 183 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली है और ₹ 345.34 करोड़ के कर प्रभाव वाले 27 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। शेष 109 मामलों में, आयकर विभाग ने जुलाई 2022 तक कोई कार्रवाई नहीं की थी।

3.1.2 त्रुटियों की श्रेणियों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर रियायतों/छूट/कटौती का प्रशासन
- त्रुटियों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय
- अन्य - कर/ब्याज आदि का अधिप्रभार

बाद के अनुच्छेदों में उपरोक्त त्रुटियों की प्रत्येक श्रेणी के कुछ उदाहरण दिए गए हैं।

3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

3.2.1 निर्धारण अधिकारियों (नि.अ.) ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी करते हुए कुछ मामलों में निर्धारण में त्रुटियां कीं। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग की ओर से आंतरिक नियंत्रणों में निरंतर कमजोरियों को इंगित करते हैं जिन पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों से

63 ₹ 344.32 करोड़ का अधिप्रभार शामिल है।

जुड़े गलत निर्धारण के मामलों को संगणक एवं सूचना प्रोद्योगिकी के दिनों में इन्हें केवल त्रुटियों के रूप में स्वीकार करना मुश्किल है। इसके अलावा, कर और अधिभार की गलत दरों के लागू करने, धारा 220(2), 234ए, 234बी, 234सी और 234डी के अंतर्गत ब्याज लगाने में गलतियां, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि निर्धारण अधिकारियों के निष्पादन में महत्वपूर्ण कमियों के साथ-साथ आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरियों को इंगित करते हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आयकर विभाग यह सुनिश्चित करे कि क्या ध्यान में आए अनियमितताओं के दृष्टांत की गई या हुई त्रुटियां वाले मामले में विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। नीचे तालिका 3.1 गलतियों की उप-श्रेणियों के विवरण को दर्शाती है (पैरा 2.3 देखें) जिसने निर्धारण की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

तालिका 3.1: निर्धारण की गुणवत्ता के अंतर्गत गलतियों की उप-श्रेणियां

	उप-श्रेणियां	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	राज्य
क.	आय और कर की गणना में अंक गणितीय त्रुटियां	38	4,761.37	दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
ख.	कर और अधिभार की गलत दर को लागू करना	17	68.96	दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना
ग.	ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियां	64	378.11	दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
घ.	अधिक या अनियमित प्रतिदाय/ प्रतिदाय पर ब्याज	1	7.36	दिल्ली
ङ.	अपीलीय आदेश को प्रभावी बनाते समय निर्धारण में त्रुटियां	4	45.49	दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र
कुल		**124**	**5,261.29**	

3.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां

हमने 10 राज्यों में ₹ 4,761.37 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 38 मामलों में आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां को देखा। हमने ऐसे पांच निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय का सही निर्धारण करना और निर्धारिती द्वारा देय कर की सही राशि का निर्धारण करना होता है।

मामला ।	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी (सेंट्रल-3), दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स पी1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2011-12**

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 147[64]/143(3) के अंतर्गत पुनर्निर्धारण के बाद दिसंबर 2018 में निर्धारिती की कर देनदारी की गणना करते हुए ₹ 7,995.06 करोड़ के सही आंकड़े के प्रति कर गणना फॉर्म में ₹ 110.40 करोड़ को लिया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप अधिभार और उपकर सहित ₹2,619.09 करोड़ के कम कर के साथ ₹7,884.66 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। इसके अलावा, नोटिसों के देरी से उत्तर देने के लिए धारा 234ए(3) के अंतर्गत ₹ 52.40 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण नहीं किया गया था। इसके अलावा, निर्धारिती धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 1,776.89 करोड़ का ब्याज देने के लिए उत्तरदायी था। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 4,430.13 करोड़ के कम कर का उदग्रहण किया गया था। इनके अतिरिक्त, निर्धारिती को ₹ 18.25 करोड़ के स्व-निर्धारण कर का लाभ बिना किसी औचित्य के अनुमति नहीं दी गई थी। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और अगस्त 2021 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत एक आदेश पारित करके इन विसंगतियों को सुधारा। विभाग ने कहा (मई 2022) कि इस मामले में कोई वसूली नहीं की गई है और उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है।*

मंत्रालय ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने सहित कार्रवाई करने के लिए गणना में ऐसी घोर त्रुटियों के कारणों की जांच कर सकता है।

64 अधिनियम की धारा 147 में प्रावधान है कि यदि निर्धारण अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि कर के लिए प्रभार्य कोई भी आय किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से बच गई है, तो वह धारा 148 से 153 के प्रावधानों के अधीन हो सकता है, ऐसी आय का निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन कर सकता है।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-3, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स एफ2 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 144[65] के अंतर्गत निर्धारण के बाद दिसंबर 2019 में निर्धारिती की कर देनदारी की गणना करते समय ₹ 97.28 करोड़ के सही आंकड़े के प्रति ₹ 9.92 करोड़ की निर्धारण आय को गलत तरीके से लिया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप उस पर ब्याज सहित ₹ 107.31 करोड़ के कम कर का उदग्रहण किया गया। *लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत मार्च 2021 में त्रुटि को सुधारा।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (जुलाई 2022)।

इसके अलावा, उपर्युक्त चूकों से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों ने इन मामलों में उचित सावधानी नहीं बरती। इसलिए, मंत्रालय ऐसी चूकों के कारणों की जांच कर सकता है और उत्तरदायित्व तय करने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-2, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स एम4 कॉर्पोरेशन**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2020 में अधिनियम की धारा 143(3)/144सी(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, शाखा कार्यालय से आय के कारण ₹ 51.88 करोड़ जोड़े। हालांकि, निर्धारिती की कर देनदारी की गणना करते समय, उक्त आय को कर के रूप में नहीं माना गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 30.35 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहरण किया गया। *विभाग ने कहा (जुलाई 2021) कि जुलाई 2021 में धारा 144सी(3) के साथ पठित धारा 154/143(3) के अंतर्गत सुधार आदेश पारित किया गया था।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (जुलाई 2022)।

---

65 अधिनियम की धारा 144 में प्रावधान है कि यदि निर्धारिती जारी नोटिस की सभी अवधियों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी उन सभी प्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखने के बाद, जो निर्धारण अधिकारी ने एकत्र की हैं, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अपने फैसले के अनुसार कुल आय या हानि का निर्धारण करेंगे।

इसके अलावा, उपर्युक्त चूकों से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों ने इन मामलों में उचित सावधानी नहीं बरती। इसलिए, मंत्रालय ऐसी चूकों के कारणों की जांच कर सकता है और उत्तरदायित्व तय करने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

मामला IV	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, अहमदाबाद**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स सी2 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए मार्च 2016 में दाखिल किए गए करदाता के संशोधित रिटर्न के प्रति सितंबर 2015 में दाखिल संशोधित रिटर्न पर विचार किया और ₹ 38.97 करोड़ की आय के मुकाबले ₹ 42.41 करोड़ की हानि का निर्धारण किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 81.38 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया, जिसमें ₹ 27.66 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और मार्च 2019 में धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की।*

इसके अलावा, उपर्युक्त चूकों से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों ने इन मामलों में उचित सावधानी नहीं बरती। इसलिए, मंत्रालय ऐसी चूकों के कारणों की जांच कर सकता है और उत्तरदायित्व तय करने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

मामला V	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी, शिमला**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स ए1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2013-14**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2015 में धारा 143 (3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए ₹ 18.70 लाख के प्रति ₹ 78.20 करोड़ की हानि के साथ गणना शुरू की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 78.01 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 25.31 करोड़ का संभावित कर प्रभाव था। *विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2019) कि जनवरी 2019 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।*

इसके अलावा, उपर्युक्त चूकों से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों ने इन मामलों में उचित सावधानी नहीं बरती। इसलिए, मंत्रालय ऐसी चूकों के कारणों की जांच कर सकता है और उत्तरदायित्व तय करने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

3.2.3 कर और अधिभार की गलत दरों का लागू किया जाना

लेखापरीक्षा ने निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के अंतर्गत किए गए परिवर्धन से संबंधित कई मामलों को देखा जो अधिनियम की धारा 115बीबीई के प्रावधानों को आकर्षित करते हैं। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारितियों की कर देयता की गणना करते समय, छह राज्यों में ₹ 68.96 करोड़ के कर प्रभाव वाले ऐसे 17 मामलों में इन परिवर्धनों पर कर और अधिभार की गलत दरें लागू की, जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के इस अध्याय में शामिल किया गया है । उदाहरण के लिए, हम नीचे चार ऐसे मामले देते हैं:

अधिनियम की धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के प्रावधानों के अनुसार, बहियों में जमा कोई भी नकद राशि, अस्पष्टीकृत निवेश जो बहियों में दर्ज नहीं है, पैसा, बुलियन, आभूषण जो बहियों में दर्ज नहीं है, निवेश की राशि आदि बहियों में पूरी तरह से प्रकट नहीं की गई है, अस्पष्टीकृत व्यय और बैंक पर आहरित खाता आदाता चेक के अलावा हुंडी पर उधार ली गई या चुकाई गई राशि जो निर्धारिती प्रकृति और इसके स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है को निर्धारिती की आय के लिए समझा जा सकता है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 115 बीबीई के प्रावधानों में कहा गया है कि जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में धारा 68, 69, 69 ए, 69 बी, 69 सी या धारा 69 डी में निर्दिष्ट कोई भी आय शामिल है, देय आयकर की राशि की गणना 1.4.2017 से ऐसी आय पर साठ प्रतिशत की दर से की जाएगी। निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए लागू वित्त अधिनियम, 2016 में उक्त आयकर पर पच्चीस प्रतिशत की दर से अधिभार लगाने का प्रावधान है।

मामला ।	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी (सेंट्रल-2), चेन्नई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स पी5 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 153ए के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण के बाद दिसंबर 2019 में निर्धारिती की कर देनदारी की गणना करते हुए अघोषित आय के लिए क्रमशः 60 *प्रतिशत* और 25 *प्रतिशत*

की लागू दरों के प्रति 30 *प्रतिशत* और 12 *प्रतिशत* की दर से कर और अधिभार की गलत दरें लागू कीं। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 21.32 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहरण किया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सितंबर 2020 में त्रुटि को सुधारा।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार, जहां कोई केंद्रीय अधिनियम यह अधिनियमित करता है कि किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी दर या दरों पर आयकर लगाया जाएगा, उस दर पर आयकर या उन दरों को उस वर्ष के लिए प्रभारित किया जाएगा, और प्रावधानों के अधीन (अतिरिक्त आयकर लगाने के प्रावधानों सहित), यह अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय के सम्बन्ध में है। निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए, केंद्र सरकार ने सकल कर पर 12 प्रतिशत अधिभार अधिसूचित किया, यदि कुल आय 10 करोड़ रुपये से अधिक है।

मामला ॥	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी (सेंट्रल-2), चेन्नई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स सी1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 153सी के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देनदारी की गणना करते समय 12 प्रतिशत की दर से अधिभार नहीं लगाया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 9.38 करोड़ का अधिभार और उपकर नहीं लगाया गया। *विभाग ने कहा (अप्रैल 2021) कि अप्रैल 2021 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

अधिनियम की धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के प्रावधानों के अनुसार, बहियों में जमा कोई भी नकद राशि, अस्पष्टीकृत निवेश जो बहियों में दर्ज नहीं है, पैसा, बुलियन, आभूषण जो बहियों दर्ज नहीं है, निवेश की राशि आदि बहियों में पूरी तरह से प्रकट नहीं की गई है, अस्पष्टीकृत व्यय और बैंक पर आहरित खाता आदाता चेक के अलावा हुंडी पर उधार ली गई या चुकाई गई राशि जो निर्धारिती प्रकृति और इसके स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है को निर्धारिती की आय के लिए समझा जा सकता है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 115बीबीई के प्रावधानों में कहा गया है कि जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी या धारा 69डी में निर्दिष्ट कोई भी आय शामिल है, देय आयकर की राशि की गणना 1.4.2017 से ऐसी आय पर साठ

प्रतिशत की दर से की जाएगी। निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए लागू वित्त अधिनियम, 2016 में उक्त आयकर पर पच्चीस प्रतिशत की दर से अधिभार लगाने का प्रावधान है।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, अहमदाबाद**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स ए3 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण के बाद नवंबर 2019 में निर्धारिती की कर देनदारी की गणना करते हुए धारा 69सी के अंतर्गत क्रमशः 60 *प्रतिशत* और 25 *प्रतिशत* की लागू दरों के प्रति 30 *प्रतिशत* और 12 *प्रतिशत* की दर से कर और अधिभार की गलत दरों को लागू किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 7.60 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहरण किया गया। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) और कहा कि नवंबर 2020 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई पूरी हो गई थी।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना और निर्धारिती द्वारा देय कर की सही राशि निर्धारित करना होता है।

मामला IV	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-II, हैदराबाद**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स वी2 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देनदारी की गणना करते हुए ₹ 2.28 करोड़ की उद्ग्रहरण योग्य राशि के प्रति ₹ 45.59 लाख का उपकर लगाया। इस गलती के परिणामस्वरूप धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 5.19 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहरण किया गया। *विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि अगस्त 2020 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

इसके अलावा, उपर्युक्त चूकों से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों ने इन मामलों में उचित सावधानी नहीं बरती। इसलिए, मंत्रालय ऐसी चूकों के कारणों की जांच कर सकता है और उत्तरदायित्व तय करने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

3.2.4 ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियां

हमने 12 राज्यों में ₹ 378.11 करोड़ के कर प्रभाव वाले 64 मामलों में ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियां देखी हैं। हमने ऐसे छह निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से चूक के लिए ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है। धारा 234ए में निर्धारित दरों पर आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के कारण और निर्दिष्ट समयावधि के लिए ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है। धारा 234बी में निर्धारित दरों पर अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण और निर्दिष्ट समयावधि के लिए ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है। धारा 234सी में निर्धारित दरों पर अग्रिम कर की किस्तों के भुगतान में चूक के कारण और निर्दिष्ट समयावधि के लिए ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है। इसके अलावा, निर्धारण आदेश को पूरा करने का कार्य आयकर विभाग (आईटीडी) की आईटी प्रणालियों में निर्धारण अधिकारी (नि. अ.) द्वारा किया जाता है।

मामला ।	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, कोलकाता**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स वी3 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2011-12**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में धारा 144/147 के अंतर्गत पुनर्निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देनदारी की गणना करते हुए अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ₹ 393.48 करोड़ के प्रति ₹ 245.75 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 147.74 करोड़ के कम ब्याज का उदग्रहण किया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मई 2019) और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत मई 2019 में त्रुटि को सुधारा।* तथापि, विभाग ने अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 393.48 करोड़ के स्थान पर ₹ 394.67 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण किया। विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-4, अहमदाबाद**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स एस2 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2012-13**

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण के बाद नवंबर 2019 में निर्धारिती की कर देनदारी की गणना करते हुए ₹ 72.11 करोड़ की उदग्रहण योग्य राशि के प्रति ₹ 54.19 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 17.92 करोड़ के कम ब्याज का उदग्रहण किया। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (अप्रैल 2022) और कहा कि जुलाई 2020 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई पूरी हो गई थी।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी (सेंट्रल-1), दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स एस1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 143 (3) के अंतर्गत निर्धारण के बाद दिसंबर 2019 में आईटीबीए के माध्यम से निर्धारिती की कर देनदारी की गणना करते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए ₹ 72.97 करोड़ के प्रति ₹ 56.13 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 16.84 करोड़ के कम कर का उदग्रहण किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत मार्च 2021 में त्रुटि को सुधारा। विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (जुलाई 2022)।

मामला IV	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-**1**, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स ए4 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2012-13**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत पुनर्निर्धारण के बाद आईटीबीए/एएसटी प्रणाली के माध्यम से निर्धारिती की कर देनदारी की गणना करते हुए अप्रैल 2012 यानि निर्धारण वर्ष का पहला दिन से दिसम्बर 2019 में निर्धारण पूरा होने तक 93 महीनों के लिए धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 22.96 करोड़ की उद्ग्रहरण योग्य राशि के प्रति ₹ 8.88

करोड़ के ब्याज का उदग्रहण किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 14.08 करोड़ का कम ब्याज वसूला गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (अक्टूबर 2021) और कहा कि सुधार आदेश पारित किया जा रहा है।* की गई उपचारात्मक कार्रवाई के आगामी विवरण प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

मामला V	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-II, बैंगलोर**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स के1 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2012-13**

निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2019 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देनदारी की गणना करते समय अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 14.01 करोड़ का ब्याज का उदग्रहण नहीं किया। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि धारा 234ए के अंतर्गत ₹ 1.37 करोड़ का ब्याज निर्धारण अधिकारी द्वारा अत्यधिक लगाया गया था। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 12.64 करोड़ के कम ब्याज का उदग्रहण किया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (अप्रैल 2021) और अप्रैल 2021 में धारा 154 के अंतर्गत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

मामला VI	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-(सेंट्रल), कानपुर**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स आर3 लिमिटेड**,
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 144/143(3) के अंतर्गत निर्धारण के बाद अगस्त 2018 में निर्धारिती की कर देनदारी की गणना करते हुए, ₹ 4.87 करोड़ के उदग्रहण योग्य ब्याज के प्रति अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 3.53 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 1.34 करोड़ के कम ब्याज का उदग्रहण किया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (नवंबर 2020) और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत अक्टूबर 2020 में त्रुटि को सुधारा।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

इसके अलावा, उपर्युक्त चूकों से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों ने इन मामलों में उचित सावधानी नहीं बरती। इसलिए, मंत्रालय ऐसी चूकों के कारणों की जांच कर सकता है और उत्तरदायित्व तय करने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

3.2.5 अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज

हमने एक राज्य में ₹ 7.36 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज से संबंधित एक मामला को देखा जो नीचे दर्शाया गया हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) में प्रावधान है कि संवीक्षा निर्धारण में कर निर्धारण अधिकारी (नि. अ.) को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना होता है और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय या उसे वापसी योग्य सही राशि निर्धारित करनी होती है। इसके अलावा, भारत फ्रांस दोहरा कराधान बचाव समझौता (डीटीएए) के अनुच्छेद 13 के अनुसार; रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क और एक अनुबंधित राज्य में उत्पन्न होने वाले उपकरणों के उपयोग के लिए भुगतान और अन्य अनुबंधित राज्य के निवासी को भुगतान किया जाता है, उस अन्य अनुबंधित राज्य में कर लगाया जा सकता है। हालांकि, ऐसी रॉयल्टी, फीस और भुगतान पर अनुबंधित राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं और उस अनुबंधित राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता आय की इन श्रेणियों का लाभार्थी मालिक है, तो इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रॉयल्टी, फीस और भुगतान की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान-2), दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स एम1**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2020 में अधिनियम की धारा 144सी(3) के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण पूरा करते हुए भारत-फ्रांस डीटीएए के अनुसार तकनीकी सेवाओं के शुल्क के रूप में ₹ 68.61 करोड़ की आय पर 10 *प्रतिशत* की दर से कर लगाने का प्रस्ताव किया था। तथापि, आईटीएनएस में इस पर शून्य कर लगाया गया था और धारा 244ए के अंतर्गत ₹ 0.48 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 7.36 करोड़ का प्रतिदाय जारी किया गया था। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप निर्धारिती को ₹ 7.36 करोड़ का अतिरिक्त प्रतिदाय मिला। *लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जनवरी 2021), विभाग ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2021) कि जुलाई 2021 में*

अधिनियम की धारा 154/143(3)/144सी(3) के अंतर्गत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी। लेखापरीक्षा में सुधार आदेश में और कमियां पाई गईं जैसे टीडीएस के लाभ का गलत अनुमति, ब्याज लगाने में त्रुटियां जो अगस्त 2021 में विभाग को इंगित की गई थीं। विभाग के आगे का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

इसके अलावा, उपर्युक्त चूकों से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों ने इन मामलों में उचित सावधानी नहीं बरती। इसलिए, मंत्रालय ऐसी चूकों के कारणों की जांच कर सकता है और उत्तरदायित्व तय करने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

3.2.6 अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारण में त्रुटियां

हमने तीन राज्यों में ₹ 45.49 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े चार मामलों में अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारण में त्रुटियां देखीं। हमने दो निदर्शी मामलों को दर्शाया हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से चूक के लिए ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 234बी में निर्धारित दरों पर अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण और निर्दिष्ट समयावधि के लिए ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 234सी में निर्धारित दरों पर अग्रिम कर की किस्तों के भुगतान में चूक के कारण और निर्दिष्ट समयावधि के लिए ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है। इसके अलावा, धारा 143(3) में प्रावधान है कि एक संवीक्षा निर्धारण में, निर्धारण अधिकारी (नि.अ.) को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना आवश्यक है और इस तरह के निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय या उसे वापसी योग्य सही राशि निर्धारित करनी होगी। सभी आयकर विवरणियों को संवीक्षा निर्धारण से पहले केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी), बेंगलुरु में धारा 143(1) के अंतर्गत सारांश तौर पर संसाधित किया जाता है। इस प्रकार संवीक्षा निर्धारण से संबंधित सभी डेटा सीधे निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी) (आईटीबीए की शुरूआत से पहले पूर्ववर्ती आईटी प्रणाली) में कैप्चर किए जाते हैं। सीपीसी से हस्तांतरित सभी विवरणियों के लिए संवीक्षा मामलों के सम्बन्ध में प्रसंस्करण, सुधार, निर्धारण आदेश को पूरा करने का कार्य निर्धारण अधिकारी द्वारा एएसटी मॉड्यूल में किया जाता है, जो आयकर विभाग मॉड्यूल का हिस्सा है, एएसटी, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर की गणना और ब्याज की गणना के निर्धारण कार्य करता है। क्षेत्रीय कार्यालयों में संवीक्षा निर्धारण, सुधार, अपील प्रभाव आदेशों के मामले में, आदेशों के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रणाली को आंकड़े दिए जाते हैं। जब नए आंकड़े परिवर्धन के अंतर्गत आय के विभिन्न शीर्षों में दर्ज किए जाते हैं, तो सिस्टम के माध्यम से अंतिम मांग के लिए गणना पत्र उत्पन्न होता है।

मामला ।	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी (सेंट्रल-3), दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स पी2 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2006-07 से 2009-10 और 2011-12**

निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2006-07, 2008-09 और 2009-10 के लिए अधिनियम की धारा 254/143(3) के अंतर्गत दिसंबर 2018 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को प्रभावी करते हुए निर्धारण वर्ष 2006-07 के सम्बन्ध में धारा 234सी के अंतर्गत ₹ 0.36 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया था। इसके अलावा, धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज ₹ 0.20 करोड़ कम लगाया गया था। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2006-07 में ₹ 0.56 करोड़ के कम ब्याज का उदग्रहण किया। निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए, निर्धारण अधिकारी ने धारा 234बी और 234सी के अंतर्गत ₹ 4.52 करोड़ का ब्याज नहीं लिया और निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए, निर्धारण अधिकारी ने धारा 234बी और 234सी के अंतर्गत ₹ 4.62 करोड़ का ब्याज नहीं लिया और ₹ 0.71 करोड़ का अवैतनिक कर भी लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.37 करोड़ (कर क्रेडिट के समायोजन के बाद) की कम मांग हुई। इस प्रकार कर और ब्याज का कुल कम उदग्रहण ₹ 9.45 करोड़ (₹ 0.56 करोड़ + ₹ 4.52 करोड़ + ₹ 4.37 करोड़) था।

निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए, निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर, 2009 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण के बाद निर्धारिती की मांग की गणना करते समय धारा 234बी और 234सी के अंतर्गत क्रमश ₹ 2.54 करोड़ और ₹ 0.71 करोड़ का ब्याज नहीं लिया था। इस मामले में आईटीएटी का आदेश मार्च 2018 में पारित किया गया था। आईटीएटी के निर्णय के लिए कोई अपील प्रभाव आदेश रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया। निर्धारण अधिकारी ने कहा (जुलाई 2020) कि आईटीएटी ने निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए आगे के निर्धारण के लिए फाइल को निर्धारण अधिकारी को वापस नहीं रखा था। इसलिए निर्धारण में ₹ 3.25 करोड़ का ब्याज लेखा गणना से बाहर रहा। निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2016 में धारा 153ए के अंतर्गत निर्धारण के बाद करदाता की कर देनदारी की गणना करते समय धारा 234बी और 234सी के अंतर्गत ₹ 6.63 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया था।

कर मांग की गणना करने में इन अशुद्धियों के परिणामस्वरूप ₹ 19.33 करोड़ के कम कर का उदग्रहण किया गया था।

विभाग ने निर्धारण वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2011-12 से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत क्रमशः नवंबर 2020, जुलाई 2021, जनवरी 2021 और जून 2021 में त्रुटियों को सुधारा। हालांकि, निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए, यह पाया गया था कि विभाग ने धारा 143(3) के अंतर्गत नियमित निर्धारण की तिथि तक धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 3.41 करोड़ के प्रति ₹ 6.31 करोड़ का ब्याज (जनवरी 2021) लिया था क्योंकि अधिनियम के विशेष प्रावधानों और अधिनियम की धारा 153ए के अंतर्गत मांग में कोई बदलाव नहीं हुआ था। निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए, लेखापरीक्षा ने पाया कि हालांकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन इसे जून 2021 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा गया। इन निर्धारण वर्षों में वसूली की स्थिति विभाग से प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

मामला ॥	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी (सेंट्रल-2), दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स आर1 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2008-09**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में अधिनियम की धारा 254/143(3) के अंतर्गत आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करते हुए 129 महीनों के लिए अप्रैल 2008 से दिसंबर 2018 अर्थात निर्धारण वर्ष के पहले दिन से धारा 254/153सी/143(3) के अंतर्गत नए सिरे से निर्धारण पूर्ण किए जाने तक, धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 17.64 करोड़ के बजाय ₹ 8.94 करोड़ का ब्याज का उदग्रहण किया। साथ ही निर्धारण अधिकारी ने धारा 234सी के अंतर्गत ₹ 42.21 लाख का ब्याज नहीं लिया। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने ₹ 2.73 करोड़ के उपलब्ध टैक्स क्रेडिट के प्रति कर मांग से ₹ 8.59 करोड़ कम किए। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 14.98 करोड़ के कम कर का उदग्रहण किया गया। विभाग ने कहा (जुलाई 2021) कि जून 2021 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

इसके अलावा, उपर्युक्त चूकों से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों ने इन मामलों में उचित सावधानी नहीं बरती। इसलिए, मंत्रालय ऐसी चूकों के कारणों की जांच कर सकता है और उत्तरदायित्व तय करने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रबंध

3.3.1 अधिनियम निर्धारिती को अध्याय VI-A के अंतर्गत कुल आय की गणना करने में और इसके प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत व्यय की कुछ श्रेणियों के लिए रियायतें/छूट/कटौती की अनुमति देता है। हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने उन लाभार्थियों को कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का अनियमित रूप से लाभ दिया था जो इसके हकदार नहीं थे। ये अनियमितताएं आईटीडी की ओर से कर रियायतों/कटौतियों/छूटों के प्रबंध में कमजोरियों को इंगित करती हैं, जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।

नीचे दी गई तालिका 3.2 उन उप-श्रेणियों का विवरण दिखाती है जिन्होंने कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंध को प्रभावित किया है।

तालिका 3.2: कर रियायतों/छूटों /कटौतियों के प्रबंध के अंतर्गत गलतियों की उप-श्रेणियां

उप श्रेणियां	संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	राज्य
क. मूल्यह्रास/व्यापार हानियों/पूंजीगत हानियों की अनुमति देने में अनियमितताएं	54	392.05	दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल।
ख. अनियमित छूट/कटौती/छूट/राहत/एमएटी क्रेडिट	19	382.13	दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।
ग. व्यापार व्यय का गलत अनुमति	49	617.86	गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
घ. डीटीएए राहत का गलत अनुमति	4	219.71	कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र
कुल	**126**	**1,611.75**	

3.3.2 मूल्यह्रास की अनुमति देने और व्यापार/पूंजीगत हानियों को समायोजित करने और आगे ले जाने में अनियमितताएं

हमने 12 राज्यों में ₹ 392.05 करोड़ के कर प्रभाव वाले 54 मामलों में मूल्यह्रास की अनुमति देने और व्यापार/पूंजीगत हानियों को समायोजित करने और आगे ले जाने में अनियमितताएं देखी। हम नीचे ऐसे पांच उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं:

अधिनियम की धारा 2(47) हस्तांतरण शब्द को परिभाषित करती है जिसमें बिक्री, विनिमय, त्याग, अनिवार्य अधिग्रहण आदि शामिल हैं। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 55(2)(बी)(वी) के अंतर्गत, जहां पूंजीगत संपत्ति, एक हिस्सा है कंपनी के एक प्रकार के शेयरों के दूसरे प्रकार में रूपांतरण पर निर्धारिती की संपत्ति बन गई, जिसका अर्थ है कि शेयरों के अधिग्रहण की लागत के संदर्भ में गणना की गई संपत्ति के अधिग्रहण की लागत, जिससे ऐसी संपत्ति प्राप्त होती है। यह आईटीएटी, मुंबई द्वारा एसीआईटी बनाम एबीसी बियरिंग्स लिमिटेड 44 एसओटी 338 (एमयूएम) में आयोजित किया गया है कि रूपांतरण धारा 2(47) द्वारा कवर नहीं किया गया है, इसलिए इस तरह के लेनदेन से होने वाली हानि के परिणामस्वरूप केवल सांकेतिक नुकसान होगा।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी एलटीयू, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स टी1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2012-13**

निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2017 में धारा 144सी के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए टी1 होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (सिंगापुर) के संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों (सीआरपीएस) के मोचन और अधिग्रहण के कारण ₹1,285.03 करोड़ के दीर्घकालिक पूंजीगत नुकसान को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। चूंकि उक्त रूपांतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्थानांतरण की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं था, इसलिए उपरोक्त हानि को अनुमानित होने के कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जाना आवश्यक था जो कि नहीं किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 79.58 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाले ₹ 367.93 करोड़ की दीर्घकालिक पूंजीगत हानि को अग्रेषित करने की अनियमित अनुमति दी गई। *विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2021) कि जून 2019 में अधिनियम*

की धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत त्रुटि को ठीक कर दिया गया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 में प्रावधान है कि, जहां शीर्ष 'व्यवसाय या पेशे का लाभ और अभिलाभ' के अंतर्गत गणना का शुद्ध परिणाम निर्धारिती को नुकसान है और मूल्यह्रास सहित इस तरह की हानि को आय के खिलाफ पूरी तरह से समायोजित नहीं किया जा सकता है। प्रासंगिक वर्ष के किसी भी शीर्ष के अंतर्गत, इतना नुकसान जितना की समायोजित नहीं किया गया है, उसे 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ' के खिलाफ समायोजित करने के लिए अगले निर्धारण वर्ष/वर्षों में आगे बढ़ाया जाएगा।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-5, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स एल2 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2011-12**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में धारा 147/143(3) के अंतर्गत पुनर्निर्धारण को अंतिम रूप देते समय धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारित ₹ 230.89 करोड़ की चालू वर्ष हानि और ₹ 2.36 करोड़ की निर्धारित आय का संज्ञान नहीं लिया। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 228.53 करोड़ की हानि का गैर-निर्धारण और ₹ 2.36 करोड़ की आय का अधिक निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 76.84 करोड़ का कुल अतिरिक्त कर प्रभाव [₹ 0.93 करोड़ का अधिभार और ₹ 75.91 करोड़ का संभावित अधिभार] शामिल था। *विभाग ने कहा (जून 2021) कि लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार्य थी और जनवरी 2021 में अधिनियम की धारा 154/147/143(3) के अंतर्गत आदेश पारित कर गलती को सुधारा गया था।*

अधिनियम की धारा 72 में प्रावधान है कि यदि मूल्यह्रास सहित चालू वर्ष की हानि को किसी प्रासंगिक वर्ष के किसी भी शीर्ष के अंतर्गत आय के विरुद्ध पूरी तरह से समायोजित नहीं किया जा सकता है, तो इस तरह के नुकसान को 'लाभ' के खिलाफ समायोजित करने के लिए व्यवसाय या पेशे का लाभ' निम्नलिखित निर्धारण वर्ष (वर्षों) में आगे बढ़ाया जाएगा। सीबीडीटी के निर्देश संख्या 09/2007 दिनांक 11 सितम्बर 2007 के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को भौतिक अभिलेखों के संदर्भ में संवीक्षा निर्धारण करते समय आवश्यक सत्यापन करना चाहिए और अनवशोषित मूल्यह्रास सहित हानियों से संबंधित दावों को निर्धारण अभिलेखों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनकी शुद्धता सुनिश्चित की जा सके। अग्रेषित हानियों और मूल्यह्रास के दावों की छूट, जहां आवश्यक हो, पूर्व के वर्षों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई भी शुरू की जानी चाहिए।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, चेन्नई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स आई3 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, ₹ 1.36 करोड़ की उपलब्ध हानि के प्रति पूर्व के वर्षों से संबंधित ₹ 95.37 करोड़ के व्यापार हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास को समायोजित करने की अनुमति दी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 94.01 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 32.53 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2021) कि अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

अधिनियम की धारा 70 के अनुसार, अल्पकालिक पूंजीगत हानि को उसी निर्धारण वर्ष में किसी भी पूंजीगत लाभ आय, दीर्घकालिक या अल्पावधि के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है, लेकिन आय के किसी अन्य शीर्ष के विरुद्ध नहीं।

मामला IV	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-2, हैदराबाद**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स जी1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए चालू वर्ष की व्यावसायिक आय के मुकाबले ₹ 21.48 करोड़ के अल्पावधि पूँजीगत हानि (एसटीसीएल) को समायोजित करने की अनुमति दी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 20.62 करोड़ {₹ 21.48 करोड़ - ₹ 86 लाख (धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारित हानि)} की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 8.30 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (जून 2020) कि मई 2020 में धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

अधिनियम की धारा 72 में प्रावधान है कि यदि मूल्यह्रास सहित चालू वर्ष की हानि को किसी प्रासंगिक वर्ष के किसी भी शीर्ष के अंतर्गत आय के विरुद्ध पूरी तरह से समायोजित नहीं किया जा सकता है, तो इस तरह के नुकसान को 'लाभ' के समक्ष समायोजित करने के लिए व्यवसाय या पेशे का लाभ' अगले निर्धारण वर्ष (वर्षों) में आगे बढ़ाया जाएगा।

सीबीडीटी के निर्देश संख्या 09/2007 दिनांक 11 सितम्बर 2007 के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को भौतिक अभिलेखों के संदर्भ में संवीक्षा निर्धारण करते समय आवश्यक सत्यापन करना चाहिए और अनवशोषित मूल्यह्रास सहित हानियों से संबंधित दावों को निर्धारण अभिलेखों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनकी शुद्धता सुनिश्चित की जा सके। अग्रेषित हानियों और मूल्यह्रास के दावों की छूट, पहले के वर्षों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई, जहां आवश्यक हो, भी शुरू की जानी चाहिए

मामला V	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स डी1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए और मार्च 2019 में धारा 154 के अंतर्गत आगे संशोधन आदेश, निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित ₹ 14 करोड़ के अनवशोषित मूल्यह्रास को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। हालांकि, समायोजित के लिए ऐसा कोई अनवशोषित मूल्यह्रास उपलब्ध नहीं था, क्योंकि निर्धारण वर्ष 2015-16 का आकलन सकारात्मक आय पर पूरा किया गया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 4.85 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाले ₹ 14 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2019) तथा जुलाई 2019 में अधिनियम की धारा 154 के साथ पठित धारा 250 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।*

3.3.3 अनियमित छूट/कटौती/रिबेट/राहत/एमएटी क्रेडिट

आठ राज्यों में ₹ 382.13 करोड़ के कर प्रभाव वाले अनियमित छूट/कटौती/रिबेट/राहत/एमएटी क्रेडिट से संबंधित 19 मामले देखे। हम नीचे ऐसे छः उदाहरणात्मक मामले प्रस्तुत कर रहे हैं:

अधिनियम की धारा 32एसी 31/03/2013 के बाद अधिग्रहीत और स्थापित नए संयंत्र और मशीनरी की वास्तविक लागत के 15 प्रतिशत की दर से किसी भी वस्तु या वस्तु के निर्माण या उत्पादन के व्यवसाय में लगी कंपनी को कटौती की अनुमति प्रदान करती है,यदि ऐसे नए संयंत्र और मशीनरी की वास्तविक लागत की कुल राशि एक सौ करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा, उप खंड (4) के अंतर्गत, नई संपत्ति का मतलब संयंत्र और मशीनरी है, लेकिन इसमें कोई संयंत्र या मशीनरी शामिल नहीं है, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत को कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है चाहे वह पिछले किसी भी वर्ष के व्यवसाय या पेशे का अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना में या मूल्यह्रास के माध्यम से।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-2, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स बी1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए धारा 32एसी के अंतर्गत ₹ 971.60 करोड़ (अधिग्रहित और स्थापित संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी का 15 *प्रतिशत*) *की कटौती की अनुमति दी।* मूल रिटर्न और टैक्स लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, निर्धारिती ने संपत्ति में ₹ 3,931.56 करोड़ के संयंत्र और मशीनरी में कुल वृद्धि दिखाई थी। निर्धारिती ने ₹ 4,225.88 करोड़ के संयंत्र और मशीनरी में कुल वृद्धि दिखाते हुए एक संशोधित रिटर्न दाखिल किया था जिसे विभाग ने खारिज कर दिया था। इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 971.60 करोड़ की तुलना में ₹ 589.73 करोड़ (₹ 3,931.56 करोड़ का 15 *प्रतिशत*) की कुल कटौती की अनुमति देना आवश्यक था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 381.87 करोड़ की कटौती की अधिक अनुमति हुई जिसमें ₹126.25 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। इसके अलावा, निर्धारिती को निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 1,039.40 करोड़ के एलपीजी सिलेंडर और संबद्ध उपकरणों पर किए गए निवेश पर कटौती की अनुमति दी गई थी, जो स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि यह वस्तु या चीज के निर्माण और उत्पादन के लिए नहीं था बल्कि उत्पादित गैस के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसलिए इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 155.94 करोड़ (₹ 1,039.64 करोड़ का 15 *प्रतिशत*) की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 53.97 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹180.22 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2021) कि मार्च 2020 में अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।*

आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 115जेएए(1ए) में प्रावधान है कि, जहां एक निर्धारिती द्वारा, एक कंपनी होने के नाते, धारा 115जेबी(1) के अंतर्गत कर की किसी भी राशि का भुगतान 01/04/2006 को शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी भी बाद के निर्धारण वर्ष, के लिए किया जाता है तो, इस प्रकार भुगतान किए गए कर के सम्बन्ध में

क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी। आयकर अधिनियम की धारा 115जेएए(2ए) में प्रावधान है कि उप-धारा (1ए) के अंतर्गत अनुमति दी जाने वाली टैक्स क्रेडिट धारा 115जेबी(1) के अंतर्गत किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए भुगतान किए गए कर और देय कर की राशि का अंतर होगा। इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार गणना की गई उसकी कुल आय पर निर्धारिती, बशर्ते कि उप-धारा (1ए) के अंतर्गत अनुमत टैक्स क्रेडिट पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-4, कोलकाता**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स आर2 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2013-14**

निर्धारण अधिकारी ने अक्टूबर 2017 में धारा 143(3)/144सी(13)[66] के अंतर्गत निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 126.74 करोड़ का कर लगाया जो सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कर देयता ₹ 67.18 करोड़ से ज्यादा था। निर्धारिती को भविष्य समायोजन करने के लिए ₹ 59.56 करोड़ के एमएटी क्रेडिट की अनुमति देने की आवश्यकता थी। हालांकि, निर्धारण के बाद आईटीडी प्रणाली से उत्पन्न अनुसूची एमएटीसी से यह देखा गया कि निर्धारिती को वर्ष के लिए ₹ 59.56 करोड़ के बजाय ₹ 119.97 करोड़ के एमएटी क्रेडिट की अनुमति दी गई थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 60.41 करोड़ के एमएटी क्रेडिट का अधिक अग्रेषण हुआ। *लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत जुलाई 2018 में आदेश पारित कर त्रुटि को सुधारा।*

अधिनियम की धारा 115जेबी, बही लाभ पर कम दर पर कर के भुगतान का प्रावधान करती है यदि अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान किया गया कर बही लाभ पर कर से कम है। धारा 115जेएए बाद के वर्षों में इतनी अधिक भुगतान की गई राशि का टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने का प्रावधान करता है (धारा 115जेबी के अंतर्गत भुगतान किए गए कर और अधिनियम के सामान्य प्रावधान के अंतर्गत देय कर का अंतर)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्धारण अधिकारियों और पर्यवेक्षी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं कि निर्धारण में गलती न हो।

66 धारा 144सी की उप-धारा (5) के तहत जारी निर्देशों की प्राप्ति पर, निर्धारण अधिकारी निर्देशों के अनुरूप, धारा 153 में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, निर्धारिती को सुनवाई का कोई और अवसर प्रदान किए बिना, मूल्यांकन के भीतर, पूरा करेगा। उस महीने के अंत से एक महीने जिसमें ऐसे निर्देश प्राप्त होते हैं।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-2, बैंगलोर**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स डब्लू1 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने, आईटीबीए प्रणाली के माध्यम से धारा 144सी(13) के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण के बाद अक्टूबर 2019 में निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, निर्धारण वर्ष 2011-12 और 2013-14 से संबंधित ₹ 22.52 करोड़ के एमएटी क्रेडिट की अनुमति दी। हालांकि, इन वर्षों में ऐसा कोई एमएटी क्रेडिट उपलब्ध नहीं था क्योंकि दोनों नि.व. में अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कर देय था। यह भी देखा गया था कि आईटीबीए कर गणना विवरण में एमएटी क्रेडिट आकड़ा 'शून्य' के रूप में प्रदर्शित था फिर भी देय कर की गणना करते समय एमएटी क्रेडिट की अनुमति दी गई। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 34.90 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2021) और कहा कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपचारात्मक कार्रवाई की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।*

अधिनियम की धारा 115Jएए एक निर्धारिती को अग्रेषित एमएटी क्रेडिट का समंजन करने का प्रावधान करता है जब सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत देय कर विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर से अधिक होता है। हालांकि, इस तरह के क्रेडिट अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कर और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर के अंतर तक सीमित होंगे।

मामला IV	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-5, बैंगलोर**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स एन1 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते हुए, पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 8.41 करोड़ के नुकसान को समायोजित करने की अनुमति दी। हालांकि, निर्धारिती को ऐसा कोई हानि उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 5.67 करोड़ के उपलब्ध एमएटी क्रेडिट के मुकाबले ₹ 18.64 करोड़ के एमएटी क्रेडिट की भी अनुमति दी। इस प्रकार, ₹ 8.41 करोड़ की अग्रेषित हानि के गलत समायोजन तथा ₹ 12.97 करोड़ के एमएटी क्रेडिट की

अधिक अनुमति के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 24.53 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2021) और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव रखा।* की गई कार्रवाई के आगे के विवरण विभाग से प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

अधिनियम की धारा 115जेएए एक निर्धारिती को एमएटी क्रेडिट को आगे ले जाने की अनुमति देता है जब सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत देय कर विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर से अधिक होता है। हालांकि, इस तरह के क्रेडिट अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कर और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर के अंतर तक सीमित होंगे।

मामला V	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-6, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स सी3 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2012-13**

निर्धारण अधिकारी ने, धारा 144सी के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण के बाद जनवरी 2017 में निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, निर्धारण वर्ष 2009-10 और 2010-11 से संबंधित ₹ 10.84 करोड़ के एमएटी क्रेडिट के समायोजन की अनुमति दी। हालांकि, समंजन के लिए कोई एमएटी क्रेडिट उपलब्ध नहीं था क्योंकि दोनों निर्धारण वर्ष में अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कर का भुगतान किया गया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 18.86 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने बताया कि मई 2018 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।*

अधिनियम की धारा 80पी के अनुसार, प्राथमिक सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड के मामले में धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की स्वीकार्यता तभी लागू होती है जब ऐसी इकाई के संचालन का क्षेत्र एक तालुक तक ही सीमित हो।

मामला VI	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-I, अमृतसर**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स एफ1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2013-14**

निर्धारण अधिकारी ने अक्टूबर 2015 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए धारा 80पी के अंतर्गत ₹ 1.97 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। हालांकि, कटौती निर्धारिती को स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि

निर्धारिती दो तालुकों में संचालन कर रहा था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 1.97 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 1.06 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (सितम्बर 2020) तथा नवंबर 2019 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

3.3.4 व्यापार व्यय का गलत अनुमति

हमने 12 राज्यों में ₹ 617.86 करोड़ के कर प्रभाव वाले व्यापार व्यय के गलत भत्ते से संबंधित 49 मामले देखे। हम नीचे चार उदाहरणात्मक मामले देते हैं:

अधिनियम की धारा 37(1) के अनुसार, कोई भी व्यय जो पूंजीगत व्यय या व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति का न हो, जो व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित किया गया हो, को लाभ और लाभ मद के अंतर्गत व्यवसाय या पेशे का प्रभार्य आय की गणना करने की अनुमति दी जाएगी।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, नासिक**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स डब्लू3 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2012-13**

निर्धारण अधिकारी ने मई 2016 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों और कॉर्पोरेट ऋण पुनर्रचना प्रतिपूर्ति के प्रावधानों के लिए ₹ 189.35 करोड़ के व्यय की अनुमति दी। पूर्वोक्त व्यय एक अनिश्चित दायित्व होने के कारण निर्धारिती को स्वीकार्य नहीं था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 118.57 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 189.35 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *विभाग ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

इसके अलावा, उपर्युक्त चूकों से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों ने इन मामलों में उचित सावधानी नहीं बरती। इसलिए, मंत्रालय ऐसी चूकों के कारणों की जांच कर सकता है और उत्तरदायित्व तय करने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

अधिनियम की धारा 43बी में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक निवेश निगम से किसी भी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में निर्धारिती द्वारा देय किसी भी राशि के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अंतर्गत अन्यथा स्वीकार्य कटौती, इस तरह के ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियमों और शर्तों की अनुमति दी जाएगी (पिछले वर्ष के बावजूद जिसमें निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन की विधि के अनुसार इस तरह की राशि का भुगतान करने का दायित्व वहन किया गया था) केवल गणना में उस पिछले वर्ष की धारा 28 में निर्दिष्ट आय जिसमें ऐसी राशि वास्तव में उसके द्वारा भुगतान की गई है।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-सिलीगुड़ी, गंगटोक**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स एस4 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2016-17 और 2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 और मार्च 2019 में उपरोक्त निर्धारण वर्ष के लिए धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए क्रमशः ₹ 142.67 करोड़ और ₹ 324.12 करोड़ के सावधि ऋण पर ब्याज की अनुमति दी। तथापि, उक्त राशि में से ₹ 136.43 करोड़ और ₹ 303.27 करोड़ का ब्याज क्रमशः निर्धारण वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के दौरान बकाया रहा। इस प्रकार, अदत्त ब्याज राशि को अस्वीकृत करने की आवश्यकता थी, जो नहीं किया गया था। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 439.70 करोड़ (₹ 303.27 करोड़ + ₹ 136.43 करोड़) से आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 152.18 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। *मंत्रालय ने नि.व. 2017-18 और 2016-17 के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (मई/जून 2022) और कहा कि दोनों के लिए सितंबर 2021 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई पूरी की गई थी।*

अधिनियम की धारा 32(1) व्यवसाय व्यय के रूप में मूल्यह्रास की अनुमति को निर्धारित करती है यदि संपत्ति निर्धारिती के स्वामित्व (पूर्ण या आंशिक रूप से) है और व्यवसाय के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिनांक 23.04.2014 के परिपत्र में स्पष्ट किया कि बिल्ड-ओन-ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल में सड़कों और राजमार्गों के विकास के लिए किए गए व्यय को मूल्यह्रास के रूप में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके बजाय इस तरह के व्यय को टोल रियायतग्राही समझौते की शेष अवधि में समान रूप से परिशोधित किया जाना चाहिए।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-3, बैंगलोर**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स जी2 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15 और 2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 और दिसंबर 2017 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए कैरिजवे पर ₹ 96.95 करोड़ और ₹ 96.93 करोड़ के स्वीकार्य परिशोधन के प्रति क्रमशः ₹ 212.64 करोड़ और ₹ 191.97 करोड़ के मूल्यह्रास की अनुमति दी। त्रुटियों के परिणामस्वरूप पूर्वोक्त निर्धारण वर्ष के लिए ₹ 210.73 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 71.63 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने निर्धारण वर्ष 2014-15 के लेखापरीक्षा अवलोकन को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया (मई 2018) कि परिशोधन राशि दावा किए गए मूल्यह्रास से अधिक थी और राजस्व के हित में मूल्यह्रास का दावा स्वीकार किया गया था।* हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि दावा किया गया मूल्यह्रास स्वीकार्य परिशोधन से अधिक है। *निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए विभाग ने फरवरी 2020 में धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की।*

अधिनियम की धारा 37(1) यह निर्धारित करती है कि व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए पूर्ण या अनन्य रूप से किए गए किसी भी व्यय को निर्धारिती की व्यावसायिक आय की गणना करने की अनुमति है। हालांकि, खर्च का प्रावधान स्वीकार्य नहीं है। यह आगे यह भी प्रदान करता है कि एक अर्जित या ज्ञात देयता के लिए खातों में किया गया प्रावधान एक स्वीकार्य कटौती है, जबकि अन्य प्रावधान कटौती के लिए योग्य नहीं हैं। इसके अलावा, श्री सज्जन मिल्स लिमिटेड बनाम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सीआईटी और अन्य [156-आईटीआर-585] (एससी) ने माना कि, कटौती के लिए एक व्यय का दावा करने के लिए, व्यय वास्तव में उत्पन्न और खर्च किया जाना चाहिए और न केवल भविष्य में होने के लिए निश्चित रूप से अनुमानित होना चाहिए। ओईआरसी (नवीकरणीय और सह-उत्पादन खरीद दायित्व और इसके अनुपालन) विनियम, 2010 के अनुसार, प्रत्येक अधिबद्ध इकाई आरपीओ के अंतर्गत सह-उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा की अपनी कुल वार्षिक खपत का 5 प्रतिशत से कम नहीं खरीदेगी (नवीकरणीय खरीद दायित्व) विनियम। यदि कोई बाध्य संस्था आरपीओ से कम हो जाती है, तो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) विनियम, 2010 के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य दायित्वों के निर्वहन के लिए वैध साधन होंगे। यदि बाध्य संस्थाएं किसी भी वर्ष के दौरान इन विनियमों में प्रदान किए गए आरपीओ को पूरा नहीं करती हैं और प्रमाण पत्र भी नहीं खरीदती हैं, तो

आयोग अधिबद्ध इकाई को एक अलग फंड में जमा करने का निर्देश दे सकता है, जिसे ऐसी बाध्य इकाई द्वारा बनाया और बनाए रखा जाएगा, जैसे आरपीओ की इकाइयों में कमी और केंद्रीय आयोग द्वारा तय की गई सहनशीलता मूल्य के आधार पर आयोग निर्धारित राशि के रूप में राशि निर्धारित कर सकता है। बशर्ते कि इस प्रकार सृजित निधि का उपयोग, जैसा आयोग द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, ओईआरसी की देखरेख में प्रमाणपत्रों की खरीद के लिए किया जाएगा।

मामला IV	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, भुवनेश्वर**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स आई2 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) में कमी के प्रावधान के लिए ₹ 19.98 करोड़ के व्यय की अनुमति दी। आरपीओ के लिए ₹ 19.98 करोड़ का प्रावधान 'नवीकरणीय स्रोतों से बिजली' के कारण खर्च के लिए भविष्य के दायित्व के लिए आरपीओ में प्रत्याशित कमी के लिए रखा गया था, जो कि प्रासंगिक पिछले वर्ष में किया गया वास्तविक व्यय नहीं था। इसलिए, ₹ 19.98 करोड़ के आरपीओ के प्रावधान को अस्वीकृत करने और निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती की कुल आय में वापस जोड़ने की आवश्यकता थी जो कि नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.91 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाले ₹ 19.98 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ। *विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2021) कि लेखापरीक्षा आपत्ति प्रथम दृष्टया स्वीकार्य है। प्रधान आयकर आयुक्त-1, भुवनेश्वर ने अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत एक आदेश (मार्च 2022) पारित किया है और* निर्धारण अधिकारी *को निर्धारिती को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद मामले को तय करने का निर्देश दिया है।* अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत संशोधन आदेश का विवरण प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

3.3.5 दोहरे कराधान से राहत का गलत अनुमति

दोहरे कराधान बचाव समझौता (डीटीएए) राहत के गलत अनुमति से संबंधित चार मामले देखे जिसमें तीन राज्यों में ₹ 219.71 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। हम नीचे तीन उदाहरणात्मक मामले प्रस्तुत कर रहे हैं:

अधिनियम की धारा 90 और 91 विदेश में भुगतान किए गए कर से राहत प्रदान करती है यदि भारत में कर की जाने वाली कुल आय पर भी किसी विदेशी देश में कर लगाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्धारण अधिकारियों और पर्यवेक्षण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं कि निर्धारण में आय और कर का सही निर्धारण किया गया है।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-2, बैंगलोर**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स डब्लू2 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने अक्टूबर 2019 में धारा 144सी(13) के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए कहा कि निर्धारिती के ₹ 448.23 करोड़ के दावे के खिलाफ केवल ₹ 277.31 करोड़ का विदेशी कर क्रेडिट स्वीकार्य है। हालांकि, दिसंबर 2019 में निर्धारण में सुधार करते हुए, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 277.31 करोड़ के स्वीकार्य टैक्स क्रेडिट के मुकाबले ₹ 411.90 करोड़ के विदेशी टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 213.16 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। सितम्बर 2020 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर *विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत सितम्बर 2020 में उपचारात्मक कार्यवाही की।*

इसके अलावा, उपर्युक्त चूकों से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों ने इन मामलों में उचित सावधानी नहीं बरती। इसलिए, मंत्रालय ऐसी चूकों के कारणों की जांच कर सकता है और उत्तरदायित्व तय करने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

माननीय आईटीएटी अहमदाबाद बेंच 'बी' एलीटकोर टेक्नोलॉजीज (प्रा.) लिमिटेड बनाम आयकर उपायुक्त, सर्कल 2(1)(1), अहमदाबाद [2017] 77 taxmann.com 149 (अहमदाबाद - अधिकरण) के मामले में प्रदान करता है कि जहां निर्धारिती कंपनी अपने विदेशी संबद्ध उद्यमों (एई) से स्रोत पर कर की कटौती के बाद कुछ राशि प्राप्त करती है, कर क्रेडिट की अनुमति केवल उस सीमा तक दी जानी चाहिए, जिस हद तक संबंधित आय पर भारत में कर लगा है और यह स्वीकार्य टैक्स क्रेडिट की गणना के उद्देश्य से सकल प्राप्तियों को ध्यान में रखना सही तरीका नहीं है। सीबीडीटी ने अपनी अधिसूचना संख्या 54/2016 दिनांक 27 जून 2016 के माध्यम से आयकर नियम, 1962 (नियम) के अंतर्गत नियम 128 को अधिसूचित किया है जिसे प्रकृति में स्पष्टीकरण के रूप में माना जा सकता

है (जैसा कि पहले ऐसा कोई नियम नहीं था जिसके अंतर्गत विदेशी कर क्रेडिट की गणना की जा सकती है)। नियम प्रदान करते हैं कि कुल उपलब्ध विदेशी टैक्स क्रेडिट (एफटीसी) किसी विशेष देश से उत्पन्न होने वाली आय के प्रत्येक स्रोत के लिए अलग से गणना की गई एफटीसी की कुल राशि होगी। एफटीसी ऐसी आय पर अधिनियम के अंतर्गत देय कर से कम होगा; या ऐसी आय पर भुगतान किया गया विदेशी कर।

मामला ॥	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-2, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स एल1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में धारा 143 (3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए 3.5 *प्रतिशत* की दर से ₹ 701.31 करोड़ रुपये के भारत में कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) की गणना करके ₹ 28.63 करोड़ रुपये के कुल विदेशी कर क्रेडिट (एफटीसी) की अनुमति दी, जिसमें म्यांमार-येतागुन परियोजना से ₹ 24.54 करोड़ रुपये शामिल थे। हालांकि, निर्धारिती के दिए गए विवरण के अनुसार, वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व केवल ₹ 551.38 करोड़ रुपये था और इस प्रकार 3.5 *प्रतिशत* की दर से स्वीकार्य एफटीसी ₹ 19.30 करोड़ रुपये बैठता है। इसे ₹ 19.30 करोड़ रुपये तक सीमित रखने के चूक के परिणामस्वरूप एफटीसी का ₹ 5.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुमति मिला। विभाग ने (जनवरी 2020) को सूचित किया कि दिसंबर 2019 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143 (3) के अंतर्गत अवलोकन को ठीक किया गया था।

आयकर नियम, 1962 के नियम 128 के उप नियम 9 में कहा गया है कि भारत के बाहर किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में निवासी निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए विदेशी कर के क्रेडिट की अनुमति के लिए, फॉर्म संख्या 67 में विवरण और आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी, त्रिवेंद्रम**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स एम2 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए रिटर्न दाखिल करने में देरी के कारण ₹ 32.84 लाख की विदेशी कर राहत की अनुमति नहीं दी। हालांकि, निर्धारिती की कर देयता की

गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने पूर्वोक्त विदेशी कर राहत की अनुमति दी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 37.11 लाख के कर प्रभाव वाली राहत की अनियमित अनुमति मिली। सितम्बर 2020 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर *विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत सितम्बर 2020 में त्रुटि को सुधारा।*

3.4 त्रुटियों के कारण मूल्यांकन से बचने वाली आय

3.4.1 अधिनियम में प्रावधान है कि किसी भी पिछले वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय में किसी भी स्रोत से प्राप्त, वास्तव में प्राप्त या अर्जित या प्राप्त या अर्जित समझी जाने वाली सभी आय शामिल होगी। हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने या तो कुल आय का निर्धारण नहीं किया था या कम निर्धारित किया था जिसे कर के लिए प्रस्तावित किया जाना आवश्यक था। नीचे दी गई तालिका 3.3 उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप त्रुटियों के कारण आय निर्धारण से बच गई।

तालिका 3.3: त्रुटियों के कारण आय निर्धारण से बचने के अंतर्गत गलतियों की उप-श्रेणियां

उप श्रेणियां		**संख्या**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**राज्य**
क.	आय का आकलन नहीं किया गया/विशेष प्रावधानों के अंतर्गत मूल्यांकन कम किया गया	10	70.18	दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।
ख.	सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत आय का आकलन नहीं किया गया/कम मूल्यांकन किया गया	24	364.92	हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
ग.	पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	4	70.50	महाराष्ट्र और तमिलनाडु।
घ.	आर्म्स-लेंथ प्राइस का गलत अनुमान	5	30.32	दिल्ली और तेलंगाना।
ङ.	अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट	8	35.70	महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल
कुल		**51**	**571.62**	

3.4.2 विशेष प्रावधानों के अंतर्गत आय का आकलन नहीं किया गया/कम आकलन किया गया

हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने पांच राज्यों में ₹ 70.18 करोड़ के कर प्रभाव वाले 10 मामलों में या तो विशेष प्रावधानों के अंतर्गत आय का निर्धारण नहीं किया गया अथवा आय का कम निर्धारण किया गया। हम नीचे ऐसे दो उदाहरणात्मक मामले प्रस्तुत कर रहे हैं:

अधिनियम की धारा 115जेबी बही लाभ के निर्धारित प्रतिशत पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) लगाने का प्रावधान करती है यदि सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत गणना की गई कुल आय पर देय आयकर एमएटी से कम है। अधिनियम की धारा 14ए कुल आय में शामिल न होने वाली आय के सम्बन्ध में किए गए व्यय को अस्वीकार करने का प्रावधान करती है। इसके अलावा, आयकर नियम, 1962 का नियम 8डी ऐसे अस्वीकार्य व्यय की गणना का प्रावधान करता है।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-3, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स एस3 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने जून 2017 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए धारा 14ए के अंतर्गत छूट प्राप्त आय के लिए किए गए ब्याज के रूप में ₹ 6.93 करोड़ के व्यय की अनुमति नहीं दी। लेखापरीक्षा ने नोट किया कि ऐसी अस्वीकृति की गणना नियम 8डी[67] के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने, अस्वीकृति के लिए इस तरह के व्यय की गणना करते समय, आयकर नियम 1962 के नियम 8डी(2)(ii) के प्रावधानों पर विचार नहीं किया, जैसा कि उपरोक्त प्रावधानों

67 नियम 8डी के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान लागू किए जाने थे।

(i) आय से सीधे संबंधित व्यय की राशि जो कुल आय का हिस्सा नहीं है।

(ii) ऐसे मामले में जहां निर्धारिती ने पिछले वर्ष के दौरान ब्याज के रूप में खर्च किया है जो सीधे किसी विशेष आय या प्राप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है, ए∗बी/सी के सूत्र के अनुसार गणना की गई राशि यानि (4,78,11,71,706∗13,86,73,23,979/86,11,49,99,527);

ए = क्लॉज (i) में शामिल ब्याज राशि के अलावा ब्याज के रूप में व्यय की राशि; बी = निवेश के मूल्य का औसत आय जिसमें से कुल आय का हिस्सा नहीं बनता है या नहीं होगा, जैसा *कि निर्धारिती की बैलेंस शीट में पहले दिन और पिछले वर्ष के अंतिम दिन प्रदर्शित होता है;* सी = पिछले वर्ष के पहले दिन और अंतिम दिन निर्धारिती की बैलेंस शीट में प्रदर्शित होने वाली कुल संपत्ति का औसत।

(iii) *निवेश के मूल्य के औसत के आधे प्रतिशत के बराबर राशि, जिसमें से आय पिछले वर्ष के पहले दिन और आखिरी दिन निर्धारिती की बैलेंस शीट में दिखाई देने वाली कुल आय का हिस्सा नहीं बनती है या नहीं बनेगी।*

द्वारा आवश्यक था और ₹ 83.92 करोड़ की राशि को अस्वीकार करने के बजाय, निर्धारण अधिकारी ने केवल ₹ 6.93 करोड़ की राशि को अस्वीकार किया। त्रुटि के परिणामस्वरूप अधिनियम के सामान्य प्रावधान के अंतर्गत ₹ 76.99 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ और साथ ही अधिनियम की धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत समान राशि के बही लाभ का कम निर्धारण हुआ, जिसमें संभावित एमएटी क्रेडिट के अतिरिक्त अनुमति के रूप में ₹ 16.14 करोड़ सहित ₹ 26.17 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। का प्रभाव। *विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2021) तथा दिसम्बर 2019 में धारा 147 के अन्तर्गत आदेश द्वारा उपचारात्मक कार्यवाही की।*

मामला ॥	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, भुवनेश्वर**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स टी2 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत मूल्यांकन और जुलाई 2020 में बाद में सुधार के बाद बही लाभ की गणना करते हुए, लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए संबंधित पक्षों से ब्याज मुक्त ऋण पर ₹ 44.19 करोड़ के ब्याज के सांकेतिक व्यय को वापस नहीं जोड़ा। चूंकि पूर्वोक्त ब्याज व्यय एक प्रावधान की प्रकृति का था, इसे निर्धारिती के बही लाभ में वापस जोड़ा जाना आवश्यक था जो कि निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 44.19 करोड़ के बही लाभ का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 12.36 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2021) कि लेखापरीक्षा आपत्ति प्रथम दृष्टया स्वीकार्य है। आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही थी।* विभाग से उपचारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

3.4.3 सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत आय का आकलन नहीं किया गया/कम आकलन किया गया

हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने 10 राज्यों में ₹ 364.92 करोड़ के कर प्रभाव वाले 24 मामलों में या तो सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत आय का निर्धारण नहीं किया या कम आय का निर्धारण किया। हम नीचे पांच उदाहरणात्मक मामले प्रस्तुत कर रहे हैं:

अधिनियम की धारा 43सीए(1) के प्रावधान के अनुसार, जहां एक संपत्ति (पूंजीगत संपत्ति के अलावा) के एक निर्धारिती द्वारा हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित प्रतिफल, भूमि या भवन या दोनों, से कम है इस तरह के हस्तांतरण के सम्बन्ध में स्टांप शुल्क के भुगतान के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकरण द्वारा अपनाया या मूल्यांकन या मूल्यांकन योग्य मूल्य, ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण से लाभ और लाभ की गणना के उद्देश्य से अपनाया या मूल्यांकन या मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा , इस तरह के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित प्रतिफल का पूरा मूल्य माना जाएगा। इसके अलावा, धारा 115जेबी(2)(सी) के प्रावधान के स्पष्टीकरण में अनिश्चित दायित्व को पूरा करने के लिए किए गए प्रावधान के लिए अलग रखी गई राशि या राशियों की अस्वीकृति का प्रावधान है।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी, नोएडा**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स जे1 एसोसिएट्स**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 406.46 करोड़ के मूल्य, जिसके लिए स्टांप शुल्क का भुगतान किया गया था और बेची गई भूमि या भवन के लिए ₹ 259.73 करोड़ के वास्तविक मूल्य के बीच के अंतर का संज्ञान नहीं लिया। चूक के परिणामस्वरूप *पूर्वोक्त* प्रावधानों के अनुसार ₹ 146.73 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि लेखापरीक्षा के कहने पर सितंबर 2021 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 263 के अंतर्गत आदेश को संशोधित करते हुए, निर्धारण अधिकारी ने उक्त संपत्तियों के लिए अनुमानित उचित बाजार मूल्य ₹ 406.46 करोड़, जिसके लिए स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया था की जगह ₹ 356.81 करोड़ के मूल्य को अपनाया। इसलिए, लेखापरीक्षा ने ₹ 97.08 करोड़ की अंतर राशि को सीमित कर दिया, जबकि प्रारंभ में ₹ 146.73 करोड़ में से बताया गया था।

इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत बही लाभ की गणना करते समय, अनिश्चित देयता होने के कारण ₹ 8.10 करोड़ की ग्रेच्युटी के प्रावधान को वापस नहीं जोड़ा।

चूक के परिणामस्वरूप अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 97.08 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ और धारा 115जेबी के अंतर्गत ₹ 8.10 करोड़ के बही लाभ का कम निर्धारण हुआ, जिसमें

₹ 33.00 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 34.69 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार (अक्टूबर 2021) किया और सितम्बर 2021 में धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत एक आदेश पारित कर उपचारात्मक कार्रवाई की।*

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 43सीए के अनुसार, जहां संपत्ति (पूंजीगत संपत्ति के अलावा), भूमि या भवन, या दोनों के एक निर्धारिती द्वारा हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित प्रतिफल, से कम है ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण से लाभ और लाभ की गणना के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया या मूल्यांकन या मूल्यांकन योग्य मूल्य, ऐसे मूल्य को इस तरह के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित प्रतिफल का पूरा मूल्य माना जाएगा।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-5, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स आर5 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए धारा 43सीए के अंतर्गत ₹ 8.22 करोड़ की वृद्धि की। कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट (फॉर्म 3सीडी) से यह देखा गया कि वर्ष के दौरान बेचे गए 182 फ्लैटों के सम्बन्ध में कुल ₹ 43.59 करोड़ की वृद्धि की जानी थी। बाद के नि.व. अर्थात नि.व. 2016-17 के 'तुलन पत्र' 'नोट 15-इन्वेंटरी' के माध्यम से बहीखातों से यह आगे देखा गया कि तैयार माल शून्य था। यह इंगित करता है कि सभी फ्लैट बिक चुके थे, और इसलिए ₹ 43.59 करोड़ की संपूर्ण राशि, जैसा कि टैक्स लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था, को जोड़ा जाना था। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने केवल ₹ 8.22 करोड़ की वृद्धि की। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 35.37 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 15.26 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने सूचित किया (मार्च 2020) कि अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की जा रही है।* उपचारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

अधिनियम की धारा 56(1) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक प्रकार की आय जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत कुल आय से बाहर नहीं किया जाना है, "अन्य स्रोतों से आय" मद के अंतर्गत आयकर के लिए प्रभार्य होगा, यदि यह धारा 14, मद ए से ई तक में निर्दिष्ट किसी भी शीर्ष के अंतर्गत आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है। यह मैसर्स तूतीकोरिन अल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के मामले में न्यायिक रूप से आयोजित किया गया है। (1997) 227 आईटीआर 172 (एससी) कि कारखाने की स्थापना के लिए और व्यवसाय शुरू करने से पहले उधार ली गई धनराशि के निवेश पर अर्जित ब्याज 'अन्य स्रोतों से आय' के अंतर्गत अलग से कर योग्य है और यह दावा नहीं किया जा सकता है कि उधार ली गई धनराशि पर ब्याज से ऐसी ब्याज आय कम हो जाएगी।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, चेन्नई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स आई1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, निर्माणाधीन परियोजना से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय के प्रति सावधि जमा पर ₹ 44.60 करोड़ की ब्याज आय को कम करने की अनुमति दी और शुद्ध पूंजीकृत राशि तुलन पत्र में परिलक्षित हुई। हालांकि, उपरोक्त न्यायिक घोषणा के मद्देनजर ब्याज आय को 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अंतर्गत कर के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 13.38 करोड़ के परिणामी संभावित कर प्रभाव के साथ ₹ 44.60 करोड़ की हानि की अधिक गणना हुई। *विभाग ने कहा (मार्च 2021) कि अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव शुरू किया गया था।* उपचारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

अधिनियम की धारा 28(i) में प्रावधान है कि पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय या पेशे का लाभ और अभिलाभ, "लाभ और व्यवसाय या पेशे का लाभ" मद के अंतर्गत आयकर के लिए प्रभार्य होगा।

मामला IV	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-4, कोलकाता**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स एस6 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, निर्धारिती को एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण सुविधा स्थापित करने के लिए भूमि की खरीद के सम्बन्ध में

समझौता ज्ञापन (एमओयू) की शर्तों को पूरा न करने के लिए, किसी अन्य कंपनी से मुआवजे के रूप में प्राप्त ₹ 24.10 करोड़ की राशि को राजस्व प्राप्ति के रूप में मानने के बजाय इसे पूंजीगत प्राप्ति मानकर पूंजीगत कार्य-प्रगति से कम करने की अनुमति दी और उक्त राशि को आय के रूप में माना नहीं गया था।

त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 24.10 करोड़ से आय का कम निर्धारण हुआ, धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 10.62 करोड़ का कर प्रभाव पड़ा। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2022) और कहा कि सुधारात्मक कार्रवाई दिसंबर 2019 में धारा 263/143(3) के अंतर्गत आदेश पारित करके पूरी की गई थी*। वसूली की स्थिति विभाग से प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

अधिनियम की धारा 5(1) में प्रावधान है कि निवासी व्यक्ति की किसी भी पिछले वर्ष की कुल आय में वह सभी आय शामिल है जो भारत में उसके द्वारा या उसकी ओर से पिछले वर्ष में प्राप्त (या प्राप्त मानी गई) आय है। जो प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान भारत के साथ-साथ भारत के बाहर उसे अर्जित या उत्पन्न होता है।

मामला V	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी, रांची**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स टी3 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2012-13**

निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2015 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, लाभ और हानि खाते में दर्शाए अनुसार ₹ 14.25 करोड़ की सकल प्राप्तियों पर विचार करते हुए निर्धारिती की आय का आकलन किया। हालांकि, पिछले वर्ष यानी वित्त वर्ष 2011-12 के लिए फॉर्म 26एएस के अनुसार, सकल प्राप्तियां ₹ 17.48 करोड़ थीं। इस प्रकार, ₹ 3.21 करोड़ की प्राप्तियों की कम घोषणा हुई। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 3.21 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 1.39 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने बताया कि अक्टूबर 2019 में धारा 144/147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

3.4.4 पूंजीगत लाभ की गलत गणना/वर्गीकरण

हमने दो राज्यों में ₹ 70.50 करोड़ के कर प्रभाव वाले पूंजीगत लाभ की गलत गणना/वर्गीकरण से संबंधित चार मामले देखे। हम नीचे ऐसे तीन उदाहरणात्मक मामले प्रस्तुत कर रहे हैं:

अधिनियम की धारा 50बी अधिनियम की धारा 48 के साथ पठित यह निर्धारित करती है कि, पिछले वर्ष में हुई मंदी की बिक्री से उपक्रम या प्रभाग के "निवल मूल्य" को कम करने के बाद प्राप्त या अर्जित प्रतिफल का पूरा मूल्य पूँजीगत लाभ के रूप मे प्रभार्य होगा

मामला ।	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-7, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स पी4 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2012-13**

निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2016 में धारा 144सी(13) के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए निर्धारिती को निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित विनिमय लाभ के कारण आय से ₹ 309.51 करोड़ कम करने की अनुमति इस आधार पर दी कि उक्त राशि पहले से ही निर्धारण वर्ष 2011-12 में धारा 50बी के अंतर्गत पूंजीगत लाभ मद के अंतर्गत कर के लिए पेश की गई थी। निर्धारिती ने आगे कहा कि निर्धारण वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्य की प्राप्ति के साथ-साथ एक उपक्रम की बिक्री के सम्बन्ध में आगे के अनुबंधों के कारण होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ को व्यावसायिक आय से घटा दिया गया था क्योंकि यहां कर के लिए प्रभार्य नहीं था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने लेन-देन के समय प्रचलित विदेशी विनिमय दर के आधार पर प्रतिफल का लेखा किया था और निर्धारण वर्ष 2011-12 में इसे कर के लिए प्रस्तावित किया था। आगे यह भी देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 अर्थात निर्धारण वर्ष 2012-13 में वास्तव में प्राप्त विदेशी मुद्रा आय में विदेशी मुद्रा लाभ के कारण ₹ 309.51 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी शामिल थी। इस प्रकार, उपरोक्त राशि को कर के लिए पेश किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 66.95 करोड़ के कर प्रभाव वाले पूंजीगत लाभ के शीर्ष के अंतर्गत ₹ 309.51 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2020) तथा दिसंबर 2019 में

धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की। विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार, निर्धारण अधिकारी *लिखित आदेश द्वारा निर्धारिती की कुल आय या हानि का आकलन करेगा और उसके द्वारा देय राशि या देय किसी भी राशि की वापसी का निर्धारण करेगा। इस तरह के आकलन के आधार पर निर्धारिती प्रस्तुत कर सकता है और ऐसे अन्य सबूत जो निर्धारण अधिकारी निर्दिष्ट बिंदुओं पर आवश्यकता हो सकती है, और सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए जो उसने एकत्र की है।*

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-6, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स ए2 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, केवल ₹ 1 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयरों की संबन्धित पार्टी को बिक्री पर ₹ 4.78 करोड़ की लंबी अवधि की पूंजीगत हानि को सेट-ऑफ करने की अनुमति दी। यह देखा गया कि निर्धारण अधिकारी ने गैर-वास्तविक लेनदेन के रूप में उक्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ₹ 37.07 करोड़ सहित अपनी सहायक कंपनियों को दिए गए ₹ 47.83 करोड़ के अपरिवर्तनीय ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालने की अनुमति नहीं दी थी और निष्कर्ष निकाला था कि ऋण और अग्रिम व्यापार हानि पैदा करने और कर से बचने के लिए एक कलरेबल डिवाइस/दिखावटी लेनदेन था। इसके अलावा, यह भी माना गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में महत्वपूर्ण लाभ होने के बावजूद इस अवधि में राजस्व में लगातार वृद्धि को देखते हुए राइट-ऑफ उचित नहीं था। चूंकि, निर्धारण अधिकारी ने उक्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए ऋण और अग्रिमों को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए संबंधित पार्टी को केवल ₹ 1 के लिए उक्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयरों की बिक्री से उत्पन्न पूंजीगत हानि को भी अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था। ₹ 4.78 करोड़ की पूंजीगत हानि को अस्वीकार करने में चूक के कारण ₹ 1.66 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने आपत्ति की स्वीकृति (जनवरी 2021) को सूचित किया और मार्च 2021 में अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की।*

अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के अनुसार, "पूंजीगत लाभ" मद के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण की लागत किसी भी संपत्ति की और उसमें किसी भी सुधार की लागत हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित प्रतिफल के पूर्ण मूल्य से घटाकर की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए, धारा 55 के अनुसार, "अधिग्रहण की लागत", जहां पूंजीगत संपत्ति अप्रैल 1981 के पहले दिन से पहले निर्धारिती की संपत्ति बन गई, का अर्थ निर्धारिती को संपत्ति के अधिग्रहण की लागत या उचित बाजार मूल्य निर्धारिती के विकल्प पर 1 अप्रैल 1981 को संपत्ति है। जहां पूंजीगत संपत्ति अप्रैल 1981 के पहले दिन से पहले निर्धारिती की संपत्ति बन गई, "सुधार की लागत" का अर्थ है, पूंजीगत संपत्ति का कोई भी व्यय जो उक्त तिथि को या उसके बाद पूंजीगत संपत्ति में कोई वृद्धि या परिवर्तन करने में किया गया है।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी 4, चेन्नई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स पी6 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2016 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए 20 एकड़ के अधिग्रहण की लागत के आधार पर ₹ 75 लाख पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) की निर्धारिती की गणना को स्वीकार किया, जिसमें 1 अप्रैल 1981 के पहले किए गए सुधार की लागत भी शामिल है। हालांकि, तमिलनाडु सरकार के पंजीकरण विभाग के पोर्टल से यह देखा गया कि 1 अप्रैल 2003 को उक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य ₹ 66,000 प्रति एकड़ था और इसलिए उचित बाजार मूल्य के रूप में 1 अप्रैल 1981 को ₹ 66,000 प्रति एकड़ से अधिक नहीं हो सकता था। 20 एकड़ के लिए ₹ 13.20 लाख के अधिग्रहण की लागत को अपनाने से, कर के लिए आकलित एलटीसीजी ₹ 12.96 करोड़ के बजाय ₹ 18.76 करोड़ होगा। इस प्रकार एलटीसीजी की कम गणना के परिणामस्वरूप ₹ 1.16 करोड़ के परिणामी संभावित कर प्रभाव के साथ ₹ 5.80 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *विभाग ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की।*

3.4.5 आर्मस लेंथ प्राइस का गलत अनुमान लगाना

हमने दो राज्यों में ₹ 30.32 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े आर्मस लेंथ प्राइस के गलत अनुमान लगाने से संबंधित पाँच मामलों को देखा। हमने ऐसा ही दो निदर्शी मामला नीचे दिया है:

अधिनियम की धारा 92सीए में प्रावधान है कि जहां किसी भी व्यक्ति, निर्धारिती होने के नाते, किसी भी पिछले वर्ष में एक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार में प्रवेश किया है, और निर्धारण अधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, वह प्रधान आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के साथ, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी (टीपीओ) को धारा 92सी के अंतर्गत उक्त अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के सम्बन्ध में आर्म्स लेंथ प्राइस की गणना के लिए संदर्भित कर सकता है। इसके अलावा, धारा 92सी में प्रावधान है कि अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के सम्बन्ध में आर्म्स लेंथ प्राइस (एएलपी) किसी भी तरीके से निर्धारित किया जाएगा, जो संव्यवहार की प्रकृति या संव्यवहार के वर्ग या संबद्ध व्यक्तियों के वर्ग या ऐसे व्यक्तियों द्वारा निष्पादित कार्य या ऐसे अन्य प्रासंगिक कारकों जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, को ध्यान में रखते हुए सबसे उपयुक्त तरीका है।

मामला ।	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी टीपीओ-2, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स एम3 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2007-08 और 2009-10**

निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारिती के मामले को निर्धारिती के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के सम्बन्ध में आर्म्स लेंथ प्राइस के निर्धारण के लिए एक हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी (टीपीओ) को भेजा गया था। तत्पश्चात, टीपीओ द्वारा एक आदेश पारित किया गया (जनवरी 2013) और ₹ 1,355.97 करोड़ के ऊपर समायोजन का प्रस्ताव किया गया था। निर्धारिती ने टीपीओ के आदेश के खिलाफ विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराईं। डीआरपी ने टीपीओ द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि की। निर्धारिती एओ/डीआरपी के आदेश के खिलाफ आईटीएटी (जून 2016) गया और आईटीएटी ने निर्धारिती को सुनवाई का उचित और उचित अवसर प्रदान करने के बाद कानून के अनुसार नए निर्णय के लिए टीपीओ को निर्देश के साथ टीपीओ के आदेश को रद्द कर दिया।

टीपीओ ने अक्टूबर 2018 में आईटीएटी के निर्देशों के अनुसार आदेश पारित करते हुए विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव हानि/लाभ को परिचालन हानि/लाभ के रूप में मानने और परिचालन आय के रूप में वापस लिखे गए प्रावधानों के निर्धारिती के तर्क को खारिज कर दिया। हालांकि, निर्धारिती की परिचालन आय की गणना करते समय, टीपीओ ने ₹ 4.43 करोड़ के उतार-चढ़ाव लाभ और ₹ 8.78 करोड़ के प्रावधानों को वापस लिखने की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.20 करोड़ (₹ 6.12 करोड़ + ₹ 7.08 करोड़ क्रमशः

आईटी सक्षम सेवा खंड और सॉफ्टवेयर विकास सेवा खंड के हस्तांतरण मूल्य निर्धारण में) का कम समायोजन हुआ। आगे यह भी देखा गया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज सेगमेंट के अंतर्गत, टीपीओ द्वारा तुलनीय[68] (मैसर्स आई4 लिमिटेड) के औसत परिचालन व्यय के गलत आंकड़ों को अपनाने के कारण तुलनीय के औसत परिचालन लाभ की गणना गलत तरीके से 20.12 *प्रतिशत की गई थी। एक तुलनीय का सही औसत परिचालन लाभ* लेखापरीक्षा द्वारा 21.52 *प्रतिशत परिकलित किया गया।* इसके परिणामस्वरूप हस्तांतरण मूल्य निर्धारण में ₹ 13.07 करोड़ का कम समायोजन हुआ। इन अशुद्धियों के कारण हस्तांतरण मूल्य निर्धारण में ₹ 26.27 करोड़ का कम समायोजन हुआ जिसमें ₹ 14.20 करोड़ के कर का कम आरोपण शामिल था। मई/जून 2019 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, *टीपीओ ने फरवरी 2020 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।*

इसी प्रकार नि.व. 2007-08 के सम्बन्ध में, टीपीओ ने दिसंबर 2018 में अधिनियम की धारा 254/143(3) के अंतर्गत आईटीएटी आदेश को प्रभावी करने के बाद आर्म्स लेंथ मूल्य के निर्धारण के लिए निर्धारिती की परिचालन आय की गणना करते समय गलत तरीके से विदेशी विनिमय लाभ ₹ 7.63 करोड़ की अनुमति दी। चूंकि विदेशी मुद्रा लाभ गैर-परिचालन प्रकृति का है (सितंबर 2018 में डीआरपी द्वारा निर्देशित), इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 7.63 करोड़ का कम समायोजन हुआ जिसमें ₹ 3.98 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। मई 2019 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, *टीपीओ ने मार्च 2020 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।*

इस प्रकार इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 18.18 करोड़ के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ। क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा टीपीओ द्वारा पारित सुधार आदेश के प्रभाव की स्थिति दोनों निर्धारण वर्षों से प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

68 टीपीओ ने निर्धारिती द्वारा किए गए 'अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन' के लिए आर्म लेंथ प्राइस की गणना करने के लिए तीन चयनित तुलनीय के औसत परिचालन लाभ की गणना की।

मामला ॥	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, विशाखापत्तनम**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स पी3 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 92सीए(1) के अंतर्गत आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करने के लिए दिसंबर 2016 में निर्धारिती कंपनी के निर्धारण मामले को टीपीओ, हैदराबाद को संदर्भित किया। निर्धारिती लेमिनेटेड विंड शील्ड के निर्माण और निर्यात के व्यवसाय में लगा हुआ था, जिसने कच्चे माल की खरीद, स्टोर और पुर्जों की खरीद, अचल संपत्तियों की खरीद, ईसीबी ऋण, प्रतिपूर्ति और गुणवत्ता के दावों के लिए फॉर्म 3सीईबी में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की सूचना दी थी। टीपीओ ने दो समायोजन प्रस्तावित किए, जैसे अक्टूबर 2017 में धारा 92सीए(2) के अंतर्गत बिक्री और खरीद लेनदेन पर ₹ 28.97 करोड़ और संबद्ध उद्यम से बकाया प्राप्तियों पर ₹ 46.18 लाख, जिसकी पुष्टि जून 2018 में विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) द्वारा की गई थी। निर्धारण अधिकारी ने अगस्त 2018 में धारा 144(सी) के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत एक परिणामी निर्धारण आदेश पारित करते समय बिक्री और खरीद लेनदेन पर ₹ 28.97 करोड़ के हस्तांतरण मूल्य समायोजन के कारण कुल आय में वृद्धि नहीं की, जैसा कि टीपीओ के आदेश में प्रस्तावित था। टीपीओ द्वारा किए गए हस्तांतरण मूल्य समायोजन पर विचार करने में निर्धारण अधिकारी द्वारा चूक के परिणामस्वरूप ₹ 9.85 करोड़ के संभावित कर प्रभाव से जुड़े ₹ 28.97 करोड़ की हानि की अधिक गणना हुई। *मई 2020 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, विभाग ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में बताया कि दिसम्बर 2020 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।*

3.4.6 अस्पष्टीकृत निवेश/नकद ऋण

तीन राज्यों में ₹ 35.70 करोड़ के कर प्रभाव वाले अस्पष्ट निवेश/नकद ऋण से संबंधित आठ मामले देखे । हम नीचे ऐसे तीन मामले देते हैं:

अधिनियम की धारा 68 में प्रावधान है कि, यदि निर्धारिती की पुस्तकों में जमा किसी भी राशि की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो इस प्रकार जमा की गई राशि को निर्धारिती की आय के रूप में आयकर में लगाया जा सकता है।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-7, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स एम5 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, असुरक्षित ऋण की पुष्टि प्रस्तुत करने में विफलता के कारण, ₹ 58.99 करोड़ के पूरे असुरक्षित ऋण के बजाय असुरक्षित ऋण के 15 *प्रतिशत* के रूप में केवल ₹ 8.85 करोड़ वापस जोड़ा। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 1.33 लाख की हानि का गलत निर्धारण और ₹ 50.13 करोड़ की आय के कम निर्धारण में ₹ 0.45 लाख का संभावित कर प्रभाव और धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 22.66 करोड़ का सकारात्मक कर प्रभाव शामिल था। कुल कर प्रभाव ₹ 22.67 करोड़ निकला। *विभाग ने कहा (फरवरी 2021) कि अवलोकन सही था और मार्च 2020 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई पूरी की।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी-3, लुधियाना**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स वी1 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय विविध लेनदारों के सम्बन्ध में राशि में भिन्नता अर्थात ₹ 7.33 करोड़ और ₹ 14.65 करोड़ क्रमशः स्टॉक विवरण/संबंधित दस्तावेजों जैसा निर्धारिती द्वारा बैंक को जमा किया गया और निर्धारिती की तुलन पत्र में इंगित किया गया, का संज्ञान नहीं लिया। अस्पष्टीकृत अंतर राशि को कर में लाने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 7.32 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 3.16 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने बताया कि अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई दिसंबर 2019 में पूरी कर ली गई थी।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, औरंगाबाद**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स टी4 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए शेयर आवेदन राशि ₹ 5.25 करोड़ पर ₹ 2.22 करोड़ के ब्याज व्यय की अनुमति दी। हालांकि, शेयरों को जारी करने के लिए प्रासंगिक विवरण और प्राप्त उपरोक्त शेयर आवेदन राशि का स्रोत निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सांविधिक कर लेखापरीक्षक ने यह भी प्रमाणित किया था कि निर्धारिती द्वारा लेखा पुस्तकें प्रस्तुत नहीं की गई थीं और वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की अनुसूची VI के अनुसार तैयार नहीं किए गए थे। इस प्रकार, शेयर आवेदन राशि को अस्पष्टीकृत माना जाना चाहिए था और इस तरह के शेयर आवेदन राशि पर ब्याज व्यय को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.42 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाले ₹ 7.46 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2022) कि दिसंबर 2019 में धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।*

3.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

3.5.1 हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में ₹ 344.32 करोड़ के कर और ब्याज के अधिक प्रभार वाले 18 मामलों में आय से अधिक निर्धारण किया। हम नीचे ऐसे तीन मामले देते हैं:

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही आकलन करना होता है और निर्धारिती द्वारा देय कर की सही राशि का निर्धारण करना होता है।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी-8, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स एस5 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण के बाद दिसंबर 2019 में निर्धारिती की कर देयता की गणना करते हुए ₹ 10.42 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 41.64 करोड़ की निर्धारित आय ली। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 33.05 करोड़ का कर अधिक प्रभारित हुआ। *सितम्बर/अक्टूबर 2020 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत नवम्बर 2021 में त्रुटि को सुधारा।*

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स एच1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते हुए ₹ 54.87 करोड़ की पूंजीगत लाभ की आय को चालू वर्ष के नुकसान के साथ समायोजित करने की अनुमति दी। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने फिर से आईटीबीए में पूंजीगत लाभ से आय पर 20 *प्रतिशत* की दर से कर लगाया, जिससे ₹ 16.39 करोड़ की अतिरिक्त मांग बढ़ गई। *जनवरी 2020 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2020) कि जनवरी 2020 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।*

अधिनियम की धारा 234बी में निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण ब्याज लगाने का प्रावधान है

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-3, कोलकाता**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स आर4 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2013-14**

निर्धारण अधिकारी ने अक्टूबर 2018 में अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत संशोधन आदेश के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 9.87 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 18.37 करोड़ का

ब्याज लगाया। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 8.50 करोड़ के ब्याज का अधिक उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया (सितम्बर 2021) कि 67 माह के लिए ब्याज उचित रूप से वसूल किया गया था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारण अक्टूबर 2018 में अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 263 के अंतर्गत संशोधित किया गया था और ब्याज नियमित निर्धारण की तिथि अर्थात मार्च 2016 तक ही लगाया जाना चाहिए था जैसा कि अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

सिफारिशें

(i) ***कर और अधिभार की गलत दरों को लागू करना, ब्याज लगाने में त्रुटियां, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि आईटीडी में आंतरिक नियंत्रण में कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।***

(ii) ***जबकि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामलों में सुधार शुरू करने के लिए कार्रवाई की है, यह उल्लेख किया जा सकता है कि ये लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई केवल कुछ उदाहरणात्मक मामले हैं, गैर-संवीक्षा निर्धारण सहित सभी निर्धारणों की पूरी संसृति में, चूक या कमीशन की ऐसी त्रुटियों से इंकार नहीं किया जा सकता है। सीबीडीटी को न केवल अपने निर्धारण पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक फुलप्रूफ आईटी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी स्थापित करने की आवश्यकता है।***

(iii) ***सीबीडीटी इस बात की जांच कर सकता है कि क्या 'त्रुटियों' के मामले चूक या भूल की त्रुटियां हैं और यदि ये भूल की त्रुटियां हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार, जवाबदेही तय करने सहित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, जहां लेखापरीक्षा द्वारा स्पष्ट गलतियों को इंगित किया गया है।***

अध्याय IV: आयकर

4.1 परिचय

4.1.1 इस अध्याय में 148 उच्च मूल्य वाले गैर-कॉर्पोरेट मामलों (पैरा 2.3 देखें) पर चर्चा की गई है जिसमें 174[69] निर्धारण और कुल कर प्रभाव शामिल हैं। ₹ 624.12 करोड़[70] जो सितंबर 2021 से जुलाई 2022 की अवधि के दौरान मंत्रालय को भेजे गए थे। मंत्रालय/आईटीडी ने कर प्रभाव वाले 140 मामलों को स्वीकार किया। ₹ 595.51 करोड़, और ₹ 1.53 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े दो मामलों को स्वीकार नहीं किया। इसके अतिरिक्त, 148 मामलों में से, आईटीडी ने ₹ 575.37 करोड़ के कर प्रभाव वाले 124 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली है और ₹ 14.74 करोड़ के कर प्रभाव वाले 13 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की है। शेष 11 मामलों में, आईटीडी ने जुलाई 2022 तक कोई कार्रवाई नहीं की/शुरू नहीं की थी।

4.1.2 त्रुटियों की श्रेणियों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- निर्धारण की गुणवत्ता
- कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रबंध
- त्रुटियों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय
- अन्य-कर/ब्याज आदि का अधिभार।

बाद के पैराग्राफ उपर्युक्त त्रुटियों की प्रत्येक श्रेणी के कुछ उदाहरण देते हैं।

4.2 निर्धारण की गुणवत्ता

4.2.1 कुछ मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निर्धारणों में त्रुटियां कीं। गलत निर्धारण के ये मामले आईटीडी की ओर से आंतरिक नियंत्रणों में निरंतर कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।

---

69 अधिक-निर्धारण के पांच मामले शामिल है

70 ₹ 110.13 करोड़ का अधिक-निर्धारण शामिल है

नीचे दी गई तालिका 4.1 त्रुटियों की उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिन्होंने निर्धारण की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

तालिका 4.1: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण

	उप श्रेणियाँ	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	राज्य
क.	आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां	19	63.12	दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ख.	कर, अधिभार आदि की दरों का गलत अनुप्रयोग।	25	61.54	दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश
ग.	ब्याज लगाने में त्रुटियाँ	61	303.30	दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश
घ.	अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज	2	5.28	दिल्ली और महाराष्ट्र
ङ.	अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारण में त्रुटियाँ	1	4.56	तमिलनाडु
कुल		**108**	**437.80**	

4.2.2 आय और कर की गणना में एक अंकगणितीय त्रुटि

हमने 19 मामलों में आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ देखीं जिनमें सात राज्यों में ₹ 63.12 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हम नीचे ऐसे पांच उदाहरण देते हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करने और कर या प्रतिदाय की सही राशि, जैसा भी मामला हो, का निर्धारण करना आवश्यक है।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, जबलपुर**
	निर्धारिती	**:**	**मैसर्स एस.ए.सी.**
	स्थिति	**:**	**व्यक्तियों का संघ (एओपी)**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में अधिनियम की धारा 153सी के साथ पठित धारा 144[71] के अंतर्गत क्रमशः ₹ 28.27 करोड़, ₹ 43.35 करोड़, ₹ 47.28 करोड़ और ₹ 3.15 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए त्रुटि से ₹ 18.96 करोड़, ₹ 27.15 करोड़, ₹ 27.94 करोड़ और ₹ 2.24 करोड़ की निर्धारित आय पर कर मांग की गणना निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2016-17 के लिए क्रमश: ₹ 43.35 करोड़, ₹ 47.28 करोड़ और ₹ 3.15 करोड़ की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 32.45 करोड़[72] के कर की शुद्ध परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 45.76 करोड़[73] की आय का निर्धारण किया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (फरवरी 2021) को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सभी निर्धारण वर्षों के लिए त्रुटि को सुधार दिया।* हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-7, दिल्ली**
	निर्धारिती	**:**	**आरएन**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2012-13**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 144/147[74] के अंतर्गत ₹ 21.90 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय

---

71 अधिनियम की धारा 144 प्रदान करती है कि यदि निर्धारिती जारी किए गए नोटिस की सभी शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के बाद, सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए, जिसे निर्धारण अधिकारी ने एकत्र किया है, अपने निर्णय के अनुसार कुल आय या हानि का निर्धारण करेगा।

72 7.12 करोड़ + ₹ 11.40 करोड़ + ₹ 13.45 करोड़ + ₹ 0.48 करोड़

73 9.31 करोड़ + ₹ 16.20 करोड़ + ₹ 19.34 करोड़ + ₹ 0.91 करोड़

74 अधिनियम की धारा 147 में प्रावधान है कि यदि निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कर के लिए प्रभार्य कोई आय किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से बच गई है, तो वह धारा 148 से 153 के प्रावधानों के अधीन ऐसी आय का निर्धारण या पुन: निर्धारण कर सकता है।

₹ 21.90 करोड़ की निर्धारित आय पर ₹ 6.66 करोड़ की कर देनदारी के बजाय ₹ 2.19 करोड़ की आय पर ₹ 0.64 करोड़ की कर देनदारी की गलत गणना की थी। इसके अतिरिक्त, अधिभार त्रुटिपूर्ण तरीके से से लगाया गया था, जो व्यक्तियों के मामले में प्रासंगिक निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए नहीं लगाया जाना था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 17.09 करोड़ का कर निवल कम वसूला गया। लेखापरीक्षा प्रेक्षण विभाग को (जनवरी 2021) सूचित किया गया था। *विभाग ने अधिनियम की धारा 154 (जून 2022) के अंतर्गत त्रुटि को ठीक किया।* इसके अतरिक्त, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी (छूट), दिल्ली**
	निर्धारिती	**:**	**एसटीपी**
	स्थिति	**:**	**न्यास**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में अधिनियम की धारा 143 (3) के अंतर्गत ₹ 64.41 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय त्रुटि से सहायता अनुदान के कारण ₹ 1.50 करोड़ के व्यय की अनुमति दी, जो आय और व्यय लेखा के माध्यम से नहीं किया गया था। साथ ही, आईटीडी द्वारा आवश्यक अधिभार नहीं लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, आईटीडी द्वारा पूर्व-दत्त करों के अतिरिक्त क्रेडिट की अनुमति दी गई थी। आय और कर की गणना में इन अशुद्धियों के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 3.91 करोड़ का कम कर लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (दिसंबर 2020) को स्वीकार कर लिया और कहा कि अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की जा रही है।* उपचारात्मक कार्रवाई पूरी होने की स्थिति की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2022)।

मामला IV	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-3, अहमदाबाद**
	निर्धारिती	**:**	**एवीवी**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में ₹ 2.54 करोड़ की आय पर धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप दिया। तथापि, धारा 69 के अंतर्गत की

गई सभी परिवर्धनों को मिलाकर कुल निर्धारित आय ₹ 3.54 करोड़ थी। निर्धारण अधिकारी ने त्रुटि से ₹ 3.54 करोड़ के बजाय ₹ 2.54 करोड़ पर कर की गणना की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.25 करोड़ का कम कर लगाने के परिणामस्वरूप ₹ एक करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (मार्च 2021) को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला V	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी केन्द्रीय, पुणे**
	निर्धारिती	**:**	**मैसर्स वीएसए**
	स्थिति	**:**	**फर्म**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने अगस्त 2016 में ₹ 36.90 करोड़ की आय पर धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर मांग की गणना करते हुए ₹ 2.96 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 29.62 लाख की रिटर्न आय को गलत तरीके से अपनाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.67 करोड़ का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 1.06 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण शामिल था। *लेखापरीक्षा प्रेक्षण विभाग (जुलाई 2017) को तथ्यों के विवरण (मार्च 2021) के साथ सूचित किया गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (जुलाई 2017) को स्वीकार कर लिया।* हालांकि आगे के उत्तर प्रतीक्षित है।

इसके अलावा, उपर्युक्त चूकों से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों ने इन मामलों में उचित सावधानी नहीं बरती। इसलिए, मंत्रालय ऐसी चूकों के कारणों की जांच कर सकता है और उत्तरदायित्व तय करने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

4.2.3 कर और अधिभार आदि की गलत दरों का गलत अनुप्रयोग इत्यादि

लेखापरीक्षा में निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के अंतर्गत किए गए परिवर्धन से संबंधित कई मामलों पर ध्यान दिया गया, जो अधिनियम की धारा 115बीबीई के प्रावधानों को समाहित करते हैं। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देनदारी की गणना करते समय विभिन्न शुल्कों में इन परिवर्धन पर कर और अधिभार की

गलत दर लागू की। हमने 10 राज्यों में ₹ 61.54 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 25 मामलों का संज्ञान लिया। हम नीचे ऐसे नौ मामले प्रस्तुत कर रहे हैं:

अधिनियम की धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के प्रावधानों के अनुसार, बहियों में जमा कोई भी नकद राशि, अस्पष्टीकृत निवेश, पैसा, बुलियन, आभूषण, निवेश की राशि आदि लेखा की पुस्तकों में पूरी तरह से प्रकट नहीं की गई है, अस्पष्टीकृत व्यय और बैंक पर आहरित खाता आदाता चेक के अलावा हुंडी पर उधार ली गई या चुकाई गई राशि जो निर्धारिती प्रकृति के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है और इसके स्रोत को निर्धारिती की आय के लिए समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, (1961) की धारा 115 बीबीई के प्रावधानों में यह निर्धारित किया गया है कि, जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी या धारा 69डी में निर्दिष्ट कोई भी आय शामिल है, ऐसी आय पर देय आयकर की राशि की गणना साठ प्रतिशत की दर से की जाएगी। निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए लागू वित्त अधिनियम, 2016 में उक्त आयकर पर पच्चीस प्रतिशत की दर से अधिभार निर्धारित किया गया है।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी/सीआईटी केन्द्रीय-2, चेन्नई**
	निर्धारिती	**:**	**एसएएस**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में धारा 153सी के साथ पठित धारा 143 (3) के अंतर्गत ₹ 19.64 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए अप्रकटित आय के लिए ₹ 19.09 करोड़ जोड़े। तथापि, 60 *प्रतिशत*/25 *प्रतिशत* की निर्धारित दर के स्थान पर 30 प्रतिशत/शून्य की दर से गलत तरीके से कर/अधिभार लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.85 करोड़ के अधिभार सहित कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (अक्टूबर 2020) को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी/सीआईटी (केन्द्रीय-2), चेन्नई**
	निर्धारिती	**:**	**एसटीटी**
	स्थिति	**:**	**फर्म**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 153सी के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत ₹ 17.89 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम

रूप देते हुए अप्रकटित आय के लिए ₹ 17.89 करोड़ जोड़े। हालांकि, कर मांग की गणना करते समय, *60 प्रतिशत/25 प्रतिशत* की निर्धारित दर के बजाय *30 प्रतिशत/12 प्रतिशत* की दर से कर/अधिभार गलत तरीके से लगाया गया था। अधिभार सहित ₹ 7.63 करोड़ कर की कम लेवी आंकी गई। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (सितंबर 2020) को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी/सीआईटी (केंद्रीय), हैदराबाद**
	निर्धारिती	**:**	**मैसर्स एआर**
	स्थिति	**:**	**फर्म**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में धारा 143 (3) के अंतर्गत ₹ 12.97 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए अस्पष्टीकृत नकद जमा के कारण ₹ 12.97 करोड़ की वृद्धि की। हालांकि, अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित 60 प्रतिशत की लागू दर के बजाय कर की दर 30 प्रतिशत थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 6.93 करोड़ का कम कर लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (अगस्त 2020) को स्वीकार कर लिया और कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।* उपचारात्मक कार्रवाई पूरी होने की स्थिति की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2022)।

मामला IV	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल**
	निर्धारिती	**:**	**एनएम**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में अधिनियम की धारा 153ए के अंतर्गत ₹ 11.35 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए गलत तरीके से 60 *प्रतिशत* और 25 *प्रतिशत* की दर से ₹ 6.70 करोड़ के लेवी योग्य कर और ₹ 1.67 करोड़ के अधिभार के बजाय क्रमशः 30 *प्रतिशत* और 15 *प्रतिशत* की दर से ₹ 3.39 करोड़ का कर और ₹ 0.51 करोड़ का अधिभार

लगाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 5.58 करोड़ का कम कर लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (फरवरी 2021) को स्वीकार कर लिया और आईटी अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला V	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी/सीआईटी (केन्द्रीय-2), चेन्नई**
	निर्धारिती	**:**	**मैसर्स बीए**
	स्थिति	**:**	**फर्म**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत ₹ 11.08 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत अप्रकटित आय के लिए ₹ 11.08 करोड़ का इजाफा किया। तथापि, 60 *प्रतिशत*/25 *प्रतिशत* की निर्धारित दर के स्थान पर 30 *प्रतिशत*/12 *प्रतिशत* की दर से कर/अधिभार गलत तरीके से लगाया गया था। इस प्रकार, कर/ अधिभार की दर के गलत अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 4.72 करोड़ का कम कर लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (सितंबर 2020) को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* हालांकि, मांग के संग्रह की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला VI	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी/सीआईटी (केन्द्रीय-2), चेन्नई**
	निर्धारिती	**:**	**एनई**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 14.02 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए अप्रकटित आय के लिए ₹ 10.83 करोड़ जोड़े। तथापि, कर/अधिभार 60 *प्रतिशत*/25 *प्रतिशत* की लागू दरों के स्थान पर 30 *प्रतिशत*/15 *प्रतिशत* की सामान्य दरों पर गलत तरीके से लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 4.50 करोड़ का कम कर लगाया गया है। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण*

(फरवरी 2021) को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।

हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला VII	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल**
	निर्धारिती	**:**	**एलएसएम**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में ₹ 42.85 करोड़ की आय पर अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 153ए के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए 25 *प्रतिशत* की दर से ₹ 6.43 करोड़ के उद्ग्रहण योग्य अधिभार के बजाय 15 *प्रतिशत* की दर से ₹ 3.86 करोड़ का अधिभार लगाया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित अधिभार और उपकर की कुल ₹ 3.96 करोड़ की कमी हुई है। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (फरवरी 2021) को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला VIII	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी (केन्द्रीय-2), दिल्ली**
	निर्धारिती	**:**	**आरजी**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2011-12**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में अधिनियम की धारा 143(3)/147 के अंतर्गत ₹ 15.15 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए शेयरों की बिक्री से अर्जित एलटीसीजी की छूट के काल्पनिक दावे के कारण ₹ 14.97 करोड़ की वृद्धि की। तथापि, कर मांग की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 8.93 करोड़ पर 30 *प्रतिशत* की सामान्य दर से कर प्रभारित करने के बजाय 20 *प्रतिशत* की दर से ₹ 5.97 करोड़ की दर से कर लगाया, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.96 करोड़ का कम कर लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (जुलाई 2021) को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 154/143(3)/147 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला IX	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी/सीआईटी (केन्द्रीय), बैंगलोर**
	निर्धारिती	**:**	**एसएस**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18 और 2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए धारा 153सी के साथ पठित धारा 144 और निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए दिसंबर 2019 में क्रमशः ₹ 1.60 करोड़ और ₹ 2.14 करोड़ की आय पर 60 *प्रतिशत* की निर्धारित दर से कर और 25 *प्रतिशत* की दर से अधिभार नहीं लगाया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित कुल मिलाकर ₹ 2.92 करोड़ का कम कर लगाया गया है। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (अक्टूबर 2020) को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

इसके अलावा, उपर्युक्त चूकों से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों ने इन मामलों में उचित सावधानी नहीं बरती। इसलिए, मंत्रालय ऐसी चूकों के कारणों की जांच कर सकता है और उत्तरदायित्व तय करने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

4.2.4 ब्याज उद्ग्रहण में त्रुटियाँ

हमने 61 मामलों में ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियाँ देखीं जिनमें 12 राज्यों में ₹ 303.30 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हम अपनी अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो में ऐसी त्रुटियों को लगातार उजागर करते रहे हैं। जैसे, यह एक आवर्तक और अनवरत त्रुटि है। हम नीचे ऐसे 11 मामले प्रस्तुत कर रहे हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से चूक के लिए ब्याज लगाने का प्रावधान करता है। धारा 234ए निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समायावधि के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के कारण ब्याज लगाने का प्रावधान करती है। धारा 234बी निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण ब्याज लगाने का प्रावधान करती है। धारा 234सी निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समायावधि के लिए अग्रिम कर की किश्तों के भुगतान में चूक के कारण ब्याज लगाने का प्रावधान करती है

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी (छूट), चंडीगढ़**
	निर्धारिती	**:**	**मैसर्स आईकेजी**
	स्थिति	**:**	**कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2010-11**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत ₹ 151.99 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए धारा 234ए के अंतर्गत 79 माह के लिए ₹ 37.09 करोड़ के बजाय एक माह के लिए ₹ 0.47 करोड़ का ब्याज लगाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 36.62 करोड़ का कम ब्याज लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (नवंबर 2019) को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 154के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी/सीआईटी (केन्द्रीय), बैंगलोर**
	निर्धारिती	**:**	**मैसर्स आईआई**
	स्थिति	**:**	**फर्म**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए क्रमश: ₹ 3.08 करोड़, ₹ 32.69 करोड़ और ₹ 115.40 करोड़ की आय पर धारा 153ए के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत और निर्धारण वर्ष 2018-19 में दिसंबर 2019 में ₹ 34.78 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए, धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज नहीं लगाया। इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए, कर पर अधिभार असावधानी में 12 *प्रतिशत* के बजाय 10 *प्रतिशत* की दर से लगाया गया था। निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2018-19 के लिए ब्याज का गैर-उद्ग्रहण और निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए अधिभार के गलत उद्ग्रहण के परिणामस्वरूप ₹ 36.06 करोड़[75] के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (जुलाई 2022) को स्वीकार किया और सितंबर 2020 और जनवरी 2021 में अधिनियम की धारा*

75 अर्थात निर्धारण वर्ष 2015-16 ₹ 1.09 करोड़, निर्धारण वर्ष 2016-17 ₹ 9.30 करोड़, निर्धारण वर्ष 2017-18 ₹ 21.94 करोड़ और निर्धारण वर्ष 2018-19 ₹ 3.73 करोड़

154 के अंतर्गत सभी निर्धारण वर्ष के लिए त्रुटियों को सुधारा। तथापि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-28, मुंबई**
	निर्धारिती	**:**	**एसबीएस**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2010-11**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत ₹ 132.14 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, उक्त प्रावधान के अनुसार ₹ 36.33 करोड़ के बजाय ₹ 3.27 करोड़ की धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज लगाया। इसके परिणामस्वरूप धारा 234ए के अंतर्गत ₹ 33.06 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। लेखापरीक्षा प्रेक्षण विभाग को सूचित किया गया था (सितम्बर 2020) इसके बाद तथ्यों का विवरण (फरवरी 2021) जारी किया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (अगस्त 2021) तथा जून 2021 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।*

मामला IV	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी-2, राजकोट**
	निर्धारिती	**:**	**पीआरके**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2010-11**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में धारा 143(3) के अंतर्गत धारा 147 के साथ पठित निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए ₹ 154.95 करोड़ की आय पर धारा 234ए के अंतर्गत 76 माह के लिए ₹ 36.38 करोड़ के बजाय सात माह के लिए ₹ 3.35 करोड़ की राशि का ब्याज लगाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 33.03 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (अप्रैल 2022) को स्वीकार किया और जनवरी 2021 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला V	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, इंदौर**
	निर्धारिती	**:**	**मैसर्स जीएसएस**
	स्थिति	**:**	**न्यास**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2011-12**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत ₹ 235.40 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत ₹ 7.99 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 67.63 करोड़ के ब्याज के उद्ग्रहण के बजाय धारा 234बी के अंतर्गत गलत तरीके से ₹ 53.82 करोड़ का ब्याज लगाया। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 21.79 करोड़ के ब्याज का ग़ैर/कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (जनवरी 2022) को स्वीकार किया और अप्रैल 2021 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को ठीक किया।* हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला VI	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी, केन्द्रीय, कानपुर**
	निर्धारिती	**:**	**एसडब्ल्यू**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2007-08, 2008-09 और 2009-10**

निर्धारण अधिकारी ने अगस्त 2018 में धारा 144/147 के अंतर्गत क्रमशः ₹ 33.65 करोड़, ₹ 151.05 करोड़ और ₹ 356.01 करोड़ की आय पर धारा 234ए के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए निर्धारण वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिए क्रमश: ₹ 0.68 करोड़, ₹ 2.57 करोड़ और ₹ 15.73 करोड़ की सही राशि का उद्ग्रहण की बजाय क्रमशः ₹ 0.34 करोड़, ₹ 1.54 करोड़ और ₹ 3.63 करोड़ का ब्याज लगाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 13.47 करोड़ की धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज की कुल कम उगाही हुई। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (फरवरी 2021) तथा जनवरी 2021 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* तथापि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला VII	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-12, दिल्ली**
	निर्धारिती	**:**	**एमजीएस**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2010-11**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में अधिनियम की धारा 147/143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 47.58 करोड़ की आय पर ₹ 12.92 करोड़ की धारा 234ए(1) के अंतर्गत 88 माह के लिए ब्याज नहीं लगाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 12.92 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (अगस्त 2021) तथा अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* आगे, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला VIII	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी केन्द्रीय-1, दिल्ली**
	निर्धारिती	**:**	**वीएस**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2012-13 और 2013-14**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 153सी के अंतर्गत क्रमशः ₹ 26.03 करोड़ और ₹ 19.29 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, निर्धारण वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए धारा 234ए के अंतर्गत 88 माह और 77 माह के लिए क्रमश: ₹ 7.06 करोड़ और ₹ 4.57 करोड़ के बजाय प्रत्येक वर्ष में सात माह विलंब के लिए ₹ 0.56 करोड़ और ₹ 0.42 करोड़ का गलत तरीके से ब्याज वसूला गया। ब्याज की गणना में इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए ₹ 10.65 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (अगस्त 2021) तथा अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* इसके अतिरिक्त, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला IX	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-20, दिल्ली**
	निर्धारिती	**:**	**एसके**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2012-13**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत ₹ 29.05 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय 88 माह के लिए ₹ 7.89 करोड़ की धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज नहीं लगाया था। इसके अतिरिक्त, धारा 234बी के अंतर्गत 93 माह की अवधि के लिए ₹ 8.33 करोड़ का ब्याज लिया गया था, जिसके विरुद्ध निर्धारण अधिकारी ने केवल 77 माह के विलंब के लिए ₹ 6.90 करोड़ का ब्याज लगाया था। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 9.32 करोड़ का कम कर लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (नवंबर 2021) को स्वीकार कर लिया और सितंबर 2021 में अधिनियम की धारा 154/144/147 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* इसके अतिरिक्त, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला X	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी केन्द्रीय-1, दिल्ली**
	निर्धारिती	**:**	**एचआरके**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2011-12, 2012-13 और 2013-14**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 153 सी/144 के अंतर्गत क्रमशः ₹ 17.55 करोड़, ₹ 1.04 करोड़ और ₹ 19.70 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए धारा 234ए के अंतर्गत ₹ 0.81 करोड़, निर्धारण वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए 101 माह, 88 माह और 77 माह के लिए क्रमश: ₹ 5.46 करोड़, ₹ 0.27 करोड़ और ₹ 4.67 करोड़ के बजाय प्रत्येक निर्धारण वर्ष में 15 माह के लिए ₹ 0.05 करोड़ और ₹ 0.91 करोड़ गलत तरीके से ब्याज लगाया। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप इन निर्धारण वर्षों के लिए ₹ 8.64 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (मार्च 2021) को स्वीकार किया और फरवरी 2021 और मार्च 2021 में अधिनियम की धारा 153सी/144के*

साथ पठित सभी निर्धारण वर्ष के लिए त्रुटियों को सुधारा। आगे, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला XI	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-17, मुंबई**
	निर्धारिती	**:**	**एलएएच**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2009-10 और 2010-11**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत क्रमश: ₹ 12.72 करोड़ और ₹ 32.52 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय धारा 234ए के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए 89 माह के लिए ₹ 3.84 करोड़ और ₹ 7.73 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप धारा 234ए के अंतर्गत ₹ 11.57 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (जुलाई 2017) को स्वीकार कर लिया और जुलाई 2017 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* इसके अतिरिक्त, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

इसके अलावा, उपर्युक्त चूकों से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों ने इन मामलों में उचित सावधानी नहीं बरती। इसलिए, मंत्रालय ऐसी चूकों के कारणों की जांच कर सकता है और उत्तरदायित्व तय करने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

4.2.5 अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज

हमने एक राज्य में ₹ 5.28 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित प्रतिदाय पर अधिक या अनियमित प्रतिदाय/ब्याज से संबंधित दो मामलों पर ध्यान दिया। हम नीचे एक ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हैं:

अधिनियम की धारा 244ए में प्रावधान है कि जहां किसी भी राशि का प्रतिदाय निर्धारिती को देय हो जाती है, वह इस धारा के प्रावधानों के अधीन, उक्त राशि के अतिरिक्त, उस पर साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा। इस तरह के ब्याज की गणना प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर से की जाएगी, जिसमें अवधि शामिल है, (i) निर्धारण वर्ष के अप्रैल के 1 दिन से उस तिथि तक जिस पर प्रतिदाय दिया जाता है, यदि आय की रिटर्न धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे

पहले प्रस्तुत की गई है; या (ii) आय की रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि से उस तिथि तक जिस पर प्रतिदाय प्रदान की जाती है। सभी आयकर विवरणियों को संवीक्षा निर्धारण से पहले केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी), बेंगलुरु में धारा 143 (1) के अंतर्गत सरसरी तौर पर संसाधित किया जाता है। इस प्रकार, सारांश निर्धारण से संबंधित सभी डेटा सीधे आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग (आईटीबीए) में शामिल किए जाते हैं। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 234ए, 234बी, 234सी और 244ए के अंतर्गत ब्याज के संशोधनों के सम्बन्ध में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 से आईटीबीए मॉड्यूल को अपनाया, जैसा कि पहले के सॉफ्टवेयर अर्थात् एएसटी में प्रचलित था। संवीक्षा मामलों के सम्बन्ध में निर्धारण आदेश को संसाधित करने, सुधारने, पूरा करने का कार्य आईटीबीए मॉड्यूल में निर्धारण अधिकारी (नि.अ.) द्वारा सीपीसी से हस्तांतरित सभी विवरणियों के लिए किया जाता है। आईटीबीए, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर की गणना और ब्याज की गणना के निर्धारण कार्य करता है। क्षेत्रीय कार्यालयों में संवीक्षा निर्धारण, सुधार, अपील प्रभाव आदेशों के मामले में, आदेशों के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा सिस्टम को आंकड़े दिए जाते हैं। जब नए आंकड़े परिवर्धन के अंतर्गत आय के विभिन्न शीर्षों में दर्ज किए जाते हैं, तो सिस्टम के माध्यम से अंतिम मांग के लिए गणना पत्र उत्पन्न होता है।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी (छूट), दिल्ली**
	निर्धारिती	**:**	**एनएचए**
	स्थिति	**:**	**न्यास**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 'शून्य' की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, धारा 244ए के अंतर्गत 33 माह के लिए ₹ 16.90 करोड़ के बजाय 24 माह के लिए ₹ 12.29 करोड़ पर ब्याज की गणना की। इस अशुद्धि के परिणामस्वरूप ₹ 4.61 करोड़ के ब्याज का कम भुगतान हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2021) तथा अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* आगे, ब्याज के भुगतान की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त त्रुटियाँ यह दर्शाती हैं कि सम्बन्धित अधिकारियों ने इर मामलों में उचित तत्परता नहीं दिखाई है। इसलिए, मंत्रालय ऐसी त्रुटियों के कारणों की जाँच कर सकता है और जवाबदेही तय करने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों के दोहराव को रोका जा सके।

4.2.6 अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारण में त्रुटियाँ

हमने एक राज्य में ₹ 4.56 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित एक मामले में अपीलीय आदेश को प्रभावी करते समय निर्धारण में त्रुटि देखी। हम नीचे उदाहरण पेश कर रहे हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 254 में प्रावधान है कि अपीलीय अधिकरण अपील करने वाले दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग की मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर (वॉल्यूम II, टेक्निकल) के अध्याय 18 के पैरा 24.1 में प्रावधान है कि कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में अपीलीय आदेश प्राप्त होने पर, आदेश की दृष्टि में निर्धारण को संशोधित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) में प्रावधान है कि धारा 28 में निर्दिष्ट आय की गणना में, अनुसूचित बैंक या गैर-अनुसूचित बैंक द्वारा किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किसी प्रावधान के सम्बन्ध में कटौती बैंक या एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अतिरिक्त एक सहकारी बैंक, कुल आय के साढ़े सात प्रतिशत से अधिक नहीं (इस खंड और अध्याय VIए के अंतर्गत कोई कटौती करने से पहले गणना की गई) और निर्धारित तरीके से गणना किए गए ऐसे बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिम के दस प्रतिशत से अधिक की राशि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी/सीआईटी-8, चेन्नई**
	निर्धारिती	**:**	**मैसर्स टीटीडी**
	स्थिति	**:**	**न्यास**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने सितंबर 2017 में अधिनियम की धारा 250 (6) के अंतर्गत अपीलीय आदेश को प्रभावी करते हुए, त्रुटि से खराब और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए ₹ 20 करोड़ की कटौती के बजाय ₹ 33.42 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। ₹ 13.42 करोड़ की इस अतिरिक्त कटौती के परिणामस्वरूप ₹ 4.56 करोड़ के कर प्रभाव के साथ आय का निर्धारण कम हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (नवंबर 2018) को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा। इसके अतिरिक्त, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।*

इसके अलावा, उपर्युक्त चूकों से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों ने इन मामलों में उचित सावधानी नहीं बरती। इसलिए, मंत्रालय ऐसी चूकों के कारणों की जांच कर सकता है और उत्तरदायित्व तय करने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रबंध

4.3.1 अधिनियम निर्धारिती को अध्याय VI-ए के अंतर्गत कुल आय की गणना करने और इसके प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत व्यय की कुछ श्रेणियों के लिए छूट/छूट/कटौती की अनुमति देता है। हमने देखा कि कुछ मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने अपात्र लाभार्थियों को कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभों को अनियमित रूप से बढ़ाया था। नीचे दी गई तालिका 4.2 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिन्होंने कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंध को प्रभावित किया है।

तालिका 4.2: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंध के अंतर्गत त्रुटियों की उप-श्रेणियां

उप श्रेणियां		संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	राज्य
क.	व्यक्तियों को दी जाने वाली अनियमित छूट/कटौती/ राहत	3	1.33	महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
ख.	एओपी/फर्मों/सोसाइटियों/ट्रस्टों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	4	14.73	केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान
सी.	व्यापार व्यय का गलत अनुमति	7	9.33	असम, झारखंड, महाराष्ट्र और पंजाब
ग.	मूल्यह्रास/व्यापार हानियों/पूंजीगत हानियों की अनुमति देने में अनियमितताएं	3	2.32	असम और गुजरात
कुल		**17**	**27.71**	

4.3.2 व्यक्तियों को दी जाने वाली अनियमित छूट/कटौती/राहत

हमने दो राज्यों में ₹ 1.32 करोड़ के कर प्रभाव वाले तीन मामलों में व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत को देखा। हम नीचे एक ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 80एसी यह निर्धारित करती है कि जहां पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय की गणना अप्रैल, 2006 के 1 दिन या किसी से शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष से संबंधित है; बाद के निर्धारण वर्ष में, धारा 80-आईए या धारा 80-आईबी या धारा 80-आईसी के अंतर्गत कोई भी कटौती स्वीकार्य है, उसे इस तरह की कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह आईटी अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए अपनी आय का रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है।

आयकर अधिनियम की धारा 80-आईबी बुनियादी ढांचा विकास उपक्रमों के अतिरिक्त कुछ औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और लाभ के सम्बन्ध में कटौती से संबंधित है। जहां एक निर्धारिती की सकल कुल आय में किसी भी पात्र व्यवसाय से प्राप्त कोई भी लाभ और लाभ शामिल है, ऐसे लाभ और लाभ से इस तरह के प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती और निर्धारिती की कुल आय की गणना में निर्दिष्ट निर्धारण वर्षों की इतनी संख्या के लिए अनुमति दी जाएगी।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-4, पुणे**
	निर्धारिती	**:**	**एसबीपी**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण ने दिसंबर 2016 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 1.04 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, धारा 80-Iबी के कारण ₹ 0.79 करोड़ की कटौती की गलत तरीके से अनुमति दी क्योंकि निर्धारिती ने नियत तिथि को या उससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था, इस प्रकार अधिनियम की धारा 80 एसी के प्रावधानों का उल्लंघन किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 0.37 करोड़ के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 0.79 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (दिसम्बर 2019) और कहा कि अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।*

4.3.3 एओपी/फर्मों/सोसाइटियों/ट्रस्टों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत

हमने तीन राज्यों में ₹ 14.73 करोड़ के कर प्रभाव वाले चार मामलों में एओपी/फर्मों/ सोसाइटियों/ट्रस्टों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत देखी। हम नीचे ऐसे दो उदाहरणात्मक मामले पेश कर रहे हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 80-Iसी(2)(बी)(ii) निर्धारित करती है कि विशेष श्रेणी के राज्यों के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित एक उपक्रम के मामले में कटौती की राशि जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल (उत्तराखंड) शामिल हैं, प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से शुरू होने वाले पांच निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे उपक्रम से प्राप्त लाभ और लाभ का 100 प्रतिशत होगा और उसके बाद ऐसे उपक्रम से प्राप्त लाभ और लाभ का पच्चीस प्रतिशत होगा जो निर्दिष्ट वस्तु या विषय का निर्माण या उत्पादन करता है। 14वीं अनुसूची में, सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80पी(2)(डी) के प्रावधानों के अंतर्गत, जहां, एक निर्धारिती के एक सहकारी समिति होने के मामले में, सकल कुल आय में कंपनी द्वारा प्राप्त ब्याज या लाभांश के रूप में कोई भी आय शामिल है। किसी अन्य सहकारी समिति के साथ अपने निवेश से सहकारी समिति, निर्धारिती की कुल आय की गणना में, ऐसी पूरी आय कटौती की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 80पी की उप-धारा 4 के अनुसार, इस धारा के प्रावधान प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अतिरिक्त किसी भी सहकारी बैंक के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-2, ठाणे**
	निर्धारिती	**:**	**आरआई**
	स्थिति	**:**	**फर्म**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए धारा 80-आईसी(2)(बी)(ii) के अंतर्गत 14वीं अनुसूची[76] में निर्दिष्ट विनिर्माण उत्पादों के आधार पर ₹ 29.10 करोड़ की कटौती की अनुमति दी थी। इकाई के रूप में अधिनियम हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित था। यह अधिनियम की संबंधित धारा के उल्लंघन में था क्योंकि निर्मित उत्पाद हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में अधिनियम की 14वीं अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं थे। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 29.10 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 13.16 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (फरवरी 2021) और कहा कि दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।* हालांकि, उपचारात्मक कार्रवाई के पूरा होने की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

76 14वीं अनुसूची में हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल (उत्तराखंड) राज्यों के लिए आवश्यक तेलों और सुगंधित यौगिकों का निर्माण शामिल नहीं है।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी, उदयपुर**
	निर्धारिती	**:**	**मैसर्स यूएसयू**
	स्थिति	**:**	**व्यक्तियों का संघ (एओपी)**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 2.09 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए और जनवरी 2020 में धारा 154 के अंतर्गत ₹ 1.99 करोड़ की आय पर सुधार करते हुए, सहकारी बैंकों के साथ निवेश से सावधि जमा प्राप्तियों पर अर्जित ब्याज आय के कारण ₹ 2.44 करोड़ की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती की अनुचित अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.10 करोड़ के कर प्रभाव के साथ ₹ 2.44 करोड़ की कटौती का अनियमित अनुमति मिला। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (सितंबर 2021) को स्वीकार कर लिया और कहा कि अक्टूबर 2021 में अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी।* हालांकि, उपचारात्मक कार्रवाई पूरी होने की स्थिति (जुलाई 2022) की प्रतीक्षित थी।

4.3.4 व्यावसायिक व्यय का गलत अनुमति

चार राज्यों में ₹ 9.33 करोड़ के कर प्रभाव वाले सात मामलों में व्यावसायिक व्यय की गलत अनुमति देखी। हम नीचे ऐसे चार मामले प्रस्तुत कर रहे हैं:

अधिनियम की धारा 37(1) के प्रावधानों के अनुसार, कोई व्यय (धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति का व्यय नहीं है और निर्धारिती के पूंजीगत व्यय या व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति में नहीं है), पूरी तरह से निर्धारित या व्यय किया गया और विशेष रूप से व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए, "व्यवसाय या पेशे के लाभ और अधिलाभ" शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-2, पुणे**
	निर्धारिती	**:**	**डीएसके**
	स्थिति	**:**	**फर्म**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 1.22 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए बड़ी अनाधिकृत जमाराशियों को प्राप्त करने पर किए गए वित्तीय प्रभारों के कारण ₹ 17.93 करोड़ के व्यय की गलत[77] अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.10 करोड़ के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ आय का कम निर्धारण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (अप्रैल 2021) और कहा कि अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।* तथापि, उपचारात्मक कार्रवाई के पूरा होने की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी, फरीदाबाद**
	निर्धारिती	**:**	**केएस**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2017 में अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 0.17 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए निर्धारिती द्वारा दावा किए गए भाड़ा प्रभारों में पहले से ही शामिल डीजल व्ययों के कारण ₹ 2.91 करोड़ की गलत तरीके से कटौती की अनुमति थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप निर्धारिती द्वारा वहन की गई स्वीकार्य राशि का दोगुना अनियमित अनुमति दिया गया। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.91 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 1.33 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (जुलाई 2022) को स्वीकार किया और मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* तथापि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी, रोहतक**
	निर्धारिती	**:**	**एनजी**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2013-14**

77 एक अनिगमित फर्म होने के कारण निर्धारिती जनता से बड़ी जमा राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं था। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 37(1) के अनुसार, ऐसी जमाराशियों को प्राप्त करने पर किए गए वित्तीय प्रभारों को अस्वीकार किया जाना था।

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2015 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 0.11 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय प्रवेश कर के कारण ₹ 1.48 करोड़ के व्यय की गलत अनुमति दी, जो निर्धारिती द्वारा व्यय नहीं किया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 0.67 करोड़ के कम कर के साथ आय का उसी सीमा तक कम निर्धारण किया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (अक्टूबर 2019) को स्वीकार कर लिया और मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की।* हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला IV	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी, रांची**
	निर्धारिती	**:**	**एसआरटी**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2012-13**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2015 में अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 0.31 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, उक्त व्यय के समर्थन में किसी भी पुष्टिकारक साक्ष्य के बिना लाभ और हानि लेखा के अंतर्गत डेबिट किए गए ₹ 0.52 करोड़ के भूमि व्यय की अनुमति दी। इसे अस्वीकृत किया जाना आवश्यक था, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 0.24 करोड़ के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ आय की कम गणना हुई। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (अक्टूबर 2019) तथा अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* तथापि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

4.3.5 मूल्यह्रास/व्यापार हानियों/पूंजीगत हानियों की अनुमति देने में अनियमितताएं

दो राज्यों में ₹ 2.32 करोड़ के कर प्रभाव वाले तीन मामलों में मूल्यह्रास/व्यापार हानि/पूंजीगत हानियों की अनुमति देने में अनियमितताएं देखीं। हम नीचे ऐसे दो मामले प्रस्तुत कर रहे हैं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32(1)(ii) के अनुसार, ज्ञान, पेटेंट, कॉपी राइट्स, ट्रेड मार्क, लाइसेंस, फ्रैंचाइजी या समान प्रकृति के किसी भी अन्य व्यवसाय या वाणिज्यिक अधिकारों पर मूल्यह्रास, अमूर्त संपत्ति होने के नाते या 1 अप्रैल 1998 के बाद आयकर नियमों के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार स्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, यूनाइटेड

ब्रुअरीज लिमिटेड बनाम डीसीआईटी, बैंगलोर दिनांक 30/09/2016 के मामले में निर्णय के अनुसार निर्धारिती के लिए मूल्यह्रास का दावा अधिनियम की धारा 32(1) के 5वें प्रावधान के अधीन है। समामेलन के अंतर्गत साख पर मूल्यह्रास स्वीकार्य नहीं था।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	:	**प्र. सीआईटी-1, अहमदाबाद**
	निर्धारिती	:	**डब्ल्यूपीडब्ल्यू**
	स्थिति	:	**फर्म**
	निर्धारण वर्ष	:	**2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में ₹ 'शून्य' की आय पर धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए त्रुटि से साख पर मूल्यह्रास के कारण निर्धारिती को ₹ 2.46 करोड़ के दावे की अनुमति दी, जो समामेलन के कारण बनाया गया था। यह साख निर्धारिती द्वारा समामेलन कंपनी के शेयरधारक को भुगतान किए गए अतिरिक्त विचार से बनाई गई थी। साख पर मूल्यह्रास का यह अनुमति धारा के अनुसार अनियमित था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप आय का कम निर्धारण हुआ है और परिणामस्वरूप ₹ 1.13 करोड़ का कर कम लगाया गया है। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (नवंबर 2021) को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* सुधार आदेश के सत्यापन पर यह पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने ₹ 2.46 करोड़ के बजाय ₹ 0.09 करोड़ के मूल्यह्रास को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ का शेष कर प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	:	**प्र. सीआईटी-2, गुवाहाटी**
	निर्धारिती	:	**एसआरजी**
	स्थिति	:	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	:	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 0.58 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय गलत तरीके से ₹ 0.51 करोड़ के व्यापार हानि {वायदा (डेरिवेटिव) में व्यापार से हानि} को आगे ले जाने की अनुमति दी क्योंकि निर्धारिती ने विवरण दाखिल किया था। नियत तिथि के बाद। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 0.14 करोड़ के संभावित

कर से संबंधित हानि का गलत अग्रेषण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (मार्च 2021) तथा अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* तथापि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

4.4 त्रुटियों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय

4.4.1 अधिनियम–प्रावधान करता है कि किसी भी पिछले वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय में किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी आय शामिल होगी, वास्तव में प्राप्त या अर्जित समझी जाएगी। हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने कुल आय का निर्धारण नहीं किया था या कम निर्धारित किया था जिसे कर के लिए पेश किया जाना आवश्यक था। नीचे दी गई तालिका 4.3 उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप आय से बचने का निर्धारण किया गया है।

तालिका 4.3: त्रुटियों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय के अंतर्गत त्रुटियों की उप-श्रेणियां

उप श्रेणियां	संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	राज्य
क. पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	03	4.87	गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना
ख. एएमटी सहित विशेष प्रावधानों के अंतर्गत	02	5.36	कर्नाटक
ग. आय की गलत गणना	11	37.18	गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश
घ. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक	01	0.33	झारखंड
ङ. अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट	01	0.74	महाराष्ट्र
कुल	**18**	**48.48**	

4.4.2 पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना

हमने तीन राज्यों में ₹ 4.87 करोड़ के कर प्रभाव वाले तीन मामलों में पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना देखी। हम नीचे तीन मामले प्रस्तुत कर रहे हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के अनुसार, "पूंजीगत लाभ" मद के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना राशियों को घटाकर की जाएगी, अर्थात् (i) इस तरह के हस्तांतरण के सम्बन्ध में पूर्ण और विशेष रूप से किए गए व्यय और (ii) लागत पूंजीगत संपत्ति के

हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित होने वाले प्रतिफल के पूर्ण मूल्य से परिसंपत्ति के अधिग्रहण और उसमें किसी भी सुधार की लागत। इसके अतिरिक्त, केवल लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के मामले में धारा 54 के अंतर्गत छूट स्वीकार्य है।

आयकर अधिनियम की धारा 2(14)/2(29ए')/2(42ए) के अनुसार, हस्तांतरण की तिथि से तुरंत पहले 36 माह से अधिक के लिए रखी गई अचल संपत्ति को अल्पकालिक पूंजीगत संपत्ति माना जाएगा, जबकि, हस्तांतरण की तिथि से ठीक पहले 36 माह से अधिक समय तक धारित अचल संपत्ति को दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति के रूप में माना जाता है।

आईटी अधिनियम की धारा 54, "निवास के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति की बिक्री पर लाभ" के बारे में बताती है कि जहां, एक निर्धारिती के एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार होने के मामले में, पूंजीगत लाभ एक लंबी अवधि के हस्तांतरण से उत्पन्न होता है। पूंजीगत संपत्ति, भवन या भूमि के साथ संलग्न होने के नाते, और एक आवासीय घर होने के नाते, जिसकी आय "गृह संपत्ति से आय" के अंतर्गत प्रभार्य है, और निर्धारिती के पास एक वर्ष की अवधि के भीतर, या दो वर्ष बाद जिस तिथि को हस्तांतरण हुआ था, खरीदा गया था, या उस तिथि के बाद तीन वर्ष की अवधि के भीतर, भारत में एक आवासीय घर निर्मित किया गया है, तो पूंजीगत लाभ (नए आवासीय घर की लागत की सीमा तक) प्रभार नहीं किया जाएगा।

मामला ।	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, ठाणे**
	निर्धारिती	**:**	**एसजेपी**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2011-12**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत ₹ 4.79 करोड़ की आय पर निर्धारण पूरा करते हुए, 36 माह के भीतर अधिग्रहित और बेची गई संपत्ति के विकास अधिकारों के कारण अल्पकालिक पूंजीगत लाभ को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में गलत तरीके से माना। यह कर गलत तरीके से 30 *प्रतिशत* के बजाय 20 *प्रतिशत* लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 234ए के अंतर्गत ₹ 1.23 करोड़ के ब्याज के साथ ₹ 0.47 करोड़ का कम कर लगाया गया था, जो कुल मिलाकर ₹ 1.70 करोड़ था। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (अप्रैल 2021) को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* इसके अतिरिक्त, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित (जुलाई 2022) थी।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-3, राजकोट**
	निर्धारिती	**:**	**एमडीबी**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 0.02 करोड़ की आय पर निर्धारण पूरा करते हुए गैर-कृषि भूमि के बजाय कृषि भूमि के रूप में अचल संपत्तियों की बिक्री पर विचार करके ₹ 3.52 करोड़ पर पूंजीगत लाभ कर नहीं लगाया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.59 करोड़ का कम कर लगाने सहित ₹ 3.52 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण (अक्टूबर 2019) को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143 (3) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई* की। इसके अतिरिक्त, मांग के संग्रह की स्थिति प्रतीक्षित (जुलाई 2022) थी।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, विशाखापत्तनम**
	निर्धारिती	**:**	**एमवी**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2011-12**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत ₹ 0.89 करोड़ की आय पर निर्धारण को समाप्त करते हुए अधिनियम की धारा 48 और 54 के अंतर्गत एक अचल संपत्ति की बिक्री के कारण गलत तरीके से कटौती की अनुमति दी, जिस पर होल्डिंग की अवधि तीन वर्ष से कम थी, लेकिन लेनदेन को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के बजाय दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में माना। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.58 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण के साथ पूंजीगत लाभ का ₹ 2.41 करोड़ का संक्षिप्त निर्धारण हुआ। विभाग ने तथ्यों और आंकड़ों (फरवरी 2021) की पुष्टि की। हालांकि, की गई उपचारात्मक कार्रवाई की स्थिति प्रतीक्षित (जुलाई 2022) थी।

4.4.3 एएमटी सहित विशेष प्रावधानों के अंतर्गत

हमने दो मामलों में एएमटी प्रावधान में अनियमितताएं देखीं, जिनमें एक राज्य में ₹ 5.36 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। नीचे एक निदर्शी मामला दिया गया है:

आयकर अधिनियम में सभी करदाताओं द्वारा बही लाभ 18.5 प्रतिशत पर न्यूनतम कर के भुगतान की परिकल्पना की गई है, भले ही अधिनियम के अनुसार विभिन्न कटौतियों का लाभ उठाने के कारण सामान्य प्रावधान के अंतर्गत उनकी कर देनदारी निर्धारित सीमा से कम हो। धारा 115जेडी(5) में प्रावधान है कि बही लाभ पर भुगतान किए गए अतिरिक्त कर को नियमित आयकर और वैकल्पिक न्यूनतम कर के बीच अंतर की सीमा तक बाद के वर्षों में सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले कर के लिए समंजन करने की अनुमति दी जा सकती है।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी/सीआईटी सेंट्रल, बैंगलोर**
	निर्धारिती	**:**	**जीई**
	स्थिति	**:**	**फर्म**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2016-17 और 2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 25.47 करोड़ और ₹ 10.99 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए गलत समायोजित कुल आय (एएमटी प्रावधान के अंतर्गत) को क्रमशः ₹ 38.51 करोड़ और ₹ 15.51 करोड़ के बजाय ₹ 22.06 करोड़ और ₹ 14.00 करोड़ अपनाया और धारा 80-आईबी के[78] अंतर्गत ₹ 13.04 करोड़ और ₹ 4.50 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। समायोजित कुल आय को अपनाने में इस त्रुटि के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर ₹ 5.08 करोड़ का कर लगाया गया। उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

4.4.4 आय की गलत गणना

हमने छह राज्यों में ₹ 37.18 करोड़ के कर प्रभाव वाले 11 मामलों में आय की गलत गणना देखी। नीचे तीन निदर्शी मामले दिए गए है:

---

78 आयकर अधिनियम की धारा 80-आईबी अवसरंचना विकास उपक्रमों के अलावा कुछ औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और प्राप्तियों के सम्बन्ध में कटौती से संबंधित है। निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कटौती के रूप में दर्शाई जाने वाली राशि को समायोजित किए बिना समायोजित कुल आय को अपनाया।

आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत, एक संवीक्षा निर्धारण में, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना आवश्यक है और इस तरह के निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा देय या निर्धारिती को प्रतिदाय योग्य सही राशि निर्धारित करना आवश्यक है। इसके अलावा, सीबीडीटी ने समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं कि कर योग्य आय और कर की गणना में गलतियां नहीं होनी चाहिए।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-29, मुंबई**
	निर्धारिती	**:**	**वाईपीवाई**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2009-10**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में ₹ 0.07 करोड़ की आय पर धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत पुन: निर्धारण को अंतिम रूप देते समय माल की फर्जी खरीद के कारण ₹ 27.35 करोड़ की वृद्धि नहीं की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत क्रमश: ₹ 9.27 करोड़ का कर और ₹ 8.25 करोड़ तथा ₹ 8.62 करोड़ का ब्याज कम वसूलने के साथ ₹ 27.28 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार कर लिया (दिसंबर 2019) और अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की।* हालांकि, उपचारात्मक कार्रवाई पूरी होने की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी, शिमला**
	निर्धारिती	**:**	**एकेसी**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2016 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 0.76 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, निवल संविदात्मक प्राप्तियों में मिलान में अंतर के आधार पर ₹ 1.73 करोड़ की आय पर कर नहीं लगाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 0.78 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 1.73 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया(नवंबर 2018) और धारा 147 के साथ पठित*

धारा 144 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की, जिसके प्रति निर्धारिती ने ₹ 0.31 करोड़ की राशि जमा की। इसके अलावा, शेष मांग के संग्रह की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी, रांची**
	निर्धारिती	**:**	**एसकेएस**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2012-13**

निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2015 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 0.12 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण वर्ष 2011-12 और निर्धारण वर्ष 2012-13 की तुलन पत्र में देनदारियों के अंतर्गत 'पार्टी से अग्रिम' में मिलान अंतर के आधार पर ₹ 1.63 करोड़ की आय पर कर नहीं लगाया था। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 0.68 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 1.63 करोड़ की आय की कम गणना हुई। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (नवंबर 2019) और धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की।* इसके अलावा, मांग के संग्रह की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

4.4.5 टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक

हमने एक मामले में टीडीएस के प्रावधान को कार्यान्वित करने में चूक देखी, जिसमें एक राज्य में ₹ 0.33 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194सी में प्रावधान है कि संविदाकार और विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बीच संविदा के अनुसरण में किसी भी कार्य को करने के लिए किसी निवासी संविदाकार को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई भी व्यक्ति, उसके भुगतान के समय, एक प्रतिशत के बराबर राशि काट लेगा जहां भुगतान किया जा रहा है या किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को क्रेडिट दिया जा रहा है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 40(ए)(आईए) में प्रावधान है कि यदि कर कटौती नहीं की गई है या कटौती के बाद भुगतान नहीं किया गया है, तो भुगतान को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	:	**प्र. सीआईटी, रांची**
	निर्धारिती	:	**बीकेएस**
	स्थिति	:	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	:	**2012-13**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2015 में ₹ 0.52 करोड़ की आय पर धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारिती द्वारा प्राप्त संविदा भुगतान के आधार पर ₹ 0.97 करोड़ की वृद्धि नहीं की, जिस पर स्रोत पर कर नहीं काटा गया था। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 0.33 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 0.97 करोड़ की आय की कम गणना हुई। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मई 2017) और नवंबर 2019 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई पूरी की।* इसके अलावा, मांग के संग्रह की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

4.4.6 लेखांकन से बाहर निवेश/नकद क्रेडिट

हमने एक मामले में बेहिसाबी निवेश/नकद क्रेडिट देखा, जिसमें एक राज्य में ₹ 0.74 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 69 में यह निर्धारित किया गया है कि जहां निर्धारण वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में निर्धारिती ने निवेश किया है जो आय के किसी भी स्रोत के लिए उसके द्वारा बनाई गई लेखाबहियों में दर्ज नहीं किया गया है और निर्धारिती निवेश की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में, संतोषजनक नहीं है, निवेश का मूल्य ऐसे वित्तीय वर्ष के निर्धारिती की आय माना जाएं।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	:	**प्र. सीआईटी-4, पुणे**
	निर्धारिती	:	**आरकेएम**
	स्थिति	:	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	:	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में ₹ 0.41 करोड़ की आय पर धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, निर्धारिती द्वारा बिना किसी स्रोत या स्पष्टीकरण के पूंजी लगाने के आधार पर ₹ 1.64 करोड़ की वृद्धि नहीं की, जिसे अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत कर के दायरे में लाया जाना आवश्यक था। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 0.74 करोड़ के कम कर उद्ग्रहण के साथ ₹ 1.64 करोड़ की आय की कम गणना हुई। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (अगस्त 2019) को स्वीकार कर लिया और दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा।* इसके अलावा, मांग के संग्रह की स्थिति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2022)।

4.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

4.5.1 हमने दिल्ली, गुजरात और तेलंगाना में ₹ 110.13 करोड़ के कर/ब्याज के अधिक प्रभार से जुड़े पांच मामलों में आय का अधिक निर्धारण पाया। नीचे दो निदर्शी मामले दिए गए है।

धारा 143 (3) में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना और जैसा भी मामला हो, कर या प्रतिदाय की सही राशि निर्धारित करना आवश्यक है।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, अहमदाबाद**
	निर्धारिती	**:**	**जेडीजे**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2019 में ₹ 12.21 करोड़ की आय पर धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए बैंक और अन्य क्रेडिट में नकद जमा के आधार पर ब्याज सहित ₹ 15.10 करोड़ के कर के बजाय गलती से ब्याज सहित ₹ 22.01 करोड़ का कर लगा दिया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 6.91 करोड़ का अधिक कर लगाया गया। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (मई 2022) को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधारा (जुलाई 2020)।*

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी (छूट), भुवनेश्वर**
	निर्धारिती	**:**	**डीआरआई**
	स्थिति	**:**	**व्यक्तियों का संघ (ए.ओ.पी.)**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने अगस्त 2019 में ₹ 'शून्य' आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए गणना पत्रक में त्रुटि से ₹ 200.38 करोड़ की आय की गणना की और ₹ 0.01 करोड़ के प्रतिदाय के बजाय ₹ 95.85 करोड़ की मांग की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 95.86 करोड़ की अधिक मांग हुई। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2021) और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को ठीक किया (फरवरी 2021)।*

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर के अधिक निर्धारण का पता नहीं लगाना न केवल कर की गणना करते समय सही जानकारी प्रस्तुत करने में आयकर विभाग की विफलता की ओर इशारा करता है, बल्कि ईमानदार करदाता और उसके परिवार के लिए काफी परेशानियों का कारण बनता है।

सिफारिशें

(i) ***कर और अधिभार की गलत दरों को लागू करना, ब्याज उद्ग्रहण में त्रुटियां, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं जिनका समाधान किया जाना आवश्यकता है।***

(ii) ***यद्यपि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में सुधार कार्य शुरू करने के लिए कार्रवाई की है, यह उल्लेख किया जा सकता है कि ये केवल लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए कुछ निदर्शी मामले हैं। गैर-संवीक्षा निर्धारणों सहित सभी निर्धारणों की पूरी संसृति में, चूक या कमीशन की ऐसी त्रुटियों से इनकार नहीं किया जा सकता है। सीबीडीटी को न केवल अपने निर्धारणों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक सुदृढ़ आईटी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी स्थापित करने की आवश्यकता है।***

(iii) *सीबीडीटी इस बात की जांच कर सकता है कि क्या 'त्रुटियों' के मामले चूक या भूल की त्रुटियां हैं और यदि ये भूल की त्रुटियां हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार, जवाबदेही तय करने सहित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, जहां लेखापरीक्षा द्वारा स्पष्ट गलतियों को इंगित किया गया है।*

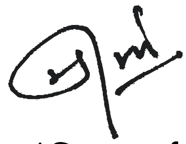

नई दिल्ली — **(मोनिका वर्मा)**

दिनांक: 08 दिसम्बर 2022 — **महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर-I)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली — **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक: 12 दिसम्बर 2022 — **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट- 1.1 (संदर्भ-पैराग्राफ 1.13.2)

पहचानविहीन निर्धारण योजना सदस्य (प्रशासन और पहचानविहीन योजना) के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य करती है। योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारण कार्यवाही के कार्यात्मक ढांचे को बदल दिया गया है। पहचानविहीन योजना की शुरूआत के कारण, दिल्ली में प्र. सीसीआईटी (एनएएफएसी) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र (एनएएफएसी) स्थापित किया गया है। इसके अलावा, देश में 20 स्थानों पर क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र (आरईएसी) स्थापित किए गए हैं। इनमें से प्रत्येक आरईएसी की अध्यक्षता सीसीआईटी (आरईएफएसी) द्वारा की जाती है। कार्यभार के आधार पर पहचानविहीन निर्धारण को पूरा करने के लिए प्रत्येक आरईएसी में निम्नलिखित इकाइयाँ भी स्थापित की गई हैं

i. क्षेत्रीय ई-पहचान विहीन निर्धारण केंद्र (निर्धारण इकाइयाँ) *[आरईएफएसी (एयू),*
ii. क्षेत्रीय ई-पहचान विहीन निर्धारण केंद्र (सत्यापन इकाइयाँ) *[आरईएफएसी (वीयू)],*
iii. क्षेत्रीय ई-पहचान विहीन निर्धारण केंद्र (समीक्षा इकाइयाँ) *[आरईएफएसी (आरयू)]* और
iv. कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में क्षेत्रीय ई-पहचान विहीन निर्धारण केंद्र (तकनीकी इकाइयाँ) *[आरईएफएसी (टीयू)]*

इनमें से प्रत्येक इकाई का नेतृत्व प्र.सीआईटी (आरईएफएसी) (एयू)/प्र.सीआईटी (आरईएफएसी) (वीयू)/प्र.सीआईटी (आरईएफएसी) (आरयू)/प्र.सीआईटी (आरईएफएसी) (टीयू) द्वारा किया जाता है।

पहचानविहीन निर्धारण योजना 2019 के प्रयोजनों के लिए, विभिन्न इकाइयों की स्थापना[79] [पहचानविहीन निर्धारण (प्रथम संशोधन) योजना, 2021 के रूप में संशोधित] और उनके कार्यों के बारे में नीचे बताया गया है:

79 जैसा कि अधिसूचना संख्या 61/2019/एफ संख्या 370149/154/2019-टीपीएल दिनांक 12 सितंबर 2019 के माध्यम से प्रमुख पहचानविहीन निर्धारण योजना में अधिसूचित किया गया है,

(i) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र[80] (एनएएफएसी)

केंद्रीकृत तरीके से ई-निर्धारण कार्यवाही के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए एनएएफएसी की स्थापना की गई है। यह संबंधित निर्धारितियों को नोटिस प्रदान करता है और इस योजना के अंतर्गत ई-निर्धारण के प्रयोजनों के लिए चुने गए मामलों को स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्रों में से किसी एक में विशिष्ट निर्धारण इकाइयों को सौंपा जाता है। तत्पश्चात, संबंधित निर्धारण इकाइयों से मसौदा निर्धारण आदेश प्राप्त होने पर निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है। निर्धारण पूरा होने के बाद, यह मामले के सभी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, उक्त मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निर्धारण अधिकारी को अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई के लिए हस्तांतरित करता है।

(ii) क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र (आरईएसी)

आरईएसी से संबंधित प्र.सीसीआईटी के संवर्ग नियंत्रण क्षेत्रों में ई-निर्धारण कार्यवाही के संचालन को सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है। उन्हें इस योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारण करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। आरईएसी को इसके अधीन सृजित विभिन्न इकाइयों की सहायता से निर्धारण करने और पहचानविहीन तरीके से निर्धारण को अंतिम रूप देने में एनएएफएसी को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

80 सीबीडीटी ने अधिसूचना संख्या 27/2021/एफ संख्या 370142/33/2020-टीपीएल दिनांक 31.03.2021 के माध्यम से "राष्ट्रीय पहचानविहीन मूल्यांकन केंद्र" शब्द से "राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र" शब्द को प्रतिस्थापित किया।

चार्ट 1.14: एनएएफएसी और एनएफएसी का संगठन चार्ट

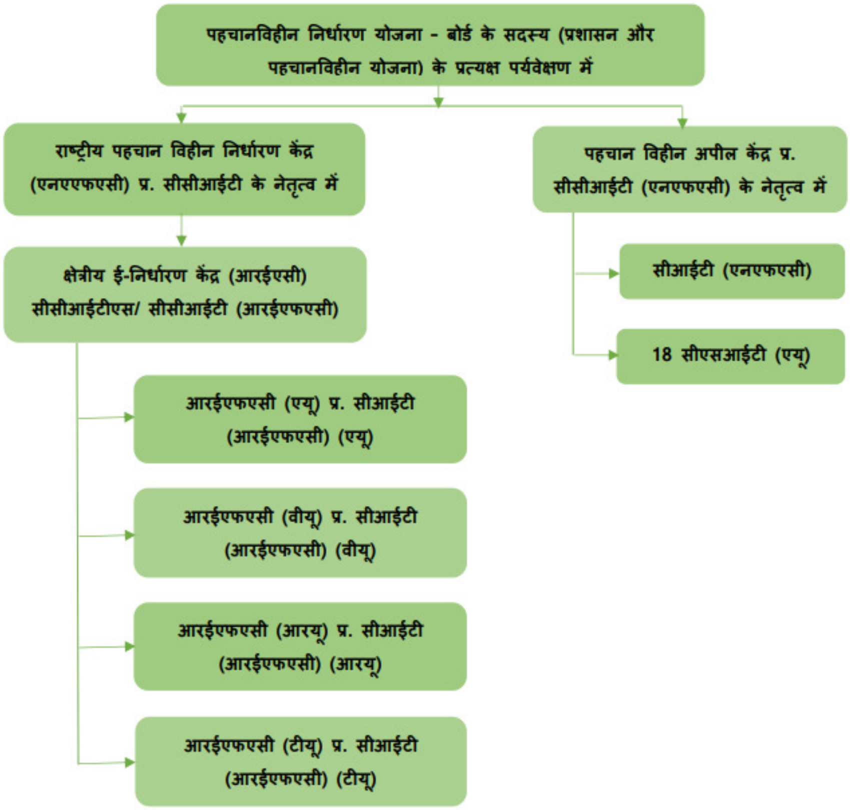

(iii) निर्धारण इकाइयाँ (एयू)

निर्धारण इकाइयों से आशा की जाती है कि वे निर्धारण का कार्य करके ई-निर्धारण के संचालन को सुविधाजनक बनाएंगे, जिसमें अधिनियम के अंतर्गत किसी भी दायित्व (प्रतिदाय सहित) के निर्धारण के लिए बिंदुओं या मुद्दों की पहचान करना, इस प्रकार पहचाने गए बिंदुओं या मुद्दों पर जानकारी या स्पष्टीकरण मांगना, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सामग्री का विश्लेषण शामिल है और ऐसे अन्य कार्य निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं। एक मामला सौंपे जाने पर, संबंधित निर्धारण इकाई एनएएफएसी से (i) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से अधिक जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त करना (ii) सत्यापन इकाइयों द्वारा कुछ पूछताछ या सत्यापन का संचालन; और (iii) तकनीकी इकाइयों से तकनीकी सहायता प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। अभिलेखों में उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखने के बाद, निर्धारण इकाइयाँ लिखित रूप में, अपने सर्वोत्तम निर्णय के लिए निर्धारिती की रिटर्न के अनुसार या तो निर्धारिती द्वारा देय आय या राशि को उसे प्रतिदाय की जाने वानी राशि को स्वीकार करता है, या

ऐसी आय या राशि में भिन्नता बना कर एक मसौदा निर्धारण आदेश बनाता है, और इस आदेश की एक प्रति एनएएफएसी को भेजता है।

(iv) सत्यापन इकाइयाँ (वीयू)

सत्यापन इकाइयाोें से कुछ जांच या सत्यापन करने के लिए निर्धारण इकाई(एयू) के अनुरोध पर सत्यापन का कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें जांच, प्रति सत्यापन लेखा पुस्तकों की जांच, गवाहों की जांच और बयान दर्ज करना और सत्यापन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक ऐसे अन्य कार्य शामिल हैं।

(v) तकनीकी इकाइयाँ (टीयू)

तकनीकी इकाइयों से तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य करना अपेक्षित है, जिसमें कानूनी, लेखांकन, फोरेंसिक, सूचना प्रौद्योगिकी, मूल्य निर्धारण, हस्तांतरण कीमत निर्धारण, डेटा विश्लेषिकी, प्रबंधन या किसी अन्य तकनीकी मामले पर कोई सहायता या सलाह देना शामिल है, जो इस योजना के अंतर्गत किसी विशेष मामले या मामलों के एक वर्ग में आवश्यक हो सकती है; और

(vi) समीक्षा इकाइयाँ (आरयू)

जोखिम प्रबंधन कार्यनीति के अनुसार राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र (एनईएसी) द्वारा मामलों को समीक्षा इकाइयों (आरयू) को सौंपा जाता है। समीक्षा इकाइयों से मसौदा निर्धारण आदेशों की समीक्षा करने का कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें यह जांचना शामिल है कि प्रासंगिक और महत्वपूर्ण साक्ष्य अभिलेख पर दर्ज हैं या नहीं, क्या मसौदा आदेशों में तथ्य और कानून के प्रासंगिक बिंदुओं को विधिवत शामिल किया गया है, क्या जिन मुद्दों पर संवर्धन या अस्वीकृति की जानी चाहिए, उनकी मसौदा आदेशों में चर्चा की गई है, क्या लागू न्यायिक निर्णयों पर विचार किया गया है और मसौदा आदेशों में उपयोग किया गया है, प्रस्तावित संशोधनों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच की गई है, यदि कोई हो, और समीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक कार्य किए गए हैं, और उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट किया गया है।

निर्धारण इकाई, समीक्षा इकाई, सत्यापन इकाई, या तकनीकी इकाइयों के बीच, या निर्धारितियों, या किसी अन्य व्यक्तियों के साथ सूचना या दस्तावेजों या साक्ष्य या किसी अन्य विवरण के सम्बन्ध में सभी संप्रेषण, जैसा कि इस योजना के अंतर्गत निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, एनएएफएसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

एनएएफएसी का संगठन **चार्ट 1.14** में दिया गया है।

पहचानविहीन अपील योजना

सीबीडीटी ने दिसंबर 2021 में जारी अधिसूचना के माध्यम से 'पहचानविहीन अपील योजना' को अधिसूचित किया और इस योजना के उद्देश्य के लिए इसने: (i) केंद्रीकृत और पहचानविहीन तरीके से ई-अपील कार्यवाही के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र (एनएफएसी); और (ii) आयुक्त (अपील) द्वारा ई-अपील कार्यवाही के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपील इकाइयों की स्थापना की। राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र (एनएफएसी) की स्थापना दिल्ली में की गई है और इसकी अध्यक्षता प्र.सीसीआईटी (एनएफएसी) द्वारा की जाती है। इसके अलावा, दिल्ली में सीआईटी (एनएफएसी) और देश भर में 18 स्थानों पर विभिन्न सीआईटी (निर्धारण इकाइयाँ) भी स्थापित किए गए हैं। एनएएफएसी और एनएफएसी का संगठन **चार्ट 1.14** में दिया गया है।

राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति योजना (एनएफपीएस)

सीबीडीटी द्वारा एनएफपीएस को अधिसूचना संख्या 3/2021 दिनांक 12.01.2021 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, जिसमें शास्ति लगाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट किया गया था। इस योजना में शास्ति कार्यवाही के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति केन्द्रों, क्षेत्रीय शास्ति केन्द्रों, शास्ति इकाइयों और शास्ति समीक्षा इकाइयों की स्थापना अधिदेशित की गई थी। राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र दिल्ली में स्थापित किया गया है और इसकी अध्यक्षता प्र.सीसीआईटी (एनएफपीसी) कर रहा है। इसके अलावा, दिल्ली और देश के अन्य स्थानों पर सीआईटी (एनएफपीसी) हैं। शास्ति इकाइयों और शास्ति समीक्षा इकाइयों की अध्यक्षता

अपर सीआईटी द्वारा की जाती है, जिसके बाद डीसीआईटी का स्थान आता है।

क्षेत्राधिकार निर्धारण कार्यालय (जेएओ)

क्षेत्राधिकार निर्धारण कार्यालयों की अध्यक्षता प्र.सीआईटी द्वारा की जाती है। क्षेत्राधिकार निर्धारण कार्यालयों के कार्यों में अपील या विशेष मुकदमेबाजी याचिकाएं दायर करना, सुधार करना, मांगों को जारी करना, राजस्व लेखापरीक्षा के पुराने स्थायी पैरा का निपटान, साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियां आदि शामिल हैं।

परिशिष्ट 1.2 (संदर्भ पैराग्राफ 1.13.1)

कर प्रशासन प्रक्रिया

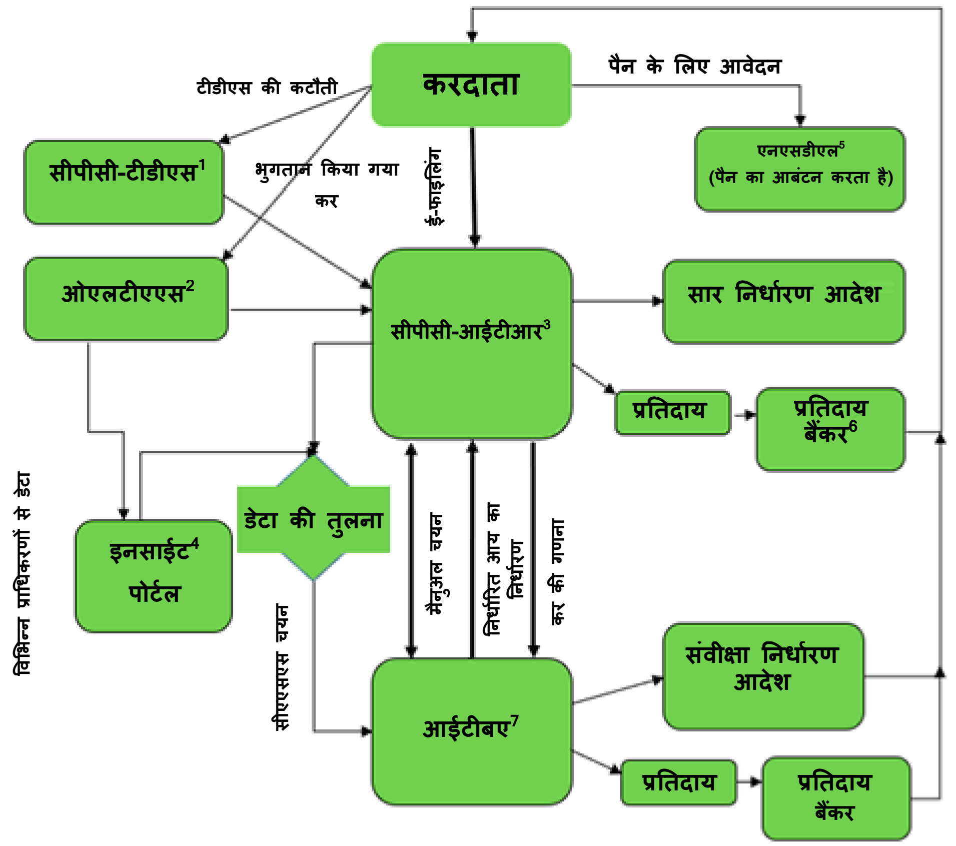

1. सीपीसी-टीडीएस (केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र-स्रोत पर कर संग्रहण), बैको, कटौतीकर्ताओं, निर्धारण अधिकारियों (एओ) और कर पेशेवरों सहित विभिन्न स्रोतों से सूचना का मिलान और सह-संबंधित करता है।
2. ओएलटीएएस (ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली), सभी प्रकार के करदाताओं से प्रत्यक्ष कर के संग्रहण, लेखांकन और प्राप्तियों और भुगतान की रिपोंटिंग की, बैंक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन एक प्रणाली है।
3. सीपीसी-आईटीआर (केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र- आय का रिटर्न), आयकर रिटर्न (आईटीआर) की बल्क प्रसंस्करण के लिए शीघ्रता से निर्धारिती को देय प्रतिदाय या कर भुगतान को निर्धारित करता है।
4. इनसॉइट पोर्टल, काले धन और कर अपवंचन के प्रति डेटा माइनिंग, अनुसंधान और विश्लेषण का उपयोग करता है और सीएएसएस (कम्प्यूटर सहायता प्राप्त संवीक्षा चयन) चयन के लिए इनपुट उपलब्ध कराता है।
5. एनएसडीएल (राष्टीय प्रतिभूति भंडार लिमिटिड), टिन-सुविधाओं (टिन-एफसी) और पैन केन्द्रों की उसकी चेन के माध्यम से पैन आवेदनों को स्वीकार करता है और पैन जारी करता है।
6. करदाताओं को अगामी वितरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक, सीएमपी ब्रांच का सीपीसी/एओ द्वारा उत्पन्न प्रतिदाय का सुविधा संचरण।
7. आईटीबीए (आयकर व्यवसायिक अनुप्रयोग), पेपर रहित इलैक्ट्रानिक प्रसंस्करण को सृजित करने और आयकर विभाग की विभिन्न कार्यप्रणालियों की पहुँच हेतु सिंगल यूजर इंटरफेस उपलब्ध कराने वाला एक व्यवसायिक अनुप्रयोग हैं।

परिशिष्ट 2.1 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.2.5)

निर्धारण में त्रुटियों के राज्य-वार मामले

राज्य	2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों में निर्धारण पूरा किया गया	2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत निर्धारण	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ[81] (सं.)	त्रुटियों के साथ निर्धारण (सं.)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का कुल राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)	त्रुटियों के साथ निर्धारण का प्रतिशत (कॉलम 5 / कॉलम 3x100)
1	2	3	4	5		7
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	16,415	15,918	1,281	1,281	3,957.37	8.05
असम	3,017	2,775	126	117	96.24	4.22
बिहार	448	428	33	33	210.69	7.71
छत्तीसगढ़	1,149	1,149	30	23	212.70	2.00
दिल्ली	47,791	46,933	1,800	1,752	5,164.16	3.73
गोवा	0	0	0	0	0.00	0.00
गुजरात	7,438	5,842	503	386	521.23	6.61
हरियाणा	8,656	6,227	213	213	1,121.99	3.42
हिमाचल प्रदेश	1,130	932	86	78	28.50	8.37
जम्मू-कश्मीर	623	522	40	39	1.62	7.47
झारखंड	170	122	15	12	29.42	9.84
कर्नाटक	8,106	7,773	505	452	2,461.28	5.82
केरल	3,438	3,349	337	337	233.46	10.06
मध्य प्रदेश	9,164	7,735	363	362	167.39	4.68
महाराष्ट्र	9,614	5,703	716	716	5,167.47	12.55
ओडिशा	3,498	3,172	339	328	591.75	10.34
पंजाब	11,969	7,569	461	411	696.94	5.43
राजस्थान	9,824	5,241	206	196	107.53	3.74
तमिलनाडु	18,096	14,861	1,817	1,687	4,059.02	11.35
यूटी चंडीगढ़	4,730	3,012	153	146	141.69	4.85
उत्तराखंड	1,039	1,025	91	68	55.67	6.63
उत्तर प्रदेश	4,473	4,277	218	178	245.23	4.16
पश्चिम बंगाल	21,274	20,245	1,259	1,024	2,618.88	5.06
कुल	**1,92,062**	**1,64,810**	**10,592**	**9,839**	**27,890.23**	**5.97**

81 इसमें कॉरपोरेट कर, आय कर और अन्य प्रत्यक्ष कर में कम निर्धारण के साथ-साथ अधिक निर्धारण की सभी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ शामिल हैं।

परिशिष्ट 2.2 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.2.7)

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान निगम कर और आयकर के सम्बन्ध में कम निर्धारण का श्रेणी-वार विवरण		(₹ करोड़ में)
उप श्रेणी	**त्रुटियों की संख्या**	**कर प्रभाव**
क. निर्धारण की गुणवत्ता	**4,614**	**6,928.64**
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां	1,136	2,443.77
ख. कर, अधिभार इत्यादि की गलत दर का अनुप्रयोग।	842	1,208.68
ग. रिटर्न प्रस्तुत करने में विलंब, कर के भुगतान में विलंब इत्यादि के लिए ब्याज/शास्ति का गैर/कम उद्ग्रहण।	2,553	3,176.50
घ. प्रतिदाय पर अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/ब्याज	47	61.69
ङ. अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारण में त्रुटि	36	38.00
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	**2,140**	**8,677.79**
क. कॉरपोरेट को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	182	1,143.43
ख. न्यासों/फर्मों/सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहतें	116	113.27
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	114	95.85
घ. व्यावसायिक व्यय की गलत अनुमति	1,428	5,703.90
ङ. मूल्यह्रास/व्यावसायिक हानि/पूंजीगत हानि की अनुमति देने में अनियमितताएं	298	1,412.73
च. डीटीएटी राहत की गलत अनुमति	2	208.61
ग. चूक के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	**889**	**2,363.29**
क. एमएटी/एएमटी/टन कर इत्यादि सहित विशेष प्रावधानों के अंतर्गत।	86	327.87
ख. बेहिसाबी निवेश/नकद ऋण इत्यादि।	392	1,738.52
ग. पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	294	231.23
घ. आर्म्स लेंथ प्राइस का गलत अनुमान	17	19.05
ङ. पति - पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि की आय को जोड़ने में चूक।	0	0.00
च. आवासीय संपति से आय की गलत गणना	25	11.17
छ. वेतन से आय की गलत गणना	9	2.28
ज. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक	66	33.17
घ. अन्य	**2,540**	**8,331.64**
कुल	**10,183**	**26,301.36**

परिशिष्ट 2.3 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.4.4)

मंत्रालय को भेजे गए ड्राफ्ट पैराग्राफों के सम्बन्ध में अभ्युक्तियों का श्रेणी-वार विवरण		
उप श्रेणी	**मामलें**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	**233**	**5,707.8**
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां	57	4,824.49
ख. कर, अधिभार इत्यादि की दर का गलत अनुप्रयोग	42	130.5
ग. रिटर्न प्रस्तुत करने में विलंब, कर के भुगतान में विलंब इत्यादि के लिए ब्याज/शास्ति का गैर/कम उद्ग्रहण	125	681.41
घ. प्रतिदाय पर अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/ब्याज	4	21.36
ङ. अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारण में त्रुटि	5	50.04
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	**143**	**1,639.46**
क. कॉरपोरेट को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	19	382.13
ख. न्यासों/फर्मों/सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहतें	4	14.73
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहतें	3	1.33
घ. व्यावसायिक व्यय की गलत अनुमति	56	627.19
ङ. मूल्यह्रास/व्यावसायिक हानि/पूंजीगत हानि की अनुमति देने में अनियमितताएं	57	394.37
च. डीटीएए राहत की गलत अनुमति	4	219.71
ग. चूक के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	**70**	**621.44**
क. एमएटी/एएमटी/टनभार कर इत्यादि सहित विशेष प्रावधानों के अंतर्गत	12	75.54
ख. पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	7	75.37
ग. आय की गलत गणना	35	402.1
घ. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक	1	0.33
ङ. बेहिसाबी निवेश/नकद ऋण	9	36.44
च. आर्म्स लेंथ प्राइस का गलत अनुमान	6	31.66
घ. अन्य	**23**	**454.45**
कर/ब्याज का अधिक प्रभार	**23**	**454.45**
कुल	**469**	**8,423.15**

परिशिष्ट 2.4 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.7.3)

ऐसे मामले जहां वित्त वर्ष 2020-21 में उपचारात्मक कार्रवाई समय बाधित हो गई है		
राज्य	**लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ जहां उपचारात्मक कार्रवाई समय बाधित हो गई**	
	मामले	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	326	2,264.33
असम	69	20.47
बिहार	383	213.72
छत्तीसगढ़	79	146.31
दिल्ली	0	0.00
गोवा	2	3.34
गुजरात	0	0.00
हरियाणा	412	340.11
हिमाचल प्रदेश	27	2.71
जम्मू-कश्मीर	47	3.10
झारखंड	0	0.00
कर्नाटक	20	52.32
केरल	1	0.05
मध्य प्रदेश	144	57.88
महाराष्ट्र	621	500.15
ओडिशा	358	543.92
पंजाब	89	51.95
राजस्थान	0	0.00
तमिलनाडु	267	217.47
यूटी चंडीगढ़	46	13.55
उत्तराखंड	0	0.00
उत्तर प्रदेश	37	27.78
पश्चिम बंगाल	826	1,729.99
कुल	**3,754**	**6,193.92**

परिशिष्ट 2.5 (संदर्भ पैराग्राफ 2.8.2)

वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अभिलेख प्रस्तुत न करने का विवरण					
राज्य	**वित्त वर्ष 2020-21 में मांगे गए अभिलेख**	**वित्त वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेख**	**वित्त वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का *प्रतिशत***	**वित्त वर्ष 2019-20 में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का प्रतिशत**	**वित्त वर्ष 2018-19 में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेख का *प्रतिशत***
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	16,415	497	3.03	5.35	5.05
असम	3,047	242	7.94	5.96	2.16
बिहार	466	22	4.72	2.33	5.05
छत्तीसगढ़	1,160	0	0.00	0.66	0.00
दिल्ली	51,032	3,163	6.20	6.66	9.32
गोवा	0	0	0.00	0.13	2.37
गुजरात	7,438	114	1.53	7.28	2.26
हरियाणा	6,227	46	0.74	1.41	0.68
हिमाचल प्रदेश	932	11	1.18	8.37	1.56
जम्मू-कश्मीर	522	0	0.00	0.00	10.66
झारखंड	133	11	8.27	0.85	1.46
कर्नाटक	8,106	333	4.11	3.12	2.91
केरल	3,541	182	5.14	6.21	3.22
मध्य प्रदेश	8,134	335	4.12	2.91	3.75
महाराष्ट्र	6,983	1,280	18.33	3.79	4.86
ओडिशा	3,498	326	9.32	8.65	5.99
पंजाब	7,569	83	1.10	1.58	2.35
राजस्थान	5,377	35	0.65	1.01	4.82
तमिलनाडु	18,096	3,235	17.88	26.44	12.31
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़	3,012	45	1.49	4.12	1.11
उत्तराखंड	1,039	14	1.35	0.52	0.55
उत्तर प्रदेश	4,478	200	4.47	1.73	1.60
पश्चिम बंगाल	23,422	1,772	7.57	6.91	5.11
कुल	**1,80,627**	**11,946**	**6.61**	**6.92**	**4.98**

संकेताक्षर	
एसीआईटी	सहायक आयकर आयुक्त
अधिनियम	आयकर अधिनियम, 1961
एआई	निर्धारित आय
एआईआर	वार्षिक सूचना रिटर्न
एएलपी	आर्म्स लेंथ प्राइस
नि.अ.	निर्धारण अधिकारी
एओपी	व्यक्तियों का संघ
एएसटी	निर्धारण सूचना प्रणाली
नि.व.	निर्धारण वर्ष
सीएएसएस	कंप्यूटर समर्थित संवीक्षा चयन
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीसीआईटी	मुख्य आयकर आयुक्त
सीआईटी	आयकर आयुक्त
सीआईटी (ए)	आयकर आयुक्त (अपील)
सीपीसी-आईटीआर	केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र - आयकर रिटर्न
सीपीसी-टीडीएस	केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र - स्रोत पर कर की कटौती
सीटी	निगम कर
डीसीआईटी	आयकर उपायुक्त
डीजीआईटी (प्रणाली)	आयकर महानिदेशक (प्रणाली)
डीओआर	राजस्व विभाग
डीटी	प्रत्यक्ष कर
वि.व.	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीटीआर	सकल कर प्राप्तियां
आईटी	आयकर
आईटीएटी	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
आईटीबीए	आयकर व्यवसायिक एप्लीकेशन
आईटीडी	आयकर विभाग
आईटीओ	आयकर अधिकारी
आईटीआर/रिटर्न	आयकर रिटर्न
जेसीआईटी	संयुक्त आयकर आयुक्त
एलटीसीजी	दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ
पैन	स्थायी खाता संख्या
प्र. सीसीए	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक

प्र. सीसीआईटी	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमओपी	कार्यालयी प्रक्रिया की नियम पुस्तिका
एनएसडीएल	नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड
ओएलटीएएस	ऑनलाइन कर लेखाकरण प्रणाली
प्र. डीजीआईटी	प्रधान महानिदेशक आयकर
नियमावली	आयकर नियमावली, 1962
एसटीटी	प्रतिभूति संव्यवहार कर
टीसीएस	स्रोत पर संग्रहित कर
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीपी	हस्तांतरण मूल्य निर्धारण
टीपीओ	हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in